जून 2000

मूल्य : सात रुपये

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास को समर्पित

उत्तर प्रदेश में पंचायती राजः दशा और दिशा

जल और पर्यावरण संरक्षण में ताल तलैयों की भूमिका

राष्ट्र के नाम प्रधान मंत्री का संदेश

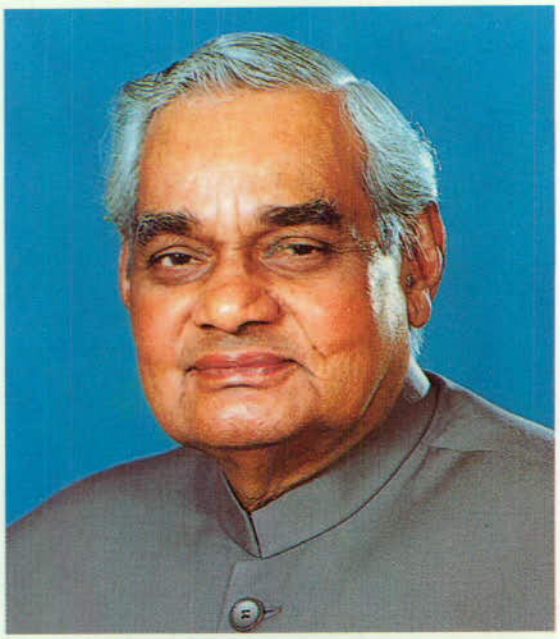

राजस्थान और गुजरात में सूखे की भयावह स्थिति को देखते हुए प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 23 अप्रैल 2000 को राष्ट्र के नाम एक संदेश दिया जो इस प्रकार है :

"गुजरात और राजस्थान का काफी बड़ा क्षेत्र तथा देश के कुछ अन्य भाग भीषण सूखे की चपेट में हैं। फसलें नष्ट हो गयी हैं, पानी के स्त्रोत सूख गये हैं, पशुओं के लिए चारा नहीं है।"

गांव–गांव में पुरुष, महिलाएं और बच्चे अन्न और जल के अभाव से त्रस्त हैं।

पांच करोड़ से भी अधिक लोग सूखे से प्रभावित हुए हैं। उन्हें अपने चारों ओर सिर्फ सूखी भूमि ही नजर आ रही है और वे यह आस लगाए बैठे हैं कि इस वर्ष मानसून उन्हें धोखा नहीं देगा।

लेकिन बरसात आने में अभी कई महीने बाकी हैं।

हम अपने भाइयों और बहनों को उनके भाग्य के भरोसे या प्रकृति की क्रूरता पर नहीं छोड़ सकते। इस समय उन्हें हमारी मदद की जरूरत है ताकि जो प्राकृतिक विपदा उन पर आ पड़ी है उससे उन्हें उबारा जा सके, उन्हें भूख और बीमारियों से बचाया जा सके, और उनके पशुओं, जो प्रायः उनकी एकमात्र सम्पत्ति होती है, की रक्षा की जा सके।

केन्द्रीय सरकार आपदा राहत कोष तथा अन्य मदों से गुजरात तथा राजस्थान को सहायता प्रदान कर रही है।

किन्तु, सूखे की गंभीरता और बड़ी संख्या में लोगों को भोजन तथा पशुओं को चारा उपलब्ध कराए जाने की जरूरत को देखते हुए यह धनराशि अपर्याप्त है। आप प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में अपनी सामर्थ्य के अनुसार धनराशि देकर इस कमी को पूरा करने में मदद कर सकते हैं।

पिछले वर्ष आपकी मदद से ही हम उड़ीसा में आए भीषण चक्रवात, जिसने उड़ीसा के तटीय इलाकों में भारी नुकसान पहुंचाया था, से उत्पन्न संकट का सामना कर पाए थे। मुझे विश्वास है कि इस समय आप गुजरात तथा राजस्थान के अपने भाइयों और बहनों की मदद के लिए आगे आएंगे।

हम एक साथ मिलकर ही इस संकट का सामना कर सकते हैं।

जय हिन्द"

साभार : पत्र सूचना कार्यालय

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास मंत्रालय
की
प्रमुख मासिक पत्रिका

वर्ष 45 अंक 8

ज्येष्ठ–आषाढ़ 1922

जून 2000

संपादक
बलदेव सिंह मदान

उप संपादक
जयसिंह

संपादकीय पता
संपादक, 'कुरुक्षेत्र',
ग्रामीण विकास मंत्रालय,
कृषि भवन, नई दिल्ली–110001
दूरभाष : 3015014
फैक्स : 011–3015014
तार : ग्राम विकास

संयुक्त निदेशक (उत्पादन)
डी.एन. गांधी

विज्ञापन प्रबंधक
के.एस. जगन्नाथ राव

आवरण सज्जा
अलका नय्यर

फोटो साभार :
मीडिया डिवीजन, ग्रामीण विकास मंत्रालय

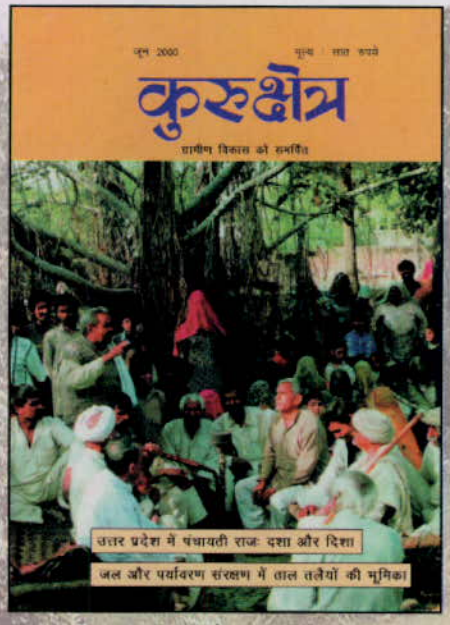

मूल्य एक प्रति : सात रुपये
वार्षिक शुल्क : 70 रुपये
द्विवार्षिक : 135 रुपये
त्रिवार्षिक : 190 रुपये

विदेशों में (हवाई डाक द्वारा)
पड़ोसी देशों में : 500 रुपये (वार्षिक)
अन्य देशों में : 700 रुपये (वार्षिक)

'कुरुक्षेत्र' की एजेन्सी लेने, ग्राहक बनने और अंक न मिलने की शिकायत के बारे में विज्ञापन और प्रसार प्रबंधक, प्रकाशन विभाग, ईस्ट ब्लाक–4, लेवल–7, आर.के. पुरम, नई दिल्ली–110 066 से पत्र–व्यवहार करें। विज्ञापनों के लिए विज्ञापन प्रबंधक, प्रकाशन विभाग, ईस्ट ब्लाक–4, लेवल–7, आर.के. पुरम, नई दिल्ली–110 066 से संपर्क करें। फोन : 6105590

हिन्दी के अतिरिक्त अंग्रेजी में भी प्रकाशित होने वाली इस पत्रिका में प्रकाशित लेखों में अभिव्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं तथा यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी वही हो।

इस अंक में

- उत्तर प्रदेश में पंचायती राज : दशा और दिशा — डा. उमेश चन्द्र अग्रवाल — 3
- भारत में शिशु मृत्यु : वर्तमान परिदृश्य और अपेक्षाएं — डा. अमरनाथ दत्त गिरि — 8
- हारे हुए (कहानी) — सुरेन्द्र तिवारी — 13
- मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायतों की सामाजिक भूमिका — संगीता गोयल, डा. सुनील गोयल — 16
- 21वीं सदी में ग्रामीणों को स्वच्छ वायु और सुखी जीवन जीने का एजेंडा — हरिश्चन्द्र व्यास — 20
- ग्रामीण जीवन की चुनौतियां और प्रौद्योगिकी — डा. दिनेश मणि — 24
- राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में वृहत पेयजल परियोजनाएं — डा. आर.एस. बांगड — 29
- जल और पर्यावरण संरक्षण में ताल तलैयों की भूमिका — संजय कुमार रोकड़े — 33
- आदिवासी महिलाओं ने गाया आत्म–निर्भरता का गीत — प्रशांत कानस्कर — 35
- चिकित्सा स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ भ्रांतियां — डा. सुरेन्द्र कुमार कटारिया — 38
- प्याज : स्वास्थ्य का राज़ — मुकेश चन्द्र शर्मा — 41
- भारत में पुष्प उद्योग : रोजगार के अवसर — प्रो. जी. लाल — 42
- क्या जवाब है हमारे पास? (स्थायी स्तम्भ) — जयप्रकाश नारायण — 44

पाठकों के विचार

पंचायती राज से ग्रामीण विकास को नई दिशा मिली

कुरुक्षेत्र पत्रिका का मार्च 2000 अंक पढ़ा। इसमें एस.एन. मिश्रा व डा. स्वेता मिश्रा का ज्ञानवर्धक लेख भारत में ग्रामीण विकास के पचास वर्ष में ग्रामीण विकास के लिए कटिबद्ध शासनेत्तर प्रयासों पर एक विहंगम दृष्टि डाली गई है। यह सच है कि विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के बावजूद भी हमारा ग्रामीण तबका आज भी कई दृष्टि से पिछड़ा है। उसमें 'पंचायती राज' के सशक्तिकरण संबंधी कदम से कुछ हद तक चेतना बढ़ी है लेकिन साक्षरता के अभाव में 'पंचायती राज' के महत्व का एहसास ग्रामीण क्षेत्रों की पंचायतों में निर्वाचित प्रतिनिधियों को नहीं हो सका है। फिर भी इन प्रयासों से गांव के विकास को एक नई दिशा मिली है। जहां जागरूक शिक्षित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं, वहां खुशहाली का वातावरण निर्मित हुआ है। अंक में डा. शीतांशु भारद्वाज की कहानी नदिया बहती रहो! प्रेरणास्पद है। 'दीदी बैंक' की जानकारी निश्चित ही महिलाओं में आती जागरूकता तथा संगठन क्षमता का एक नवीनतम उत्साहवर्धक उदाहरण है।

मनोज कुमार बुनकर, जटाछेपर, छिंदवाड़ा (म.प्र.)

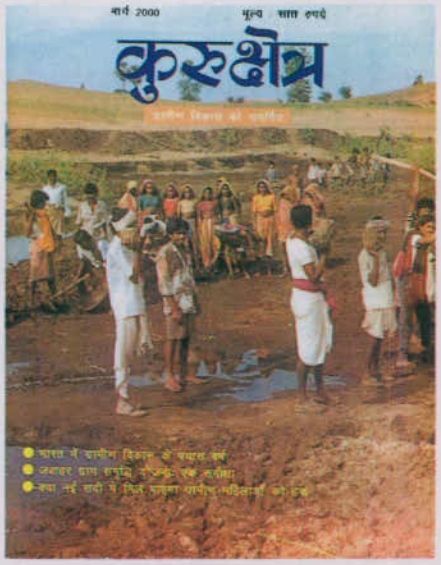

दीदी बैंक : महिला सशक्तिकरण की दिशा में सार्थक कदम

ग्रामीण विकास में महिलाओं की भूमिका के सारगर्भित लेख में 'दीदी बैंक' का प्रादुर्भाव निःसन्देह ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक अभिनव प्रयोग है। ग्रामीण क्षेत्र में सूदखोरों के शोषण से मुक्ति का भी अनुपम प्रयास है। ग्रामीण महिलाएं घरेलू काम–काज के अतिरिक्त कृषि कार्यों में सक्रिय योगदान करती हैं। ग्रामीण विकास में महिलाओं की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। ग्रामीण अंचलों में कृषि कार्य अनवरत रूप से वर्ष पर्यन्त नहीं चलते हैं। अतः वे दीदी बैंक की सदस्य बनकर एक फसल से दूसरी फसल के अन्तराल के निष्क्रिय काल में दीदी बैंक से वित्तीय सहायता जुटा कर 'आम के आम और गुठलियों के दाम' वाली कहावत को व्यावहारिक रूप प्रदान कर आर्थिक आत्मनिर्भरता का ज्वलन्त उदाहरण प्रस्तुत कर सकती हैं अर्थात् निष्क्रिय काल का सदुपयोग भी हो जायेगा तथा अतिरिक्त आर्थिक स्रोत भी उपलब्ध होंगे।

ऐसे दीदी बैंक केवल एक प्रान्त विशेष तक ही सीमित होकर न रह जाएं, मीडिया के माध्यम से इनका राष्ट्रीय स्तर पर सतत प्रचार और प्रसार किया जाना चाहिए। केवल महिला दिवस पर महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता प्रकट करने के लिए औपचारिक आयोजनों की अपेक्षा ऐसे सकारात्मक और विकास की गत्यात्मकता हेतु व्यावहारिक आयोजन होने चाहिए।

यदि प्रबुद्ध लेखक द्वारा इस लेख में कतिपय समितियों के नाम, पते एवं उनकी सापेक्ष उपलब्धियों का समावेश भी हो जाता तो न केवल पाठक वर्ग अपितु अन्य ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के लिए वह अभिप्रेरण का माध्यम सिद्ध होता। अन्त में मैं लेखक महोदय का धन्यवाद करना अपना कर्तव्य समझता हूं जिन्होंने ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सम्बलीकरण का मार्ग प्रशस्त किया है।

एस. राज राकेश, उप–प्रधानाचार्य, हैपी उच्च माध्यमिक विद्यालय, अलवर–301001

ग्रामीण महिलाओं का विकास दूर शिक्षा पद्धति से

कुरुक्षेत्र के मार्च 2000 अंक में प्रकाशित लेख ग्रामीण बालिकाओं के लिए सार्थक शिक्षा ज्ञानवर्धक तथा वर्तमान परिवेश में उत्पन्न समस्याओं के समाधान पर विचार करने के लिए विवश करता है। संपूर्ण विश्व में दूर शिक्षा पद्धति ने अपनी विश्वसनीयता स्थापित कर ली है। भारत में भी वृहत् स्तर पर इस पद्धति का प्रयोग ग्रामीण क्षेत्रों में विकास हेतु किया जाना चाहिए। आधुनिक आविष्कारों के प्रयोग से ग्रामीण बालिकाओं का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है तथा सूचना क्रांति

(शेष पृष्ठ 28 पर)

उत्तर प्रदेश में पंचायती राज : दशा और दिशा

डा. उमेश चन्द्र अग्रवाल

उत्तर प्रदेश में सत्ता के विकेन्द्रीकरण की दिशा में पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। इन संस्थाओं को अपने दायित्व उचित ढंग से निभाने के लिए पिछले वर्ष 1,100 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया। पंचायतों को सौंपे गए कार्यों को सम्पन्न करने के लिए विभिन्न विभागों के कर्मचारी हस्तांतरित किए गए जिन पर अब पंचायतों का नियंत्रण होगा। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के पद की व्यवस्था की गई है। भविष्य में इस पद पर होने वाले रिक्त पदों पर नियुक्ति का अधिकार भी पंचायतों को दिया गया है। पंचायतें गांवों में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को नियुक्त कर सकेंगी। नये विद्यालय खोलकर वहां अंशकालिक शिक्षक भी रख सकेंगी। विभिन्न कार्यों की देख–रेख के लिए समितियां गठित करने का भी प्रावधान किया गया है। लेखक का कहना है कि इसके साथ जनप्रतिनिधियों को ईमानदार और समर्पण–भाव दिखाकर गांवों और गांववासियों का कल्याण करना होगा तभी ग्राम स्वराज का गांधी जी का स्वप्न साकार हो सकेगा।

उत्तर प्रदेश में सत्ता को सबसे निचले स्तर तक पहुंचाने और प्रशासन तथा विकास में जनता की भागीदारी के स्वप्न को वास्तविक रूप में परिणित करने के प्रयास में प्रदेश सरकार द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों को वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारों का प्रतिनिधायन करते हुए प्रदेश के समन्वित विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कुछ विशेष कदम उठाए गए हैं। यद्यपि राज्य में प्रारम्भ से ही पंचायती राज व्यवस्था की जड़ें काफी गहरी और मजबूत रही हैं और इसे स्वतंत्र भारत में पंचायती राज व्यवस्था को क्रियान्वित करने वाले अग्रणी प्रदेश का गौरव प्राप्त है। यहां देश में सबसे पहले 7 दिसम्बर 1947 को यू.पी. पंचायतराज एक्ट, 1947 पास हुआ और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को मूर्त रूप प्रदान करने के उद्देश्यों को लेकर प्रदेश में 5 करोड़ 40 लाख जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली 35,919 चुनी हुई पंचायतों ने 15 अगस्त 1949 से कार्य करना प्रारम्भ किया। प्रदेश में पंचायतों के आधार को और विस्तृत करने के उद्देश्य से बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुरूप इन्हें त्रिस्तरीय स्वरूप प्रदान करने हेतु वर्ष 1961 में उ.प्र. क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम, 1961 पारित किया गया।

वर्ष 1988 से पूरे देश में पंचायतीराज व्यवस्था को नया स्वरूप प्रदान करने के प्रयास किए गए और वास्तविक अर्थों में विकास में जनता की सहभागिता बढ़ाने हेतु अप्रैल 1993 में लागू हुए 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों और उनकी भावनाओं के अनुरूप 13 अप्रैल 1994 को प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था से सम्बन्धित दोनों अधिनियमों में आवश्यक संशोधन किए गए। इसे उ.प्र. पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 कहा गया और इसमें पंचायतों के कार्यकाल का 5 वर्ष का निर्धारण, अनुसूचित जाति, जनजाति पिछड़े वर्गों तथा महिलाओं के लिए पंचायतों के सभी स्तरों पर आरक्षण की व्यवस्था, प्रत्येक पंचायत के लिए एक कोष की स्थापना, राज्य निर्वाचन और वित्त आयोगों का गठन और पंचायतों के कार्यों, दायित्वों तथा अधिकारों का निर्धारण किया गया। इन प्रावधानों को क्रियान्वित करने हेतु प्रदेश में 1995–96 में पंचायतों का पुनर्गठन किया गया और इस समय प्रदेश में 58,620 ग्राम पंचायतें, 904 क्षेत्र पंचायतें तथा 83 जिला पंचायतें गठित हैं। इनके अगले चुनाव इस वर्ष कराए जाने हैं। पंचायतों को सौंपे जाने वाले दायित्वों और कार्यों के निर्धारण के लिए 1994 में तत्कालीन कृषि उत्पादन आयुक्त श्री जे.एल. बजाज की अध्यक्षता में 'बजाज कमेटी' तथा पंचायतों को शक्तियां तथा दायित्व सौंपने के लिए किए जा सकने वाले प्रावधानों के निर्धारण हेतु 1996 में 'हाई पावर कमेटी' का गठन कर उनकी संस्तुतियां भी प्राप्त की गईं और इन संस्तुतियों के आधार पर प्रदेश में पंचायतों को सौंपे गए 32 विभागों में से 28 विभागों के

कार्य और दायित्वों को पंचायतों को सौंपने हेतु शासनादेश जारी किए गए।

पंचायतों को सुदृढ़ बनाने हेतु किए निर्णय

प्रदेश में इन चुनी हुई पंचायतों को वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारों को वास्तविक रूप में प्रदत्त करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा अप्रैल 1999 में अभूतपूर्व निर्णय लिए गए ताकि प्रदेश में सही मायनों में सत्ता के विकेन्द्रीकरण को चरणबद्ध तरीके से मूर्त रूप प्रदान किया जा सके। प्रथम चरण में ग्राम पंचायतों को सुदृढ़ करने तथा अधिकार–सम्पन्न बनाने हेतु कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं जैसे : ग्राम पंचायतों को वित्तीय आवंटन और धनराशि का सीधे अंतरण, ग्राम पंचायतों की परिसम्पत्तियों का हस्तान्तरण और रख–रखाव, ग्राम पंचायतों को कुछ विशेष कार्य और अधिकार सौंपना, उन्हें कार्यों के संचालन हेतु कर्मियों की व्यवस्था, पंचायतों को हस्तान्तरित कर्मियों की सेवा शर्तों का निर्धारण, प्रत्येक पंचायत में ग्राम पंचायत तथा विकास अधिकारियों की नियुक्तियां, ग्राम पंचायतों द्वारा शिक्षामित्र और शिक्षा गारंटी योजनाओं के संचालन के विशेष अधिकार, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत में समितियों का गठन, जिला पंचायतों द्वारा दायित्वों के निर्वहन हेतु कुछ नवीन व्यवस्थाएं, जिला नियोजन समतियों का गठन किया जाना और उन्हें अधिकार सम्पन्न बनाने हेतु अनेक प्रावधान किए गए हैं।

नई व्यवस्था के अनुसार अब ग्राम पंचायतों को पर्याप्त मात्रा में वित्तीय आवंटन करते हुए उन्हें आवंटित धनराशि सीधे अन्तरण करने की व्यवस्था की गई है। प्रदेश सरकार द्वारा 1997–98 में राज्य के कुल करों की धनराशि के 4 प्रतिशत भाग को ग्राम पंचायतों को सीधे हस्तान्तरित करने के निर्णय के अनुसार इस वर्ष उन्हें 328 करोड़ रुपये मिलेंगे, ग्राम्य विकास योजनाओं के संचालन हेतु 583 करोड़ रुपये तथा दसवें केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर 189 करोड़ रुपये अर्थात कुल मिलाकर 1,100 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध होगी तथा यह धनराशि सीधे ग्राम पंचायतों द्वारा संचालित ग्राम निधि में जमा की जाएगी। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायतों को राजकीय नलकूपों से प्राप्त सिंचाई कर और भू–राजस्व पर लगाए जा सकने वाले सरचार्ज से प्राप्त धनराशि को भी ग्राम निधि में जमा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायतों को सौंपे गए कार्यों से संबंधित समस्त परिसंपत्तियों, जो ग्राम पंचायत में स्थित हैं,

उन्हें संबंधित जिलाधिकारी द्वारा ग्राम पंचायतों को सौंपे जाने की तथा इनके रख–रखाव पर शासन द्वारा जारी की जा रही धनराशि को भी पंचायतों को हस्तान्तरित किए जाने की व्यवस्था की गई है। इस हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है जिसके संयोजक जिला पंचायती राज अधिकारी बनाए गए हैं तथा सम्बन्धित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी इसके सदस्य रहेंगे।

सौंपे गए विशेष कार्य

नवीन व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को कुछ विशेष कार्यों और अधिकारों का निर्धारण कर दिया गया है। प्रथम चरण में उन्हें प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा अनौपचारिक शिक्षा सहित शिक्षा, राजकीय नलकूप, हैडपम्प, युवक मंगल दल, महिला मंगल दल, अखाड़ा, व्यायामशाला तथा खेलकूद सहित युवा कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र, दवाइयों तथा चिकित्सा और स्वास्थ्य, महिला तथा बाल विकास, पशु सेवा केन्द्र तथा 'द' श्रेणी के पशु चिकित्सालयों सहित पशुधन विभाग, राशन की दुकान, कृषि से सम्बन्धित समस्त ग्राम स्तरीय कार्यों सहित कृषि, ग्रामीण विकास, तथा पंचायती राज जैसे कुल 11 विभागों के ग्राम स्तरीय कार्यों को ग्राम पंचायतों को सुपुर्द कर दिया गया है। इनके अतिरिक्त ग्राम पंचायतों को वृद्धावस्था/किसान पेंशन, विधवा पेंशन तथा विकलांग पेंशन स्वीकृत करने तथा ग्राम पंचायत की बैठक में पेंशन के चैक वितरित करने के अधिकार दिए गए हैं। साथ ही ग्राम पंचायत में स्थित राजकीय तथा मान्यता प्राप्त अशासकीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ी जाति के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति स्वीकृत करने तथा उसके वितरण का अधिकार भी दिया गया है।

कर्मचारियों का हस्तांतरण

ग्राम पंचायतें अपने दायित्वों को भली–भांति निर्वहन कर सकें, इस हेतु उन्हें सरकारी कर्मचारियों की सहायता उपलब्ध कराने की समुचित व्यवस्था की जा रही है। अब प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक तथा बड़ी ग्राम पंचायतों में दो ग्राम स्तरीय बहुद्देशीय कार्यकर्ताओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी की नियुक्ति करने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए ग्राम विकास अधिकारी ग्राम्य विकास विभाग, ग्राम पंचायत अधिकारी–पंचायतीराज विभाग, किसान सहायक–कृषि विभाग, पुरुष स्वास्थ्यकर्ता–चिकित्सा विभाग, नलकूप चालक, सींचपाल (नलकूप), सींचपाल (नहर) – सिंचाई विभाग, ग्राम विकास अधिकारी (समाज कल्याण) – समाज कल्याण विभाग, गन्ना पर्यवेक्षक, गन्ना विभाग, समादेश प्रक्षेत्र विकास अभिकरण के ग्रामस्तरीय कार्यकर्ता, निरीक्षक तथा सींचपाल पर्यवेक्षक, भूमि विकास तथा जल संसाधन विभाग के ग्राम स्तरीय कर्मियों को इन सभी विभागों के कार्य कलापों के सम्बन्ध में आवश्यक प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई है। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी ग्राम पंचायत का सचिव होगा। यदि एक ग्राम पंचायत में दो अधिकारी तैनात हैं तो ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित करके सचिव का कार्य किसी एक को दिया जा सकेगा। साथ ही साथ विकेन्द्रीकरण की नई व्यवस्था के अन्तर्गत हस्तान्तरित सरकारी कर्मचारियों को सेवा सम्बन्धी पूरी सुरक्षा प्रदान की गई है। उन्हें पंचायतों को हस्तान्तरित करने के बाद भी वे राजकीय सेवक बने रहेंगे। पंचायतों की प्रशासनिक समिति द्वारा उपस्थिति सत्यापन के बाद उनका वार्षिक मूल्यांकन सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों द्वारा ही किया जाएगा। पूर्व की भांति राजकोष से उन्हें वेतन भी दिया जाता रहेगा। उनके वेतनमान, वेतनवृद्धि, प्रोन्नति, नियोक्ता अधिकारी तथा पेंशन लाभ आदि सभी कुछ यथावत रहेंगे लेकिन उनके आकस्मिक अवकाश, अल्प अवधि के अवकाश तथा अन्य देय अवकाश स्वीकृत करने का अधिकार ग्राम पंचायतों को दिया गया है। इन कर्मियों की अनुशासनहीनता और अकर्मण्यता के लिए लघु–दण्ड दिया जाना आवश्यक समझा जाएगा तो इसके लिए पंचायतें अपनी आख्या सम्बन्धित विभागीय अधिकारी को भेजेंगी और सम्बन्धित अधिकारी 15 दिन में सेवा नियमावली के प्रावधानों के अनुरूप नियमानुसार कार्रवाई कर सम्बन्धित पंचायत को अवगत कराएगा।

नवीन व्यवस्था के अनुसार ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के रिक्त होने वाले पदों पर नई नियुक्तियां अब सम्बन्धित ग्राम पंचायतों द्वारा की जाएंगी। इन कर्मचारियों के अतिरिक्त प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के समस्त शिक्षक, औपचारिक शिक्षा केन्द्र के अनुदेशक, ए.एन.एम. तथा दाई–चिकित्सा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती सहायिका तथा पशु प्रसार अधिकारी भी पूर्ण रूप से ग्राम पंचायतों के पर्यवेक्षण में कार्य करेंगे।

राज्य में साक्षरता दर में वृद्धि लाने, सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने, अध्यापकों की कमी दूर करने, निर्धारित मानक के अनुसार शिक्षक–शिक्षार्थी अनुपात सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ग्राम पंचायतों की देख–रेख में अब शिक्षा मित्र योजना के नाम से एक अतिविशिष्ट योजना तैयार कर लागू की गई है। अब पंचायतें प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक की

रिक्ति होने पर स्थानीय स्तर पर कम से कम इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण व्यक्ति को संविदा के आधार पर 2,250 रुपये मासिक नियत मानदेय पर 'शिक्षा मित्र' के रूप में चयनित कर नियुक्त कर सकेंगी। शिक्षा मित्र का चयन शिक्षा समिति द्वारा किया जाएगा और इनमें 50 प्रतिशत शिक्षा मित्र महिलाएं होंगी। इनके मानदेय पर होने वाला व्यय भार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इस योजना के अतिरिक्त एक शिक्षा गारंटी योजना भी चलाने की व्यवस्था की गई है। इसके अन्तर्गत ऐसे गांव या मजरे जहां एक किलोमीटर की दूरी तक कोई विद्यालय नहीं है, मैदानी क्षेत्रों में 6 से 11 वर्ष तक के 30 बच्चों तथा पर्वतीय जिले में 20 बच्चों की उपलब्धता पर ग्राम पंचायतें स्कूल के लिए स्थल की व्यवस्था करेंगी जिन्हें विद्या केन्द्र कहा जाएगा और 1,000 रुपये प्रतिमाह के नियत मानदेय पर अंशकालिक शिक्षक 'आचार्य जी' की नियुक्ति करेंगी। नियुक्ति में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रत्येक विद्या केन्द्र को शिक्षण सामग्री आदि की व्यवस्था हेतु 1,000 रुपये तथा विद्यार्थियों में वितरण हेतु निःशुल्क पाठ्य–पुस्तकों के क्रय हेतु 1,250 रुपये राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। इन विद्या केन्द्रों में पीने के पानी तथा शौचालय की यथासम्भव व्यवस्था पंचायतें करेंगी। यहां कक्षा 1 से 2 तक की शिक्षा प्रदान की जाएगी तथा कक्षा 3 में नियमित विद्यालयों में इन बच्चों का प्रवेश दिलाने का प्रयास किया जाएगा।

समितियों को अधिकार

नई व्यवस्था में ग्राम पंचायत में किसी एक पदाधिकारी का एकाधिकार रोकने हेतु 6 प्रकार की समितियों के गठन की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक समिति में अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं में से एक–एक सदस्य को आवश्यक रूप से नामित किए जाने की व्यवस्था की गई है। ग्राम पंचायतों को दिए गए अधिकारों और कार्यों के सम्पादन के लिए सम्बन्धित समितियों को उत्तरदायी बनाया गया है। योजना तथा विकास समिति का सभापति ग्राम प्रधान होगा तथा इसमें 6 अन्य सदस्य होंगे। इसका कार्य विकास की योजना बनाना तथा कृषि, पशुपालन और गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रमों का संचालन करना होगा। शिक्षा समिति का सभापति उप–प्रधान होगा तथा 6 सदस्यों के अतिरिक्त एक प्रधानाध्यापक और 3 अभिभावक सहयोजित किए जाएंगे। इस समिति का कार्य प्राथमिक, उच्च प्राथमिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा तथा साक्षरता सम्बन्धी कार्यों को देखना होगा। निर्माण कार्य समिति में पंचायत द्वारा एक नामित सदस्य सभापति होगा और 6 अन्य सदस्य होंगे। इसका कार्य सभी निर्माण कार्य कराना तथा उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करना होगा। स्वास्थ्य तथा कल्याण समिति में भी पंचायत द्वारा नामित सभापति तथा 6 अन्य सदस्य होंगे। समिति चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण योजनाओं के संचालन का कार्य करेगी। प्रशासनिक समिति का सभापति प्रधान होगा तथा इसमें अन्य 4 सदस्य होंगे। यह समिति कर्मचारियों तथा राशन की दुकानों सम्बन्धी कार्य देखेगी। जल प्रबन्ध समिति का सभापति पंचायत द्वारा नामित कोई सदस्य और 6 अन्य सदस्यों के अतिरिक्त राजकीय नलकूप के कमांड एरिया के कोई दो उपभोक्ता सहयोजित सदस्य के रूप में नामित किए जाएंगे। यह समिति राजकीय नलकूपों का संचालन तथा पेयजल सम्बन्धी कार्य देखेगी।

इसके अन्तर्गत ऐसे गांव या मजरे जहां एक कि.मी. की दूरी तक कोई विद्यालय नहीं है, मैदानी क्षेत्रों में 6 से 11 वर्ष तक के 30 बच्चों तथा पर्वतीय जिले में 20 बच्चों की उपलब्धता पर ग्राम पंचायतें स्कूल के लिए स्थल की व्यवस्था करेंगी जिन्हें विद्या केन्द्र कहा जाएगा और 1,000 रुपये प्रतिमाह के नियत मानदेय पर अंशकालिक शिक्षक 'आचार्य जी' की नियुक्ति करेंगी। नियुक्ति में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।

क्षेत्र पंचायत में नई व्यवस्था

ग्राम पंचायतों की भांति ही नवीन व्यवस्था के अन्तर्गत क्षेत्र पंचायत के कार्यों का निर्धारण तथा क्षेत्र निधि और समितियों के गठन की व्यवस्था निर्धारित की गई है। क्षेत्र पंचायतों को प्रथम चरण में ब्लाक स्तर से संचालित कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, अनुश्रवण और मूल्यांकन, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का संचालन, पशु चिकित्सालय, बीज केन्द्र, विपणन गोदाम, एक से अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने वाले विकास कार्य तथा उन्हें हस्तान्तरित सम्पत्तियों के रख–रखाव सम्बन्धी कार्य सौंपे गए हैं। इन्हें 2000–2001 से राज्य के करों की आय में से पंचायतों को दी जाने वाली राशि में से 10 प्रतिशत अंश दिया जाएगा। क्षेत्र निधि का संचालन अब क्षेत्र पंचायत के प्रमुख और बी.डी.ओ. के संयुक्त हस्ताक्षर से करने की व्यवस्था की गई है। ग्राम पंचायतों की भांति ही क्षेत्र पंचायत में भी इसी प्रकार की 6 समितियों के गठन का प्रावधान है तथा किसी भी व्यक्ति या पदाधिकारी को अधिकार देने के स्थान पर समितियों को अधिकार प्रदान किए गए हैं ताकि कोई भी निर्णय सामूहिक रूप से पारदर्शी रूप में लिए जा सकें।

जिला पंचायत में नई व्यवस्था

जिला पंचायत के लिए भी कुछ नवीन व्यवस्थाएं निर्धारित की गई हैं। प्रथम चरण में मुख्य अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, उपमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, बेसिक शिक्षा अधिकारी, अधिशासी अभियन्ता (नलकूप), अधिशासी/सहायक अभियन्ता (लघु सिंचाई), अधिशासी अभियन्ता (ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा), जिला युवा कल्याण अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यक्रम अधिकारी (बाल विकास परियोजना), सहायक पंजीयक–सहकारिता, सहायता निदेशक – मत्स्य तथा जिला पशुधन, कृषि, भूमि संरक्षण, उद्यान, गन्ना विकास, दुग्ध विकास एवं पंचायत राज अधिकारियों को जिला पंचायतों के नियंत्रण में रखने की व्यवस्था है तथा मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला पूर्ति, अधिकारी, उपक्षेत्रीय विपणन अधिकारी, जिला वन अधिकारी, सामान्य प्रबन्धक–जिला उद्योग केन्द्र, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी तथा अधिशासी अभियन्ता – लोक निर्माण, सिंचाई तथा विद्युत विभागों को जिला पंचायत का सलाहकार अधिकारी बनाया गया है। जिला पंचायत में कार्यकारी समिति, नियोजन और

वित्त, आयोग एवं निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण और जल प्रबन्धन नाम की 6 समतियों के गठन की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त डी.आर.डी.ए. तथा मत्स्य विकास अभिकरण का अध्यक्ष जिलाधिकारी के स्थान पर जिला पंचायत अध्यक्ष को बनाया गया है। सिंचाई बन्धु का अध्यक्ष भी जिला पंचायत के अध्यक्ष रहेंगे। विकास कार्यों के लिए अब जिलाधिकारी के स्थान पर एक अलग अधिकारी 'मुख्य अधिकारी' नियुक्त किए जाने की व्यवस्था की गई है। साथ ही विधान निधि, पूर्वांचल विकास निधि, बुन्देलखण्ड विकास निधि तथा सुनिश्चित रोजगार योजना अब जिलाधिकारी के स्थान पर मुख्य अधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी द्वारा डी.आर.डी.ए. के माध्यम से संचालित होंगी यद्यपि सांसद निधि पूर्व की भांति जिलाधिकारी ही संचालित करते रहेंगे।

विकेन्द्रीकरण की नवीन व्यवस्था के अन्तर्गत प्रदेश के प्रत्येक जिले में जिला योजना समितियां का गठन करते हुए उनके दायित्वों का निर्धारण किया गया है। प्रत्येक जिले में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के समन्वित विकास की योजना बनाने के उद्देश्य से जिला योजना समिति के गठन की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।

निष्कर्ष

राज्य प्रदेश सरकार द्वारा पंचायतों को सशक्त बनाने हेतु विशेष प्रावधानों की व्यवस्था का निर्णय लेकर जिस दृढ़ इच्छाशक्ति का प्रदर्शन किया गया है, वास्तव में वह एक सराहनीय प्रयास कहा जा सकता है। पंचायती राज संस्थाओं को सौंपे जा रहे नए–नए दायित्व और अधिकारों के साथ–साथ इनके भली–भांति क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु कुछ विशेष व्यवस्थाएं भी साथ ही निर्धारित करनी होंगी। कोई भी निर्णय लेते समय उनके दूरगामी प्रभावों का आकलन भली–भांति करना होगा। इसके अतिरिक्त किए जा रहे प्रावधानों को वास्तविक रूप में क्रियान्वित करने में अनुभव की जाने वाली कठिनाइयों का निदान करते हुए उनका निराकरण भी करना होगा। वर्तमान में पंचायतों के चुने हुए प्रतिनिधियों का समुचित शिक्षा और प्रशिक्षण की व्यवस्था, विशेष रूप से महिलाओं, दलितों और पिछड़ें वर्गों के जन प्रतिनिधियों में चेतना विकसित करने हेतु विशेष प्रावधान, निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों की व्यवस्था के साथ–साथ अशिक्षित, छोटे परिवार के मानक में विश्वास नहीं रखने वाले, धूमिल और भ्रष्ट छवि वाले विवादित और माफियाओं को चुनावों से वंचित करने हेतु प्रावधानों की व्यवस्था, पंचायतों को आवंटित की जाने वाली धनराशि को उन्हें ससमय उपलब्ध कराने, किए जा रहे प्रावधानों और नियमों की सुस्पष्ट व्याख्या किए जाने जैसी आवश्यकताओं का विशेष रूप से अनुभव किया जा रहा है। पंचायतों का हस्तान्तरित किए जा रहे सरकार कर्मचारियों के हितों की रक्षा, पंचायतों द्वारा किए जा रहे निर्माण की गुणवत्ता और खर्चों का प्रभावी अनुश्रवण और नियन्त्रण, पंचायतों के काम–काज और कार्य प्रणाली में विभागीय और सरकारी हस्तक्षेप को कम करने हेतु भी आवश्यक कदम उठाने होंगे।

सरकार द्वारा पंचायतों को समुचित संसाधन उपलब्ध कराने, सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के साथ–साथ अपेक्षित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु यह भी आवश्यक है कि पंचायतें और उनके पदाधिकारी भी भरपूर योगदान करें। प्रदेश में पंचायतों को अधिक शक्तिशाली, अधिकार सम्पन्न, परिणामोन्मुखी और क्रियाशील बनाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा जो विशेष प्रावधान किए गए हैं, नई–नई व्यवस्थाएं निर्धारित की गई हैं, उनसे पंचायतों को न केवल अधिकार प्राप्त हुए हैं बल्कि वास्तव में उन्हें अतिरिक्त दायित्व भी मिले हैं जिनका निर्वहन करने के लिए उन्हें अपने आपको अधिक पारदर्शी, सक्षम तथा व्यावहारिक बनाना होगा, और उन्हें एक नई सोच भी विकसित करनी होगी। इसके अतिरिक्त उन्हें पंचायतों को आम लोगों की आकांक्षाओं, अपेक्षाओं और आवश्यकताओं के अनुरूप उनके सम्पूर्ण विकास के लक्ष्य को अपने समक्ष रखते हुए तर्कयुक्त और लोकतांत्रिक सिद्धान्तों के आधार पर आम सहमति से लोक हितकारी निर्णय लेने होंगे। पंचायतों को उपलब्ध होने वाली सरकारी सहायता पर अवलम्बित न रहते हुए विकास कार्यों को पूर्ण करने हेतु ऐसे रास्ते निकालने होंगे जिनसे गरीब ग्रामीणों पर आर्थिक बोझ भी नहीं पड़े। सभी अशिक्षित जनप्रतिनिधियों को अपने आप शिक्षित बनाने, विकास की नई–नई नीतियों, विधाओं और तकनीकों को सीखने हेतु आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए तत्पर रहने, उन्हें सरकार और जनता द्वारा सौंपे गए दायित्वों को नैतिकता, ईमानदारी और निष्ठापूर्वक निर्वहन करने के लिए समर्पण भाव से कार्यरत रहना होगा। निष्पक्ष भावना से लोक हितकारी कठोर निर्णय लेने में भी संकोच नहीं करना होगा, तभी होगा सदियों से उपेक्षित और पिछड़े गांवों और गांववासियों का कल्याण तथा पंचायतीराज और जनता के राज का सपना सकार। ❑

लघुकथा

उपहार

निहारिका

पिकासो के एक शिष्य ने अपने विवाह पर उन्हें आमंत्रित किया। इस अवसर पर आए सभी अतिथि अपने साथ कुछ न कुछ भेंट लाए थे लेकिन पिकासो खाली हाथ पहुंचे। लोगों को आश्चर्य था कि अपने अतिप्रिय शिष्य के लिए वे कोई भेंट क्यों नहीं लाए हैं?

विवाह के बाद जब वर वधु गिरजाघर से बाहर निकले तो बाहर प्रतीक्षारत पिकासो ने उन्हें अपने साथ चलने का संकेत दिया। वर वधु उनके साथ चलने लगे। थोड़ी देर बाद तीनों व्यक्ति एक नए मकान के सामने खड़े थे। मकान का ताला खोलते हुए पिकासो ने कहा, "तुम्हारे विवाह के अवसर पर मेरी तरफ से यह छोटी–सी भेंट।" ❑

भारत में शिशु मृत्यु : वर्तमान परिदृश्य और अपेक्षाएं

डा. अमरनाथ दत्त गिरि

हमारे देश में शिशु मृत्यु दर काफी अधिक है। हालांकि इस दिशा में किए गए प्रयासों से कुछ सफलता मिली है और शिशु मृत्यु दर 1981 में प्रति हजार 114 से घटकर 1991 में 91 रह गई और इस वर्ष यानी सन् 2000 तक इसे 60 प्रति हजार लाने का लक्ष्य रखा गया है। भारत में शिशु मृत्यु दर अधिक होने के क्या कारण हैं और इसे कम करने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए पढ़िए इस बारे में जानकारी इस लेख में।

भारत विकासशील देशों में एक अग्रणी देश के रूप में अपनी पहचान बनाए हुए है, किन्तु आज भी हमारे यहां शिशु मृत्यु–दर अन्य देशों की तुलना में बहुत अधिक है। कई विकसित देशों में 1,000 शिशु जन्म पर मृत्यु दर केवल 10 है, जबकि भारत में 1991 की जनगणना के अनुसार शिशु मृत्यु दर 91 है। यह आंकड़े हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि इस अन्तर का कारण क्या है।

हाल ही के वर्षों में अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों ने शिशु मृत्युदर को उस देश की सामाजिक–आर्थिक स्थिति और वहां के रहन–सहन के आधार पर इस समस्या की गंभीरता को समझा है और शिशु के स्वास्थ्य तथा जीवन को महत्व देना प्रारम्भ किया है, ताकि शिशु मृत्यु दर को कम किया जा सके। किसी भी देश के सर्वांगीण विकास में शिशु जन्म और शिशु मृत्यु को अत्यन्त आवश्यक पहलू के रूप में देखा जाता है क्योंकि किसी भी देश का भविष्य उस देश की भावी सन्तान पर निर्भर करता है। जिस प्रकार अति जनसंख्या एक समस्या है, उसी प्रकार अत्यधिक शिशु मृत्यु दर भी एक समस्या है।

भारत की 1981 की जनगणना के अनुसार शिशु मृत्यु–दर प्रत्येक 1000 बच्चों पर 114 थी, यह 1991 की जनगणना में कम होकर 91 हो गई। यह एक शुभ परिवर्तन है। इससे स्पष्ट परिलक्षित होता है कि हमारी सरकार ने इस समस्या की तरफ ध्यान देना शुरू किया है। लक्ष्य है कि सन् 2000 तक हम अपने देश की शिशु मृत्यु दर 60 तक ले आएंगे। इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमारी छठीं एवं सातवीं पंचवर्षीय योजना में इसे राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम घोषित किया गया है।

सन् 1981 में शिशु मृत्यु दर 114 थी, नगरीय क्षेत्रों में यह दर 65 तथा ग्रामीण क्षेत्र में यह 124 थी। वहीं सन् 1991 में यह कम होकर 91 रह गई है। शहरी क्षेत्र में 58 और ग्रामीण क्षेत्र में 98 है। जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है, शिशु मृत्यु दर किसी देश के विकास का पैमाना बन गई है, अतः विकासशील देशों ने इस ओर विशेष रूप से ध्यान देना प्रारम्भ किया है। शिशु मृत्यु दर में कमी लाने में जहां चिकित्सा विज्ञान का महत्वपूर्ण योगदान है वहीं हमारी सामाजिक जागरूकता भी विशेष महत्व रखती है। प्राचीन समय में हमारे बच्चों और स्त्रियों की बीमारियों की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था और न ही सावधानी बरती जाती थी, लेकिन आज परिस्थितियों में परिवर्तन हो रहा है, और इस तरफ पर्याप्त ध्यान दिया जाने लगा है।

शिशु मृत्यु दर के कारणों पर ध्यान आकर्षित करने पर हम महत्वपूर्ण कारक के रूप में पौष्टिक आहार की कमी को पाते हैं। पौष्टिक आहार की कमी माता और बच्चे दोनों में समान रूप से देखने को मिलती है। एक अनुमान के अनुसार 60 प्रतिशत शिशुओं की मृत्यु जन्म के प्रथम माह में ही हो जाती है। इस प्रकार बड़ी संख्या में होने वाली मृत्यु समाज की जनसंख्यात्मक संरचना को बहुत प्रभावित करती है।

शिशु मृत्यु दर के कारकों से पूर्व भारत में जनसंख्या का आकार, मृत्यु, बच्चों की मृत्यु तथा शिशु मृत्यु को देखना भी आवश्यक है। यहां इस तथ्य पर ध्यान देना भी आवश्यक है कि बच्चे – आठ–दस वर्ष की आयु तक के होते हैं एवं शिशु नवजात से एक वर्ष तक के होते हैं।

भारत में जनसंख्या तीव्रगति से बढ़ रही है। सन् 1981 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 68,51,85,000 थी। 1991 की

शिशु मृत्यु–दर कम करने के लिए गर्भवती महिला को पौष्टिक आहार देना जरूरी

जनगणना के अनुसार यह 84,83,02,688 थी। अर्थात 10 वर्षों में भारत की जनसंख्या में लगभग 15 करोड़ की वृद्धि हो गई है और अब हमारी आबादी एक अरब हो गई है। हालांकि हमारी सरकार व्यापक पैमाने पर कार्यक्रम चलाकर जनसंख्या को कम करने के प्रयास कर रही है लेकिन जनसंख्या के क्षेत्र में हम वांछित सफलता पाने में नाकामयाब रहे हैं।

भारत में कुल जनसंख्या में बच्चों का प्रतिशत लगभग 40 है। इनमें हम नवजात शिशु से लेकर 14 वर्ष की आयु–समूह के बच्चों को शामिल करते हैं। उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर में कमी बच्चों की जनसंख्या निर्धारण के महत्वपूर्ण पहलू हैं। सन् 1981 में जन्म दर 33.3 थी, लेकिन यह ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ी ज्यादा थी। 1970 में ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म दर 38.09 थी जो कि 1981 में घटकर 34.8 हो गई। अतः इस प्रकार जन्म दर के कम होने से कुल जनसंख्या पर उतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना कि बच्चों की कुल जनसंख्या पर पड़ता है अर्थात सम्पूर्ण जनसंख्या में बच्चों का प्रतिशत कम हो जाता है। जन्म दर से आई कमी कई एक कारणों का प्रतिफल है, परन्तु दो पहलू इसमें विशेष रूप से दृष्टिगोचर होते हैं। एक तो विवाह–योग्य आयु में थोड़ी वृद्धि हुई है, दूसरे लोगों ने परिवार नियोजन के एकाधिक उपायों का प्रयोग कर अपने परिवार को नियोजित करना शुरू कर दिया है। हम पाते हैं कि आज का युवा परिवार के दायित्वों को निभाने के लिए पहले से अधिक जागरूक दिखाई देता है चाहे वह पत्नी का स्वास्थ्य हो, बच्चों की शिक्षा हो अथवा कोई अन्य मुद्दा हो, और इन सभी के बेहतर विकास के लिए वह अपने साधनों का भी आकलन करता है और पाता है कि इन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उसे अपने परिवार को छोटा रखना एक अनिवार्य शर्त है।

अगले पृष्ठ पर दी गई तालिका से स्पष्ट परिलक्षित होता है कि हमारे देश में शिशु मृत्यु दर में कमी आती जा रही है तथा पिछले दस वर्षों में यह कमी काफी स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। शिशु मृत्यु को उसकी अवधि के आधार पर तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है –

- प्रीनैटल
- नीओ नैटल
- पोस्ट नीओ नैटल

प्रीनैटल – यह अवस्था शिशु के जन्म लेने से सात दिन तक मापी जाती है। कुल शिशु मृत्यु में एक तिहाई इसी स्तर पर हो जाती है। यह बहुत अधिक नाजुक अवस्था समझी जाती है। इसी अवस्था में शिशु को बहुत अधिक देखभाल की आवश्यकता होती है।

नीओ नैटल – यह अवस्था 8 दिन से लेकर 29 दिन तक रहती है। इस अवधि में शिशु मृत्यु की घटना शहरों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक आंकी गई है। उदाहरण के लिए 1978 और 1980 की अवधि के मध्य इस तरह की शिशु मृत्यु ग्रामीण क्षेत्रों में 53 से 63 हो गई, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह लगभग 10 प्रतिशत कम आंकी गई थी।

पोस्ट नीओ नैटल – यह अवस्था एक माह से एक वर्ष की अवधि तक रहती है। यह पहली दोनों अवस्थाओं की तुलना में अधिक सुरक्षित अवस्था है। पिछले दो दशकों में इस अवस्था की शिशु मृत्यु की घटनाओं में कमी आई है। अब यह 64 प्रतिशत से घटकर 52 प्रतिशत ही रह गई है।

तालिका – 1

भारत में शिशु मृत्यु दर

वर्ष	ग्रामीण	नगरीय	कुल
1970	136	90	129
1971	138	82	129
1972	150	85	139
1973	143	89	134
1974	136	74	126
1975	151	84	140
1976	139	80	129
1977	140	81	130
1978	136	71	126
1979	130	72	120
1980	124	65	114
1991	98	58	91

स्रोत – वाइटल स्टैटिस्टिक्स डिवीजन, आफिस आफ दी रजिस्ट्रार जनरल 1981 सैन्सस आफ इण्डिया, सिरीज –1

शिशु मृत्यु की घटनाओं को कई तत्व प्रभावित करते हैं, जिन्हें मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है :

1. अन्तर्जात कारक

यह कारक प्राकृतिक स्थिति से सम्बद्ध है। यहा माता और शिशु को एक जैविक इकाई के रूप में देखा जाता है। अन्तर्जात कारकों से होने वाली शिशु मृत्यु की संख्या 60 से नीचे है। अन्तर्जात कारकों में मृत्यु का मुख्य कारण प्रसव संबंधी जानकारी का अभाव है। साथ ही प्रसव–पूर्व की परिस्थितियां तथा जन्म की प्रक्रिया भी शिशु मृत्यु के लिए उत्तरदायी हैं। जन्म से चार सप्ताह के अन्दर होने वाली मृत्यु में अधिकांशतः अन्तर्जात कारकों का ही हाथ होता है।

2. बहिर्जात कारक

ये कारक मुख्य रूप से उस बाहरी वातावरण से संबंधित होते हैं जिसमें कि शिशु जन्म लेता है। बहिर्जात कारकों से होने वाली शिशु मृत्यु की संख्या 60 से 100 के बीच होती है। बहिर्जात कारकों से होने वाली शिशु मृत्यु मुख्यतः संक्रमण, वायरस या श्वसन संबंधी बीमारियों से होती है। इससे होने वाली मृत्यु मुख्यतः पोस्ट नीओनेटल अवस्था में बच्चे को ज्यादा प्रभावित करती है।

बहिर्जात कारकों से होने वाली शिशु मृत्यु को नियंत्रित करना अन्तर्जात कारकों की तुलना में सरल होता है। वर्तमान समय में शिशु मृत्यु दर में कमी लाने में मुख्यतः इन दोनों कारकों को नियंत्रित करना रहा है। इसमें हमने बहिर्जात कारकों को नियंत्रित करने में अधिक सफलता प्राप्त की है। हालांकि अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में सभी लोगों को शुद्ध पानी तक उपलब्ध करा पाना संभव नहीं हुआ है, इसीलिए ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु मृत्यु दर अपेक्षाकृत अधिक है। इसके साथ ही ग्रामीण अंधविश्वासों और बेटे को प्राथमिकता के कारण बेटी शिशु मृत्यु बेटे की अपेक्षा अधिक देखने को मिलती है।

चिकित्सा एवं कुपोषण : अन्तःसंबंध

हम सामाजिक–आर्थिक और सांस्कृतिक कारकों के आधार पर भारत को विविधताओं वाले देश के रूप में जानते हैं। जाति, वर्ग व्यवसाय, आय, ग्रामीण–शहरी विभेद तथा पारिवारिक संगठन संबंधी विविधता यहां देखने को मिलती है। ये ही सामाजिक–आर्थिक तथा सामाजिक–सांस्कृतिक कारक हमारे रहन–सहन, खान–पान की गुणवत्ता, हमारे पोषण संबंधी मूल्यों और चिकित्सा–सुविधा के उपयोग को प्रभावित करते हैं। इन सभी में हमें एक सीधा अन्तर्सम्बन्ध देखने को मिलता है। ऐसी बहुत सी बीमारियों होती हैं जिनमें चिकित्सा सुविधाओं का उपयोग नहीं किया जाता है। साथ ही परम्परागत कारणों तथा

आज का युवा परिवर के दायित्वों को निभाने के लिए पहले से अधिक जागरूक दिखाई देता है चाहे वह पत्नी का स्वास्थ्य हो, बच्चों की शिक्षा हो अथवा कोई अन्य मुद्दा हो, और इन सभी के बेहतर विकास के लिए वह अपने साधनों का भी आकलन करता है और पाता है कि इस सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उसे अपने परिवार को छोटा रखना एक अनिवार्य शर्त है।

सामाजिक परिपाटी की वजह से पौष्टिकता विहीन आहार लिया जाता है। कई बार भोजन को पकाने का तरीका त्रुटिपूर्ण होने से भोजन के पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। कुछ ऐसी वस्तुओं को निषेधित कर दिया जाता है जो कि पौष्टिकता के लिए आवश्यक होती हैं। इन सभी कारणों से भी प्रीनेटल एवं पोस्टनैटल शिशु मृत्यु की घटनाएं घटती हैं। ये परम्पराएं और सामाजिक परिपाटियां अलिखित रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तान्तरित होती रहती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग बिना किसी सोच–विचार के इन्हें अपना लेते हैं, जिससे रोजमर्रा के जीवन में इसकी जड़ें गहरी हो जाती हैं। शहरों में प्रवास का भी इस पर कोई खास असर नहीं पड़ता।

शिशु मृत्यु की घटना चिकित्सा–सुविधा के उपयोग और पौष्टिक आहार से घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध है। भोजन अगर पोषक तत्वों से युक्त होगा तो बच्चों के कुपोषण के शिकार होने की घटना नहीं होगी।

भारत में चिकित्सा सुविधा अभी भी पूर्ण विकसित रूप में देखने को नहीं मिलती है। स्वास्थ्य के बारे में हमारे देश का वातावरण संतोषजनक नहीं है। ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में एक बड़ा समूह कुपोषण का शिकार

है। इन दोनों ही क्षेत्रों में अधिकांश लोग पौष्टिक आहार लेने के बारे में जागरूक नहीं हैं। उन्हें इस बारे में वैज्ञानिक तो दूर, सामान्य जानकारी भी नहीं है। अगर अधिकांश जनसंख्या को पौष्टिक आहार उपलब्ध हो तो चिकित्सा सुविधा का अभाव होते हुए भी सामान्यतः लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहता है। पौष्टिक आहार के बारे में समुचित जानकारी ही शिशु मृत्यु–दर को कम करने में सहायक हो सकती है। हमारे देश की वर्तमान स्थिति को देखा जाए तो पौष्टिक आहार तो बहुत दूर की बात है हम पूरी जनसंख्या को शुद्ध पेयजल भी उपलब्ध कराने में असमर्थ हैं। पर्याप्त पौष्टिक आहार का उपलब्ध न होना ही शिशु मृत्यु का एक बड़ा कारण है। यह भारत के संदर्भ में और भी सटीक बैठता है, क्योंकि यहां विभिन्न आय वर्ग के साथ ही शहरों का एक बड़ा भाग गंदी बस्तियों (स्लम) में रहता है। पर्याप्त शिक्षा का अभाव भी पौष्टिकता विहीन भोजन लेने का एक महत्वपूर्ण कारक है। अतः निम्न आय वर्ग के क्षेत्रों में, विशेषतः गंदी बस्तियों (स्लम) में, शिक्षा के समुचित विकास द्वारा पौष्टिक आहार के बारे में जागरूकता लाने की आवश्यकता है। इस क्षेत्र में शिक्षाविदों द्वारा कुछ प्रयास किए गए हैं।

पोषण के अलावा कुछ और भी ऐसे कारक हैं जिन्हें हम शिशु मृत्यु के संदर्भ में नकार नहीं सकते। ये न केवल भारत अपितु विश्व के अन्य देशों में भी शिशु मृत्यु के लिए उत्तदायी हैं। ये विभिन्न कारक हैं, बच्चे के जन्म के समय माता की उम्र, बच्चे का नम्बर, बच्चों की संख्या, दो बच्चों के बीच का अन्तर। ये सब कारक भी शिशु मृत्यु में अहम भूमिका निभाते हैं। जो स्त्रियां 20 वर्ष से कम उम्र में मां बनती हैं उनके बच्चों को शिशु मृत्यु का खतरा अपेक्षाकृत अधिक रहता है। 25 से 30 वर्ष के मध्य मां बनने वाली स्त्रियों को शिशु मृत्यु का सबसे कम भय रहता है। 30 वर्ष से अधिक आयु में मां बनने पर भी खतरा अधिक ही रहता है और जैसे–जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे–वैसे खतरा भी बढ़ता जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि 25 से 30 वर्ष के बीच मां बनना शिशु मृत्यु के संदर्भ में सबसे अधिक सुरक्षित समय हैं। पहले नम्बर के बच्चे को दूसरे नम्बर के बच्चे की तुलना में शिशु मृत्यु का खतरा अधिक रहता है। दो संतानों के बीच पाया जाने वाला कम अंतराल न केवल शिशु मृत्यु के लिए खतरा है अपितु इससे बच्चे के वजन तथा आकार पर भी प्रभाव पड़ता है। समय–पूर्व संतान का प्रसव भी इस क्षेत्र में अपना महत्व रखता है। कुछ बीमारियां भी ऐसी होती हैं जो शिशु मृत्यु को बढ़ाती हैं, जैसे – टिटनेस, ब्रोकांइटिस, निमोनिया, श्वासावरोध, डायरिया तथा कुपोषण जनित कुछ रोग।

उपर्युक्त वर्णित बीमारियां कुपोषण से प्रभावित बच्चों को ज्यादा शिकार बनाती हैं। बच्चे के कुपोषित होने का संबंध सामाजिक–सांस्कृतिक और सामाजिक–आर्थिक स्थिति से है। अतः हम कह सकते हैं कि शिशु मृत्यु, बाल रोग और सामाजिक–आर्थिक–सांस्कृतिक–शैक्षिक परिवेश परस्पर अन्तर्संबंधित हैं। इस प्रकार जनसंख्या की गत्यात्मकता का सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक व्यवहारों पर पड़ने वाला प्रभाव बड़ा सार्थक है।

सदस्यता कूपन

मैं/हम कुरुक्षेत्र का नियमित ग्राहक बनना चाहता हूं/चाहते हैं।

शुल्क : एक वर्ष के लिए 70 रुपये का
दो वर्ष के लिए 135 रुपये का
तीन वर्ष के लिए 190 रुपये का

(जो लागू नहीं होता, उसे कृपया काट दें)

डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर क्रमांक ..... दिनांक ..... संलग्न है।

नाम (स्पष्ट अक्षरों में) .....

पता .....

.....

पिन .....

इस कूपन को काटिए और इस पृष्ठ की पिछली ओर बने बाक्स के नं. 3 में दिए गए पते पर भेजिए।

शिशु मृत्यु के संदर्भ में जो आंकड़े प्रकाश में आते हैं सामान्यतः वे पूरे नहीं होते हैं क्योंकि हमारे देश में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसव घर पर ही करवाने को अच्छा माना जाता है और ऐसे समय घर पर होने वाली मृत्यु का रिकार्ड कहीं भी दर्ज नहीं हो पाता है। नीओ–नैटल मृत्यु मुख्य रूप से प्रसव–पूर्व की स्थितियों से सम्बन्धित होती है जैसे निर्धारित समय से पूर्व बच्चे का पैदा होना, जन्म लेते समय लगने वाली चोट तथा प्रसव संबंधी पूर्ण जानकारी का अभाव, विशेषकर गांव की दाई इत्यादि अगर प्रसव में सहायक हो तो शिशु मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है।

समाजशास्त्रीय दृष्टि से हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव शिशु मृत्यु के लिए उतना उत्तदायी नहीं है जितना कि सामाजिक–आर्थिक असमानताओं का होना, हालांकि इस बारे में हमें आंकड़े उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। हमारे देश में बड़ी संख्या में होने वाली शिशु मृत्यु की घटनाएं न तो कहीं दर्ज हो पाती हैं और न ही उनका कोई सही कारण पता चलता है। दूसरी तरफ शहरों और गांवों में अच्छे स्वास्थ्य के मानदण्ड भी अलग–अलग हैं। तीसरे विश्व के देशों में हमें मुख्यतः दो तरह की बीमारियां देखने को मिलती हैं :

- कुपोषण संबंधी बीमारियां और
- संक्रामक बीमारियां

विकासशील देशों में आज कुपोषण बहुत सामान्य मुद्दा है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने एक अध्ययन के आधार पर दर्शाया है कि एशिया के 90 प्रतिशत देशों में लोगों को उनकी आवश्यकता के अनुसार प्रोटीन और ऊर्जा की मात्रा उपलब्ध नहीं हो पाती है। सामाजिक–आर्थिक आधार पर हम कह सकते हैं कि बढ़ती हुई मूल्य–वृद्धि के कारण भी अधिकांश परिवार अपने सदस्यों को पौष्टिक आहार देने में समर्थ नहीं हो पाते हैं। आर्थिक आधार शिशु मृत्यु में एक निर्णायक भूमिका का निर्वाह करते हैं। कई अध्ययनों से यह स्पष्ट हो गया है कि आय जितनी कम होगी, शिशु मृत्यु उतनी ही अधिक होगी।

समुचित आजीविका का न होना, निम्न आय, अशिक्षा, गरीबी, रहन–सहन का नीचा स्तर प्रत्यक्ष रूप से शिशु के जीवित रह सकने का निर्धारण करने वाले तत्व है। अतः हम कह सकते हैं कि सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आधार, पौष्टिक आहार तथा शिशु मृत्यु में गहरा अर्न्तसबंध देखने को मिलता है।

अंत में हम कह सकते हैं कि आज की परिस्थितियों में शिशु मृत्यु को एक घटना न मानकर एक समस्या मानकर चलना चाहिए। जीवन के सभी क्षेत्रों में वांछित सुविधाएं प्रदान कर इसकी दर को कम करने का प्रयास किया जाना चाहिए। साथ ही उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि शिक्षा के औपचारिक और अनौपचारिक माध्यमों, जनसंचार माध्यमों तथा स्वास्थ्य प्रचार माध्यमों का समुचित उपयोग कर यदि जनसाधारण को शिशु मृत्यु दर से सम्बन्धित विविध पहलुओं पर जानकारी दी जाए और साथ ही उपलब्ध वैज्ञानिक उपायों से भली प्रकार अवगत कराया जाए तो निश्चय ही इस समस्या को पूर्ण रूप से सुलझाया जा सकता है। ❑

1. हम दिल्ली से योजना **अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू, पंजाबी और उड़िया में**
   कुरुक्षेत्र **हिन्दी और अंग्रेजी में**
   आजकल **हिन्दी और उर्दू में**
   और बच्चों की पत्रिका बाल भारती **हिन्दी में** प्रकाशित करते हैं।
2. डिमांड ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर निदेशक प्रकाशन विभाग को नई दिल्ली में देय होना चाहिए।
3. यह कूपन विज्ञापन और प्रसार संख्या प्रबंधक, प्रकाशन विभाग, ईस्ट ब्लाक 4, लेवल–7, आर.के. पुरम, नई दिल्ली–110066 के पते पर भेजिए।
4. सदस्य बनने के लिए आप हमारे निम्नलिखित केन्द्रों पर भी सम्पर्क कर सकते हैं :

   प्रकाशन विभाग : पटियाला हाउस, तिलक मार्ग, नई दिल्ली–110001; सुपर बाजार (दूसरी मंजिल), कनाट सर्कस, नई दिल्ली–110001; कामर्स हाउस, करीमभाई रोड, बालार्ड पायर, मुंबई–400038; 8, एस्प्लेनेड ईस्ट, कलकत्ता–700069; राजाजी भवन, बेसेंट नगर, चेन्नई–600090; बिहार राज्य सहकारी बैंक बिल्डिंग, अशोक राजपथ, पटना–800004; निकट गवर्नमेंट प्रेस, प्रेस रोड, तिरुअनंतपुरम–695001; 27/6, राम मोहन राय मार्ग, लखनऊ–226019; राज्य पुरातत्वीय संग्रहालय बिल्डिंग, पब्लिक गार्डन्स, हैदराबाद–500004; प्रथम तल, 'एफ' विंग, केंद्रीय सदन, कोरा मंडल, बंगलौर–560034; सम्पादक, पेयोभरा, नौझम रोड, उजान बाजार, गुवाहाटी–1; सम्पादक, योजना (गुजराती), राम निवास, पालदी बस स्टाप के पास सरखेज रोड, अहमदाबाद

   पत्र सूचना कार्यालय : सी.जी.ओ. काम्पलैक्स, 'ए' विंग, ए.बी. रोड, इंदौर (म.प्र.); 80, मालवीय नगर, भोपाल–462003; के–21, नंद निकेतन, मालवीय मार्ग, 'सी' स्कीम, जयपुर–302003
5. शुल्क प्राप्त होने के बाद नियमित रूप से पत्रिका के अंक मिलने शुरू होने में आठ से दस सप्ताह का समय लगता है।

कहानी

हारे हुए

सुरेन्द्र तिवारी

बहुत देर से टकटकी बांधे उधर ही देख रहे थे वे। आंखों के आगे धुंधलापन छाया हुआ था। वे कुछ चकित भी हुए। आंखें तो उनकी बिलकुल ठीक–ठाक हैं। इस उम्र में आकर चश्मे के बिना तो शायद किसी का काम नहीं चलता। किंतु वे इससे मुक्त थे। दूर और पास सब कुछ ठीक–ठाक। फिर आज क्या हुआ? अचानक आंखें धुंधलाने क्यों लगीं? सामने जो लोग आ–जा रहे हैं, कुछ उनकी तरफ देख–देखकर जरूर कुछ बातें भी कर रहे हैं, उन्हें वे लोग छायाओं की तरह क्यों दीख रहे हैं।

अपने गमछे के कोने को उन्होंने अपनी आंखों की कोर पर बारी–बारी से रखा। कुछ देर तक आंखों को दबाया। हां, अब सब ठीक है। तो यह आंखों के अंदर का गीलापन था जिसने बाहर के सब कुछ को धुंधला–धुंधलाकर रखा था। वह सामने हरिहर खड़ा है। हरिहर पांडे। एक विजेता की तरह तना हुआ। आज भी उसके हाथ में लंबी लाठी है। अब उसे क्या भय है? .....वह धनिया गोंड़ ....वह ..... हांसीराम .....वह भरतू मल्लाह .....हां, अब सब ठीक है। हरिहर उन लोगों से कुछ कह रहा है। शायद जल्दी–जल्दी काम करने के लिए कह रहा होगा। बहुत जल्दी–जल्दी काम करने के लिए कह रहा होगा। बहुत जल्दी है उसे। उनकी तरफ न देखने का अभिनय करते हुए भी शायद उन्हें ही देख रहा है। धनिया और भरतू सिर पर टोकरी रखकर ऊपर खेतों की ओर जा रहे हैं। कई दूसरे मजदूर खेतों की तरफ से गड्ढे की ओर आ रहे हैं। मिट्टी से भरी टोकरियां लेकर।

सामने के गड्ढे की भराई आज शुरू हो गई थी।

नीम के पेड़ तो दो दिन पहले ही कट चुके थे।

दो दिन पहले का समय याद कर उनके बदन में झुरझुरी फैल गई। जैसे कोई भयावह दृश्य सामने हो, ऊपर से नीचे तक कंपा देने वाला। रोम–रोम में सिहरन भर देने वाला।

नीम के पेड़ की जड़ों पर चलता हुआ आरा उन्हें अपनी गरदन पर चलता हुआ महसूस होता रहा था। वे घर की दलान से लेकर कटते पेड़ों के बीच हताश घूम रहे थे। चेहरे पर दर्द की रेखाएं दूर से ही चमक रही थीं। जैसे आरे का एक–एक दांत उनकी गरदन में फंसता जा रहा हो। दर्द से कराह रहे थे पर चुप रहने को, चुप रहकर दर्द को सहने को विवश थे। नीम के पेड़ कटकर हरहराकर गिरते तो उनकी आंखें नाचने लगतीं। वे अपने पैरों का संतुलन खो देते। मुश्किल से उन घड़ियों में अपने को संभाला था। और आज सामने का गड्ढा भी भरा जा रहा है।

कितनी कोशिश की थी इन सबको बचाने की। कम से कम नीम के पेड़ तो बच जाएं। ये पेड़ थोड़े ही थे, इनके साथ तो उनका पूरा जीवन जुड़ा हुआ था। पेड़ों की सरसराती हवा के साथ जैसे उनकी एक–एक सांस चलती थी। बचपन से लेकर अब तक। एक अटूट संबंध, गहरा लगाव।

बचपन में अपने हाथों से रोपा था इन्हें। पिता के साथ। पिता कहते – 'मेरे बाप–दादों ने आम–महुआ, जामुन के कितने बगीचे लगाए थे, आम के कुछ पेड़ मैंने भी लगाए हैं तुम्हारे लिए। घर का पेड़ हो तो फल, लकड़ी सब कुछ सुविधापूर्वक मिल जाता है। तुम भी कुछ पौधे जरूर रोप जाना, अपने बच्चों के लिए। तब पिता की बातें पूरी तरह समझ में नहीं आती थीं किंतु मन में यह बात बैठ गई थी कुछ पेड़–पौधे तो लगाने ही हैं। एक दिन कहीं से नीम का एक छोटा पौधा मिल गया। दौड़े–दौड़े आए थे, बाबूजी, यह पौधा मैं द्वार के सामने गड्ढे के पास लगा दूं?'

पिता मुस्कराते हुए बोले थे, 'हां–हां, क्यों नहीं। नीम का पेड़ तो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है।'

अपने हाथों से रोपा गया वह पौधा, पानी से सींचा गया पौधा, धीरे–धीरे बड़ा हुआ था। रोज सुबह उठकर देखते कितना बड़ा हुआ। जानवरों से बचाने के लिए पौधे के चारों तरफ बांस का बेड़ा बना दिया था। यह भी पिता ने ही सिखाया था।

उनके साथ–साथ वह पौधा भी बड़ा हुआ था। फिर दूसरा पौधा लगा, फिर तीसरा। इतने बड़े द्वार पर नीम के तीन–तीन विशाल पेड़। हरे–भरे–लहराते। तीसरा पेड़ तो पिता के बाद ही लगा था, शायद उनकी याद में ही। मन में कहीं यही रहा होगा, नहीं तो उस पौधे को रोपते वक्त पिता ही क्यों बार–बार याद आते? पिता के लगाए आम के पेड़ तो हर मौसम में फल देते ही हैं, पर अपने लगाए पेड़ों का जो एक सुख था, उसका वे वर्णन कैसे करते!

इतने वर्षों में घर का कूड़ा, आस–पास की मिट्टी, उन पेड़ों के पास जमती गई थी और गड्ढा भरता गया था। काफी दूर तक का गड्ढा अब द्वार का हिस्सा बन गया था। कई बार वे खुद भी खेतों से मिट्टी ला–लाकर पेड़ों के आसपास डालते रहते।

गर्मी के दिनों में जब भी कहीं से थके हारे लौटते, इन नीम के पेड़ों का सहारा उन्हें मिलता। किसी पेड़ के नीचे खाट डालकर आराम से लेट जाते। नीम के पत्ते झुरझुर सरसराते रहते और बदन का पसीना हवा के बीच कहीं खोता जाता। यही नहीं, दूर–दूर से गांव में हित–पाहुना बनकर आए व्यक्ति भी कुछ देर इन पेड़ों के नीचे बैठकर आराम कर लेते। कहते – 'सच, पंडितजी तो स्वर्ग–सुख भोगते हैं।'

लोगों की बातें सुनकर वे अंदर बाहर से प्रफुल्लित हो उठते। पेड़ों पर की गई अपनी मेहनत चौगुने रूप में सार्थक लगती। और फिर सामने का यह गड्ढा।

कितनी–कितनी स्मृतियों से जुड़ा हुआ यह गड्ढा। बचपन से लेकर अब तक उनके जीवन के साथ जुड़ा गड्ढा। उन्हें याद है, पहले बहुत गहरा था यह। हाथी डूब जाए इतना पानी बराबर रहता था इसमें। बाद में धीरे–धीरे आस–पास की मिट्टी बरसात में बहकर इसमें जमती गई थी। अब यह गड्ढा

उतना गहरा नहीं है फिर भी हाथी डूब जानेवाला उदाहरण उन्हें बराबर याद रहता है। जब भी वे इस बात को याद करते हैं, होठों पर एक सरल मुस्कान फैल जाती है। उन्हें लगता है, उनकी यह मुस्कान हमेशा एक जैसी ही रही है, सरल सहज।

तब उनकी उम्र ज्यादा नहीं थी, यही बारह–तेरह वर्ष। गांव में किसी बारात में दो–तीन हाथी भी आए थे। वे भी दूसरे बच्चों के साथ इधर–उधर घूमकर हाथी–घोड़े की बारात देख रहे थे। शामियाने में विदेशिया नाच हो रहा था। लोग उसमें मस्त थे। उनके मन में न जाने क्या सूझा कि चुप बैठे एक हाथी पर चढ़ गए और अंकुश हाथ में थाम ली। तब एक ही बात दिमाग में कौंध रही थी – देखूं यह हाथी उस गड्ढे के पानी में डूबता है या नहीं। इस हाथी को उस गड्ढे तक ले जाना है। पर हाथी ठहरा हाथी। एक अनजान आदमी के हाथ में अंकुश देखते ही बिगड़ गया। खड़ा होकर लगा झूमने, चिंघाड़ने। वह तो महावत नजदीक था, किसी तरह से बच गए, वर्ना.....

उस दिन घर लौटने पर पिता ने जोरदार पिटाई की थी। अपने खाली क्षणों में अक्सर वे उन दिनों को याद कर लेते हैं, स्मृतियां। बिना पानी की मछली की तरह उछलती–तड़पती–कौंधती हुईं स्मृतियां, कभी मौज में भी आनन्द लेने के लिए अपने बीते दिनों की बातें सुनाया करते थे। बाढ़ आती तो गड्ढा ही नहीं, पूरा गांव पानी में डूब जाता। नौकाओं पर बैठकर ही इधर–उधर आना जाना हो पाता। कोई मर जाता तो उसे जलाने की जगह न होती। गांव से बहुत दूर ले जाकर पानी में ही लाश को फेंक देते।

समय कितनी जल्दी बदल जाता है। कभी जिस गड्ढे को लेकर वे इतने आत्म–विभोर रहते थे बाद में उसी गड्ढे की ओर देखने से भी वे जैसे डरने लगे थे। न जाने कैसा भय मन में समा गया था।

हरिहर ने ऐसा क्यों किया? उसके पास क्या जमीन की कमी है? पूर्वजों द्वारा जो बंटवारे होते थे उनमें लिखा पढ़ी कहां होती थी। सब कुछ जुबान की सच्चाई और अपनी ईमानदारी पर ही निर्भर था। यह गड्ढा भी तो इसी तरह उनके पूर्वजों को मिला होगा। घर

के सामने का गड्ढा भला दूसरे का हो ही कैसे सकता है? हरिहर माने तब न! उसका तो कहना था, यह गड्ढा उसके खेत से लगा हुआ है। इसलिए उसका है। उसके खेत का ही एक हिस्सा है।

बहुत समझाया था हरिहर को। पंचायत भी बिठाई थी। पर उसके दिमाग में तो यह गड्ढा ही बसा था। तमाम कोशिशों के बावजूद वे हरिहर को मुकदमे से नहीं रोक पाए थे।

इस मुकदमें में बहुत कुछ खो दिया था उन्होंने। कई बीघे जमीन बिक गई थी। घर का बहुत कुछ नष्ट हो गया। परंतु उन्होंने हार नहीं मानी थी। यह बिलकुल द्वार के सामने का गड्ढा.....गड्ढे के ऊपर नीम के लहराते पेड़.....नहीं, यह दूसरों का नहीं हो सकता।

उन्हें विश्वास था, इस काम में घर के लोगों का सहयोग उन्हें अवश्य मिलेगा। यह लड़ाई सिर्फ उनकी ही लड़ाई तो थी नहीं, घर के हर सदस्य की लड़ाई थी। पूर्वजों की इज्जत की लड़ाई थी। छोटा भाई शहर में था, नौकरी कर रहा था। काफी दिनों तक उसकी मदद मिलती रही। पर एक दिन छोटे भाई ने साफ कह दिया – "अब यह मुकदमा तो हमें भिखारी बनाकर छोड़ेगा। एक कट्ठा जमीन के लिए न जाने कितने कट्ठे चले गए। फिर भी..... आखिर आप मान ही क्यों नहीं जाते कि यह जमीन हरिहर की है।"

'हरिहर की? यह भाई क्या कह रहा है? वे क्या एक कट्ठा जमीन के लिए लड़ रहे हैं? नहीं, यह जमीन नहीं है, यह तो जिंदगी है। जिस जमीन पर, जिस पेड़ के नीचे जिंदगी के साठ साल बीत गए, उसे दूसरों के हवाले कर दें? क्या अपनी मर्यादा भूल जाएं?'

उन्होंने छोटे भाई से इतना ही कहा था – "सवाल जमीन का नहीं है, अपनी इज्जत का, मर्यादा का, मान–अपमान का है। कोई सिर पर आकर बैठ जाए, टट्टी–पेशाब करे, यह कैसे सहा जा सकता है?"

वे समझ गए थे, छोटे भाई से अब उन्हें कोई मदद नहीं मिलेगी। हुआ भी ऐसा ही था। छोटे भाई के मन में जैसे कोई भय समा गया था। कुछ दिनों बाद ही उसने सब कुछ बंटा लिया था – खेत, बगीचे, घर, सबकुछ। बंटवारे के पहले और बंटवारे के बाद भी अक्सर उसके मुख से सुना जाता – भैया तो पागल हो गए हैं। सठिया गए हैं। जमाने को नहीं समझते और अंगुल भर जमीन के लिए अपना सब कुछ नष्ट कर रहे हैं।

घर छोड़कर उसने सारी जमीन बेच दी थी। उसे विश्वास था, घर की देखभाल भैया करते रहेंगे। अगर कभी गांव में आना हुआ, शादी–विवाह, दुख–सुख तो लगा ही रहता है, तो रहने की जगह तो चाहिए न।

छोटे भाई के इस व्यवहार ने उन्हें तोड़ दिया। अपने दुख को अपने अंदर छिपाए वे चुप द्वार पर पड़े रहते। कहीं आने–जाने में विरक्ति होती। गांव में किसी के यहां भी उठना–बैठना बंद कर दिया, अक्सर खाट पर पड़े–पड़े कोई भजन गुनगुनाते रहते। हां, जब उनका बेटा अपना परिवार लेकर गांव में आता तो उसकी तीन साल की बेटी के साथ अक्सर उन्हें हंसते–खेलते भी लोग देख लेते।

उन्हें अपने बेटे से भी काफी उम्मीद थी। बड़ी मेहनत और कष्ट सहकर, उसे पढ़ा–लिखाकर इस योग्य बना दिया था कि अब वह चार्टर्ड एकाउंटेंट था, किसी बड़ी कम्पनी में। पर लड़के ने भी उन्हें खासा नाउम्मीद किया था। वह अपना परिवार शहर में ही रखने लगा था। गांव में कभी साल दो साल पर आ जाता और आठ–दस दिन रहकर चला जाता। पिछली बार जब आया था, उन्होंने स्पष्ट ही सारी स्थिति उसके समक्ष रख दी थी। मुकदमे के खर्चे का ब्यौरा भी सुना दिया था। सुनकर लड़का बेरुखी से बोला था, "इन फालतू कामों के लिए पैसा कहां है पिताजी! मैं तो खुद ही परेशान हूं। हर महीने मकान का किराया.....आप जानते नहीं, आजकल शहरों में किराया किस तरह आसामान छू रहा है। दो–ढाई हजार से नीचे तो कोई ढंग की कोठरी भी नहीं मिलती। सोचता हूं, एक छोटा–सा मकान बनवा लूं या खरीद लूं। पर पैसे ही पूरे नहीं होते। किराए के मकान में रहते–रहते तंग आ गया हूं। आप मेरी बात तो मानते नहीं, नहीं तो मैं कहता कि इन सब पचड़ों को छोड़कर आप भी हमारे साथ चलकर रहिए। यहां आप दिन रात झमेले में फंसे रहते हैं। वहां हम सबका साथ रहेगा।

"पर यहां जो जमीन जायदाद है..... उसका क्या होगा?" उनका निरीह–सा प्रश्न था।

"आप यह सब बेच डालिए।" लड़का झट बोला, इन्हीं पैसों से हम शहर में एक अच्छा–सा मकान खरीद लेंगे। आराम से रहेंगे। न होगा तो एक पोर्शन किराए पर दे देंगे, बैठे–बिठाए की इनकम हो जाएगी.....

वे टकटकी बांधे बेटे के चेहरे को देखते रहे, फिर शांत स्वर में बोले, "नहीं बेटा, तुम मुझे यहीं रहने दो, जब तक मैं हूं, इन चीजों की देखरेख करूंगा, उसके बाद तुम्हारी मर्जी....."

और बेटा सपरिवार शहर लौट गया था, एक गहरी निराशा के साथ।

दिन भर मजदूर गड्ढे की भराई में लगे रहे। पास के खेत से मिट्टी ला–लाकर गड्ढे में डाल रहे थे। उन्होंने सुना था, हरिहर अपना पक्का मकान यहां बनवायेगा, तीन मंजिला। गांव में सबसे आलीशान मकान। ठीक उनके घर के सामने। एक तरफ खंडहर–सा पुराना मकान और दूसरी तरफ नया चमचमाता भवन।

हरिहर के पास पैसा है। पैसा है तभी वह मुकदमा जीत गया। नीम के पेड़ कट गए। उन्होंने सोचा भी नहीं था, हरे लहलहाते पेड़ इस तरह कटकर जमीन पर पसर जाएंगे। गांव के लोगों ने भी हरिहर को समझाया था– पेड़ मत काटो। यों ही एक तरफ खड़े रहने दो। हरिहर नहीं माना था। छह कोस दूर जाकर उन्होंने थाने में भी रपट लिखवाई थी – नीम के हरे पेड़ों को काटने की तैयारी हरिहर पांडे कर रहा है। दरोगा से भी अनुनय–विनय किया था – पेड़ों को बचा लें। हरे पेड़ काटना अपराध है गैरकानूनी है। दरोगा ने आश्वासन भी दिया था, वह जरूर गांव में जाएगा, पेड़ नहीं कटेंगे।

किंतु हुआ क्या? पेड़ कट भी गए और दरोगा नहीं आया। दो दिनों बाद तक नहीं आया है। चौधरी रामदीन बता रहा था, हरिहर भी थाने गया था। अब दरोगा के आने की भला क्या उम्मीद। और आकर ही क्या करेगा? पेड़ तो कट गए। कटकर लाश की तरह जमीन पर पड़े हैं। कल से ही गांव के बड़े–बूढ़े–बच्चे डाल–पत्ते नोचने पर लगे हैं, जैसे मुर्दे के शरीर से कफन नोच रहे हों। वे बस फटी–फटी आंखों से सब कुछ देख रहे हैं। विवश, निःशब्द! रात का अंधेरा जब चारों तरफ फैलने लगा, मजदूर काम छोड़कर अपने–अपने घरों को लौट गए, वे उसी तरह अपनी जगह पर बैठे रहे। आज उन्हें न तो अंधेरे की चिंता थी, न लालटेन जलाने की फिक्र। हरखू के आने का समय भी हुआ है या नहीं, वे भूल गए थे। पिछले दो सालों से हरखू उनेक अकेलेपन का साथी है, रात ढलते ही वह आता। उसके साथ मिलकर वे द्वार पर ही आग जला लेते और कभी रोटी, तो कभी सत्तू वाली फूटहरी, तो कभी कुछ बना लेते। खाने पीने में उनकी रुचि खत्म हो गई थी पर जीना था इसलिए कुछ न कुछ पेट में डालना भी जरूरी था।

(शेष पृष्ठ 43 पर)

मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायतों की सामाजिक भूमिका

संगीता गोयल
डा. सुनील गोयल

किसी भी समाज की उन्नति भौतिक सुविधाएं उपलब्ध करा देने मात्र से नहीं हो सकती। उसके लिए उस समाज के सदस्यों, विशेष रूप से बच्चों, का शारीरिक और मानसिक विकास भी आवश्यक है। पंचायतें भी ग्रामीणों को पेयजल, सड़कें और आवास की सुविधा उपलब्ध कराकर अपने दायित्व की इतिश्री नहीं मान सकतीं। उन्हें ग्रामीणों के वास्तविक विकास के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी सुविधाओं पर भी ध्यान देना होगा। इस दृष्टि से पंचायतें अपनी भूमिका कैसे कारगर ढंग से निभा सकती हैं पढ़िए इसका लेखा–जोखा इस लेख में।

ग्राम पंचायतों को नागरिकों के विकास का केन्द्र बिन्दु बनाया गया है। ग्राम पंचायतों के सदस्यों का यह सर्वप्रथम कर्तव्य है कि जिन नागरिकों ने उन्हें अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में चुना है, उन सभी की सामाजिक, आर्थिक तथा अन्य जरूरतों का ध्यान रखें।

सामाजिक विकास क्या है?

क्या गांवों में आवास, सड़क, बिजली तथा पंचायत भवन का निर्माण करना ही विकास है? यदि गांव में रहने वाले नागरिक निरक्षर हैं, अस्वस्थ हैं, कुपोषण, खून की कमी तथा अन्य बीमारियों से ग्रस्त हैं, यदि शिशु को जन्म देते समय ही मां की मृत्यु हो जाती है, शिशु अनेक बीमारियों से जकड़ा है या एक वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्व ही उसकी मृत्यु हो जाती है, तो क्या वह गांव बिजली, सड़क आदि सुविधाएं होने के बाद भी विकसित कहलाएगा? स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। यदि हम ग्रामीण बच्चों को स्वस्थ तथा चुस्त नहीं बना पाए तो क्या ये ग्रामीण बच्चे, देश और विश्व के अन्य बच्चों के साथ कदम मिलाकर आगे बढ़ पाएंगे?

देश के अन्य राज्यों की तरह मध्य प्रदेश में ग्रामीण अंचलों का पिछड़ापन दूर करने में ग्राम पंचायतें निम्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं :

- स्वास्थ्य तथा पोषण,
- पीने का पानी और स्वच्छता,
- शिक्षा और साक्षरता,
- रोजगार,
- महिलाओं में जागृति और उनका विकास।

स्वास्थ्य संबंधी स्थिति और ग्राम पंचायतों की भूमिका

1911 में मध्यप्रदेश की जनसंख्या 194.4 लाख थी, जो 1991 में बढ़कर 661.4 लाख हो गई। राज्य में शिशु जन्म–दर अन्य राज्यों की तुलना में काफी ऊंची है। प्रति वर्ष यहां प्रति एक हजार की जनसंख्या के पीछे 35.8 बच्चे जन्म लेते हैं। इनमें से प्रति 1000 बच्चों में से 108 बच्चे एक वर्ष की उम्र प्राप्त करने से पूर्व ही मृत्यु का ग्रास हो जाते हैं। शेष बच्चों में से एक तिहाई विभिन्न बीमारियों तथा कुपोषण से ग्रस्त रहते हैं। जाहिर है, इन बच्चों का समुचित शारीरिक और मानसिक विकास नहीं हो पाता है और ये स्वस्थ और कुशल नागरिक बनने से वंचित रह जाते हैं।

पंचायत के स्वास्थ्य व्यवस्था संबंधी कर्तव्य

- शिशु रक्षा और सुरक्षित मातृत्व की व्यवस्था,
- परिवार कल्याण कार्यक्रम का क्रियान्वयन,
- टीकाकरण,
- वात्सल्य तथा आयुष्मति योजना का क्रियान्वयन,
- महामारी की रोकथाम,
- स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम पर निगरानी,
- अकाल तथा आकस्मिक मृत्यु की सूचना देना,
- ग्राम पंचायत स्तर के स्वास्थ्य कर्मियों के कार्य का निरीक्षण,
- सरकार के क्षय रोग नियंत्रण, कुष्ठ निवारण, मलेरिया उन्मूलन, फायलेरिया निवारण, अंधत्व निवारण आदि कार्यक्रमों के संबंध में लोगों को जानकारी देना और इनके क्रियान्वयन में मदद करना,
- आवारा पशुओं पर नियंत्रण।

प्रसव के समय महिलाओं की मृत्यु–दर कम करने में पंचायत की भूमिका

- ग्राम की सभी गर्भवती महिलाओं का ए.एन.एम. के पास पंजीकरण कराना,
- हर गर्भवती महिला को टी.टी. के दो टीके, फोलियर की एक खुराक और कम से कम तीन स्वास्थ्य जांच सुनिश्चित करना,
- पंचायत के माध्यम से तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से समय–समय पर दाई प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजित करना।

टीकाकरण

निर्धारित टीकाकरण से छह जानलेवा बीमारियों से बच्चों की रक्षा हो सकती है –

- पोलियो
- खसरा
- काली खांसी
- गल घोंटू
- टिटनेस
- क्षय रोग (टी.बी.)

टीकाकरण में ग्राम पंचायत की भूमिका

- गांव में निश्चित दिन पर टीकाकरण का आयोजन करना,
- यह सुनिश्चित करना कि गांव के सभी परिवार अपने बच्चों को टीकाकरण के लिए लेकर आएं,
- यदि गांव का कोई बच्चा टीकाकरण से छूट जाए तो उसे स्वास्थ्य केन्द्र पर टीकाकरण के लिए भेजने की व्यवस्था करना,
- टीके रखने के लिए बर्फ उपलब्ध कराना।

दस्त

मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाके में दस्त की बीमारी से अनेक बच्चे पीड़ित होते हैं, जिससे वे कुपोषित हो जाते हैं तथा कई बच्चों की मृत्यु भी हो जाती है। इस जानलेवा बीमारी से निपटने के लिए मध्य प्रदेश शासन ने डायरिया नियंत्रण के लिए राजीव गांधी मिशन की स्थापना की है।

दस्त लगने पर ग्राम पंचायत की भूमिका

- दस्त लगने पर ग्रामीणों को क्या करना है – इसकी प्रशिक्षण के माध्यम से सभी को जानकारी देना,
- गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर ओ.आर.एस. की उपलब्धि सुनिश्चित करना,
- पीड़ित बच्चों को गांव से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा नजदीक के नगर के अस्पताल तक ले जाने की व्यवस्था करना।

कुपोषण

यूनीसेफ द्वारा जारी राष्ट्रों की प्रगति रिपोर्ट पर गौर करें तो पता चलता है कि भारत में पांच वर्ष की उम्र से कम के 63 प्रतिशत बच्चे कुपोषण से पीड़ित हैं। भारतीय राज्यों की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में एक से

पांच वर्ष की उम्र के 55 प्रतिशत बच्चे गंभीर कुपोषण से पीड़ित हैं। इस कुपोषण की वजह से उनका पूरा मानसिक तथा शारीरिक विकास नहीं हो पाता है।

कुपोषण से बचाव में ग्राम पंचायत की भूमिका

कुपोषण से बचाव में पंचायतें माताओं को निम्नलिखित जानकारी दे सकती हैं :

- बच्चों को ज्यादा से ज्यादा मां का दूध पिलाने हेतु माताओं को प्रेरित करना,
- छह महीने से बड़े बच्चे को दूध के साथ–साथ उबली हुई मौसमी सब्जियां, फल, चावल, दाल इत्यादि देना,
- बच्चों को खाना खिलाते समय साफ–सफाई पर विशेष ध्यान देना,
- बच्चों को दिन में पांच–छह बार थोड़ा–थोड़ा करके खिलाना।

आंगनवाड़ी योजना

मध्य प्रदेश के जिन गांवों में आंगनवाड़ी स्थापित है, वहां के ग्राम पंचायत के सदस्यों, विशेषकर महिला सरपंचों, को सुनिश्चित करना चाहिए कि आंगनवाड़ियां सुचारू रूप से चल रही हैं और गांव के सभी छोटे बच्चे (छः वर्ष की उम्र तक), गर्भवती महिलाएं, छोटे बच्चों को दूध पिलाने वाली माताएं उसका लाभ प्राप्त कर रही हैं। आंगनवाड़ी के माध्यम से बच्चों और माताओं के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और विकास के लिए योजना चलाई जाती है।

आंगनवाड़ी में निम्नलिखित सेवाओं का आयोजन किया जाता है :

- पोषण आहार
- टीकाकरण
- स्वास्थ्य जांच और परीक्षण
- स्कूल पूर्व शिक्षा/शिशु शिक्षा
- स्वास्थ्य संबंधी जानकारी,
- बच्चों के वजन की निगरानी।

पीने का पानी और स्वच्छता

मध्य प्रदेश में बच्चों की ऊंची मृत्यु–दर का एक बड़ा कारण दस्त और पेचिश भी है। जल और मल से अनेक गंभीर रोग होते हैं, जैसे :

जल–जनित रोग

- दस्त
- मलेरिया

मल–जनित रोग

- हैज़ा
- टायफाइड, पीलिया
- जियारडीसीस
- नारू
- पेट में कीड़े

राज्य के अनेक ग्रामीण इलाकों में शुद्ध पेयजल के स्रोत और साफ–सफाई के अभाव के कारण लोगों, विशेषकर बच्चों, के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ता है। पंचायती राज में त्रिस्तरीय पंचायतों को स्वच्छ पेयजल और ग्रामीण स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण दायित्व सौंपे गए हैं। अपने क्षेत्र में ग्राम पंचायत को यह सुनिश्चित करना है कि हैंडपंप का उपयोग लोगों द्वारा सुविधापूर्वक किया जाए, जगह साफ रखी जाए और पानी इकट्ठा न होने दिया जाए ताकि गंदगी और मच्छर न हों।

ग्रामवासियों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए ग्रामीण स्वच्छता का बहुत महत्व है। स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों का निर्माण हर घर में आवश्यक है। गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के लिए व्यक्तिगत शौचालयों का व्यापक कार्यक्रम पूरे प्रदेश में लागू किया गया है। इसके अंतर्गत गरीबी की रेखा के नीचे के परिवारों को शासन से 80 प्रतिशत अनुदान और लाभार्थी को बीस प्रतिशत अपना अंशदान लगाकर 2,500 रुपये की लागत का एक शौचालय तैयार करना होता है। इसका सीधा संबंध लोगों के स्वास्थ्य और महिलाओं की प्रतिष्ठा से है।

शिक्षा तथा साक्षरता

ग्रामवासियों को स्वयं ही महसूस होता है कि कम शिक्षा या निरक्षरता के कारण वे आज की दुनिया में काफी पिछड़ जाते हैं। अन्य राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश के ग्रामीण शिक्षा प्राप्ति में काफी पीछे हैं। पूरे प्रदेश में आधे से अधिक व्यक्ति तो साक्षर भी नहीं हैं। एक ओर तो शहरों की अपेक्षा गांवों में निरक्षरता बहुत अधिक है, वहीं दूसरी ओर पुरुषों और महिलाओं में साक्षरता के बीच फासला भी बहुत अधिक है।

साक्षरता : 1991

मध्य प्रदेश	साक्षरता प्रतिशत
पुरुष	57.43
महिला	28.29

आमतौर पर जब शिक्षा की बात की जाती तो ग्राम पंचायत का ध्यान सबसे पहले शिक्षक और पाठशाला पर जाता है। यह स्वाभाविक ही है परंतु यह मान लेना कि गांव के बच्चों के लिए शिक्षा सुनिश्चित कर लेना केवल शिक्षक पर निर्भर करता है, सही नहीं है। यदि गांव के प्रत्येक बच्चे के लिए शिक्षा सुनिश्चित करना पंचायत का प्रथम कर्त्तव्य है तो यह कार्य तभी पूरा हो सकता है जब समाज के तीन अंग – समुदाय/पंचायत, शिक्षक तथा अभिभावक इस प्रयास में आपस में जुड़ जाएं। समाज के इन तीन अंगों के प्रयासों से ही शिक्षा के लिए अनुकूल माहौल बनता है और गांव के बच्चों के लिए शिक्षा का सुनहरा अवसर सुनिश्चित किया जा सकता है। यदि पंचायत सोचे कि शिक्षक की नियुक्ति के बाद उनके अथवा अभिभावकों के प्रयास के बिना गांव में शिक्षा का संचार होगा तो यह संभव नहीं है। प्राथमिक शिक्षा और साक्षरता अभियान को गति देने की दृष्टि से राजीव गांधी शिक्षा मिशन को मध्य प्रदेश शासन की त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था से जोड़ा गया है।

रोजगार

हमारे ग्रामीण इलाकों में अधिकांश ऐसे लोग हैं जिनके पास या तो जमीन नहीं है या बहुत थोड़ी–सी है जिनसे वे अपना जीवन– यापन नहीं कर सकते। इनमें से अधिकांश खेती–बाड़ी के दिनों में अपने अथवा दूसरों की जमीन पर मजदूरी करके कुछ कमाई कर लेते हैं परंतु बाकी समय में उन्हें मजदूरी मुश्किल से मिलती है और वे अपना तथा अपने परिवार का पोषण नहीं कर पाते। इसके कारण या तो उन्हें अपने गांव के बाहर मजदूरी के लिए जाना पड़ता है या कम मजदूरी पर भी काम करने के लिए

बाध्य होना पड़ता है। ऐसी स्थिति में सबसे ज्यादा कठिनाइयों का सामना वृद्ध लोगों, बच्चों और महिलाओं को करना पड़ता है जिससे उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। बेरोजगारी से निपटने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं।

जवाहर ग्राम रोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना, जैसी प्रमुख योजनाओं के अलावा निम्न योजनाएं चल रही हैं :

वन विभाग की योजनाएं

ग्रामीणों के आर्थिक विकास तथा उन्नति के लिए वन विभाग द्वारा भी अनेक योजनाएं जैसे – जलाऊ लकड़ी के लिए वृक्षारोपण और चरागाह विकास, कृषि वानिकी, सामाजिक वानिकी, वानिकी के लिए रोपणियों की स्थापना आदि।

ग्रामोद्योग विभाग की योजनाएं

ग्रामोद्योगों के जरिये ग्रामीण लोगों को आर्थिक लाभ पहुंचाने की दृष्टि से मध्य प्रदेश शासन ने राजीव गांधी ग्रामोद्योग मिशन स्थापित किया है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामोद्योगों की संभावनाओं का पता करना, गतिविधियों का चयन करना, प्रशिक्षण की व्यवस्था करना और आर्थिक साधन जुटाना है।

रेशम योजना

इस योजना के अंतर्गत ग्रामीणों को मलबरी रेशम विकास और विस्तार तथा टसर रेशम विकास तथा विस्तार योजना की जानकारी दी जाती है तथा लाभार्थियों का चयन करके सूची निकटतम रेशम केन्द्र के अधिकारी को भेजी जाती है। इस योजना में भूमिहीन श्रमिकों तथा कृषि श्रमिकों को रेशम केन्द्रों पर उत्पादित शहतूत की पत्ती, कम दर से उपलब्ध कराई जाती है। निजी भूमि पर शहतूत के पौधे लगाने तथा फेंसिंग करने के लिए आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है।

खादी ग्रामोद्योग

इस योजना में ग्रामीण लोगों को सरकार द्वारा खादी उत्पादन पर अनुदान दिया जाता है और ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा कारीगरों तथा दस्तकारों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है। इसमें ग्रामोद्योग की इकाइयां स्थापित करने के लिए नब्बे प्रतिशत पूंजीगत अनुदान लाभार्थी को दिया जाता है। खादी ग्रामोद्योग के विकास के लिए जो सहायता दी जाती है वह चार प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण के रूप में होती है।

मध्य प्रदेश के अनेक ग्रामीण इलाकों में शुद्ध पेयजल के स्रोत और साफ–सफाई के अभाव के कारण लोगों, विशेषकर बच्चों, के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ता है। पंचायती राज में त्रिस्तरीय पंचायतों को स्वच्छ पेयजल और ग्रामीण स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण दायित्व सौंपे गए हैं।

मत्स्य पालन

पूरे मध्य प्रदेश में कई छोटे–बड़े जल संग्रहण क्षेत्र हैं जिनसे सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े व्यक्तियों को काफी आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकता है। प्रदेश मत्स्य क्षेत्र के विकास के लिए राज्य शासन ने राजीव गांधी मत्स्य विकास मिशन स्थापित किया है। इसमें मछली पालन के लिए आर्थिक सहायता, प्रशिक्षण की व्यवस्था तथा उपकरण आदि के लिए अनुदान दिया जाता है।

निष्कर्ष

गांवों के चहुंमुखी विकास के लिए योजना तैयार करते समय ग्राम पंचायतों को गांव के लोगों और उनकी समस्याओं को केन्द्र बिंदु मानकर चलना चाहिए। शासन के विभिन्न विभागों से प्राप्त योजनाओं को क्रियान्वित करने के समय ग्राम पंचायतों को यह देखना चाहिए कि स्थानीय लोगों की समस्याएं क्या हैं और विभिन्न शासकीय योजनाओं से उन समस्याओं का किस प्रकार निराकरण हो सकता है। ऐसा करने से ही शासकीय योजनाओं का पूरा लाभ ग्राम पंचायतों के माध्यम से गांववासियों को मिलेगा। पंच–सरपंच लोगों के जनप्रतिनिधि हैं इसलिए वे यह कार्य शासकीय अधिकारियों की तुलना में ज्यादा अच्छे रूप से कर सकेंगे बशर्ते वे अपने गांव की समस्याओं से परिचित हों। उन्हें समस्याओं के निराकरण के लिए गांव में क्या संसाधन उपलब्ध हैं जैसे – शिक्षा, औषधालय, पीने का पानी, आवास, रोजगार, विभिन्न योजनाओं में धनराशि, जनसहयोग से प्राप्त हो सकने वाली धनराशि या श्रमदान आदि का ज्ञान हो तथा सर्वोपरि उन समस्याओं को दूर करने के लिए उनके मन में प्रबल इच्छा हो। इसी संदर्भ में महात्मा गांधी का यह कथन सत्य प्रतीत होता है कि हमें इन हजारों–लाखों ग्रामवासियों को, जिनका हृदय सोने का है, जिन्हें देश से प्रेम है, जो सीखना चाहते हैं और यह इच्छा रखते हैं कि कोई उनका नेतृत्व करे, सही तालीम देने के लिए केवल थोड़े से बुद्धिमान और निष्ठावान कार्यकर्ताओं की जरूरत है। ❑

लेखकों से

'कुरुक्षेत्र' के लिए मौलिक लेख, कहानी, कविता, लघुकथा आदि भेजिए। रचना दो प्रतियों में टाइप की हुई हो और उसके साथ मौलिकता का प्रमाण–पत्र संलग्न हो। अस्वीकृत रचना लौटाने के लिए कृपया डाक टिकट लगा और अपना पता लिखा लिफाफा लगाएं। रचनाएं संपादक, 'कुरुक्षेत्र', ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली–110001 के पते पर भेजें। – **सम्पादक**

२१वीं सदी में ग्रामीणों को स्वच्छ वायु एवं सुखी जीवन जीने का एजेंडा

हरिश्चन्द्र व्यास

बीसवीं सदी के भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में निजी वन तथा बागों के पेड़ों का बड़ी मात्रा में कटान हो जाने के कारण आम जनता को ईंधन के लिए लकड़ी मिलना कठिन हो गया है। लकड़ी उपलब्ध न हो पाने के कारण ग्रामीण परिवारों में गोबर के उपले जलाए जाते हैं। यदि ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन के लिए लकड़ी का प्रबंध हो जाए तो गोबर को बचाकर खाद के रूप में खेतों में डाला जा सकता है। इससे अधिक अन्न उपजाने में सहायता मिलेगी। अनुमान है कि एक जोड़ी बैल से लगभग 90 क्विंटल गोबर प्राप्त होता है। अगर इस गोबर को बचाकर खाद के रूप में प्रयोग किया जाए तो एक हैक्टेयर खेत में लगभग 6 क्विंटल अनाज अधिक पैदा होगा।

हमारे गांवों के निवासी आए दिन बाढ़ और सूखे से भारी नुकसान उठाते हैं। भूमिहीन ग्रामीण जन अधिकांश समय बेरोजगार रहते हैं जिस कारण उन्हें गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इन समस्याओं का हल भी वृक्षारोपण से निकल सकता है। वृक्ष वर्षा करने में सहायक होते हैं, पानी के बहाव और मिट्टी के कटाव को कम करते हैं तथा रोजगार के साधन जुटाते हैं। वृक्षों के इन्हीं गुणों के कारण पुराने समय से हमारे देश में वृक्षों की पूजा होती आई है। वृक्ष शुद्ध वायु प्रदान करते हैं। एक वृक्ष प्रतिवर्ष औसत तीन मैट्रिक टन अशुद्ध वायु (कार्बन डाई आक्साइड) ग्रहण कर दो मैट्रिक टन आक्सीजन प्रदान करता है। रूस में जटिल रोगों का उपचार रोगी को उद्यान में भेजकर किया जाता है। प्रो. टी.एम. दास द्वारा किए गए नवीनतम शोध के अनुसार एक 50–वर्षीय वृक्ष अदृश्य रूप में 15.60 लाख रुपये की बहुमूल्य सेवाएं मानव को अर्पित करता है।

वनों के कटाव से ईंधन के लिए लकड़ी मिलना कठिन होता जा रहा है

दुर्भाग्य से हमारे गावों में यों भी वनों का अभाव है और बढ़ती जनसंख्या के कारण उनका निरंन्तर ह्रास हो रहा है। निजी बागों के पेड़ भी तेजी से कटते चले जा रहे हैं। ऐसी दशा में ईंधन, चारे और कृषि कार्यों तथा मकान बनाने के लिए आवश्यक लकड़ी जुटा पाना दिन–प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है।

सामाजिक वानिकी एक सार्थक विकल्प : ग्रामीणों की कठिनाइयों का हल निकालने हेतु देश के कुछ जिलों को छोड़कर समस्त जिलों में सामाजिक वानिकी योजना के अन्तर्गत बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कार्य प्रारंभ किया गया है। इस प्रकार वृक्षारोपण करके ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन, चारा, इमारती लकड़ी, वाले फल–फूल उपलब्ध कराने के साथ–साथ बेरोजगारों को काम के अवसर

वृक्षारोपण से ग्रामीणों की अनेक समस्याओं का समाधान हो सकता है

भी उपलब्ध कराए जा सकेंगे।

ग्रामीणों को वृक्षारोपण से लाभ कैसे? : वृक्षारोपण से ग्रामीण क्षेत्रों में जलाने के लिए ईंधन तथा घरेलू और कृषि कार्यों के लिए इमारती लकड़ी उपलब्ध हो सकेगी, गोबर को जलाने से बचाया जा सकेगा तथा उससे खेतों में डालकर अन्न की उपज बढ़ाई जा सकेगी; पशुओं के लिए चारा उपलब्ध किया जा सकेगा, जिससे अच्छी नस्ल के दुधारू मवेशियों का पालन–पोषण भी भली प्रकार से किया जा सकेगा; वृक्षारोपण कार्यों में श्रमिकों को कार्य के अवसर उपलब्ध कराकर तथा विभिन्न कुटीर उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराकर बेरोजगारी कम की जा सकेगी। बढ़ईगिरी हेतु लकड़ी, तेल निकालने हेतु तेलयुक्त नीम, महुआ और कजी आदि के बीजों की आपूर्ति वृक्षारोपण द्वारा की जा सकेगी; खाने हेतु फल और फूल की उपज होगी और गांवों मे बाढ़ तथा सूखे का प्रकोप कम होगा। भूमि का कटाव रुकेगा। नदियों और नालों में पूरे वर्ष पानी उपलब्ध रहेगा और वनों की स्थापना से सामुदायिक प्रगति के लिए ग्राम समाज को स्थायी आय का स्रोत प्राप्त हो सकेगा।

वृक्ष कहां लगें? : वृक्षारोपण राजकीय भूमि और अर्द्ध राजकीय तथा संस्थागत भूमि पर किया जा सकता है। राजकीय भूमि – सड़कों के किनारे, नहरों के किनारे, रेल लाइन के किनारे तथा निम्नकोटि की वन भूमि पर, ग्राम पंचायतों के अधिकार–क्षेत्र में आने वाली बंजर भूमि पर तथा चरागाह भूमि का उपयोग भी इस कार्य हेतु किया जा सकता है।

आखिर वृक्षारोपण कैसे तथा किसके लिए? : राजकीय भूमि पर जैसे सड़क की पटरियों, नहर के किनारे, रेल लाईन के आस–पास तथा बंजर भूमि पर वृक्षारोपण वन विभाग द्वारा किया जाता है। इन वृक्षारोपणों का मुख्य उद्देश्य समीप के ग्रामीणों को ईंधन, चारा, फल और फूल, छप्पर छाने के लिए घास, मकान तथा कृषि उपकरण के लिए लकड़ी तथा बेरोजगार को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना ही होता है।

पंचायत भूमि पर : पंचायत भूमि पर वृक्षारोपण के लिए निम्न प्रक्रिया अपनाई जाती है : ग्राम सभा प्रस्ताव पास करके वृक्षारोपण हेतु भूमि वन विभाग को हस्तान्तरित करती हैं; गांव की आवश्यकताओं को देखते हुए तथा ग्राम सभा तथा पंचायत समिति के सुझावों पर विचार करते हुए वन विभाग वृक्षारोपण का कार्य उपरोक्त भूमि पर करवाता है; वृक्षों का रख–रखाव और सुरक्षा वन विभाग करता है। इसमें ग्रामीणों से सहयोग प्राप्त किया जाता है और घास तथा पत्ती का चारा गांव वालों को मुफ्त में दिया जाता है, पांच वर्ष बाद वृक्षारोपण पंचायत के सुपुर्द कर दिया जाता है। हम सब वृक्षारोपण के राष्ट्रीय कार्य में निम्न प्रकार से सहयोग दे सकते हैं :

- अपने खेतों की मेड़ों पर तथा घरों के अहातों में वृक्ष लगाकर;
- ग्राम पंचायत की भूमि को वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध कराकर और
- किए गए वृक्षारोपणों की सुरक्षा कर।

ग्रामीणों को वृक्ष से जल, जल से अन्न, अन्न से सुखी जीवन, स्वच्छ वायु आदि की प्राप्ति से स्वतः ही उनका जीवन सुखी बनने की प्रबल संभावनाएं बन सकती हैं। ❑

हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार वर्ष 1999-2000

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार योजना के अंतर्गत हिंदी में मौलिक पुस्तक-लेखन के लिए पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 1999-2000 के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित की जाती हैं।

1. पात्रता तथा शर्तें :

(i) योजना के अंतर्गत पुरस्कार के लिए उन्हीं पुस्तकों को स्वीकार किया जाएगा जो लेखक की हिंदी में मौलिक रचना होंगी।

(ii) अनूदित पुस्तकें स्वीकार्य नहीं हैं।

(iii) पुस्तक 01 अप्रैल, 1999 से 31 मार्च, 2000 के दौरान लिखी अथवा प्रकाशित की गई हो।

(iv) पुस्तक के लेखक केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों और उनके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों, वित्तीय संस्थानों तथा केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण एवं स्वामित्व में आने वाली स्वायत्त संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, शैक्षिक व प्रशिक्षण संस्थानों के सेवारत/सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी हों। इस संबंध में पुस्तक के लेखक द्वारा अनुलग्नक 'ख' पर दिए गए प्रोफार्मा में एक प्रमाणपत्र दिया जाना अपेक्षित है। संबंधित कर्मचारी के विभाग/कार्यालय के अध्यक्ष द्वारा ऐसी कृतियों का सत्यापन तथा संस्तुति अनुलग्नक 'ग' पर दिए गए प्रोफार्मे में विभाग को भेजी जा सकती है। सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी अपनी पुस्तकें सीधे राजभाषा विभाग को या सेवानिवृत्ति से पूर्व वे जिस संगठन में कार्यरत रहे, उस विभाग/कार्यालय/संगठन के अध्यक्ष के माध्यम से भिजवा सकते हैं।

(v) **पुस्तक की विषयवस्तु केन्द्रीय सरकार के उक्त संगठनों/संस्थानों में हो रहे कार्यों से संबंधित हो।**

(vi) पुस्तक किसी शैक्षिक या प्रशिक्षण संस्थान के पाठ्यक्रम में शामिल न हो।

(vii) लेखक इस आशय का प्रमाण-पत्र दें कि यह पुस्तक उनकी मौलिक रचना है और कापीराइट एक्ट 1957 के तहत किसी अन्य लेखक के कापीराइट्स का उल्लंघन नहीं करती है।

(viii) प्रत्येक प्रविष्टि के साथ पुस्तक की चार-चार प्रतियां अवश्य भेजी जाएं।

(ix) योजना के अंतर्गत प्राप्त पुस्तकें न तो वापिस की जाएंगी और न ही उनके संबंध में किसी अंतरिम पूछताछ का उत्तर दिया जाएगा।

(x) योजना के अंतर्गत प्रेषित सभी पुस्तकों पर विशेषज्ञ की राय अनुलग्नक 'क' पर दिए गए प्रोफार्मे में राजभाषा विभाग को भिजवाई जाए। विशेषज्ञों को पुस्तक की विषय-वस्तु से संबंधित शब्दावली तथा हिंदी भाषा का पर्याप्त ज्ञान होना आवश्यक है। विशेषज्ञ कोई गैर-सरकारी व्यक्ति जैसे सेवानिवृत्त अधिकारी या विश्वविद्यालयों/इंजीनियरिंग संस्थानों में कार्यरत प्रोफेसर आदि हो सकते हैं। पुस्तकों के मूल्यांकन से संबंधित मानदेय का दावा, यदि कोई हो, राजभाषा विभाग को न भेजकर संबंधित मंत्रालय/विभाग/संगठन के प्रशासनिक प्रधान के पास भेजा जाए।

2. इस योजना के अंतर्गत तीन पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे :-

प्रथम पुरस्कार रु. 20,000/-

द्वितीय पुरस्कार रु. 16,000/-

तृतीय पुरस्कार रु. 10,000/-

3. पुरस्कारों का निर्णय एक निर्णायक समिति द्वारा किया जाता है, जिसमें राजभाषा विभाग के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त दो गैर-सरकारी सदस्य भी शामिल किए जाते हैं।

4. प्रविष्टियों के इस विभाग में प्राप्त होने की अंतिम तारीख **30 जून, 2000** रखी गई है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त प्रविष्टियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

5. प्रविष्टियां निम्न पते पर भेजी जाएं :-

उप सचिव (कार्यान्वयन)
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
'ए' विंग, लोकनायक भवन, द्वितीय तल,
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003

अनुलग्नक 'क'

विशेषज्ञों के लिए निर्देश :

1. पुस्तकों के संदर्भ में विशेषज्ञों की राय पूर्णतया गोपनीय होगी। विशेषज्ञ कृपया अपना संस्तुति पत्र **मोहरबंद लिफाफे** में ही भेजें।

2. कृपया लिफाफे की बाईं ओर निम्नलिखित सूचनाएं अंकित करें :-
   (i) "इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार-संस्तुति पत्र"
   (ii) लिफाफा पुस्तक मूल्यांकन समिति की बैठक में ही खोला जाए, इसके पूर्व नहीं
   (iii) पुस्तक का नाम
   (iv) विशेषज्ञ का नाम

3. विशेषज्ञ कृपया पुस्तक के संदर्भ में संलग्न संस्तुति पत्र में उद्धृत बिंदुओं पर अपनी राय अवश्य दें। यदि जांच के अन्य मानक बिंदुओं का समावेश करना चाहें तो अलग से कर लें परंतु नियत बिंदुओं पर अपनी निष्पक्ष राय अवश्य दें।

4. सेवारत अधिकारियों, कर्मचारियों आदि के मामले में "संस्तुति पत्र" का लिफाफा संबंधित कार्यालय/विभाग, संगठनों के प्रशासनिक प्रधान के माध्यम से ही "राजभाषा विभाग" को भेजा जाए तथा सेवानिवृत्त अधिकारियों आदि के संबंध में वह सीधे राजभाषा विभाग को भेजा जाए।

पुस्तक का संस्तुति संबंधी प्रपत्र

1. पुस्तक का नाम
2. लेखक/संपादक का नाम
3. क्या पुस्तक की विषय-वस्तु पर हिंदी में यह पहली रचना है?
4. क्या पुस्तक में प्रयुक्त तथ्य शुद्ध तथा अद्यतन है?
5. क्या विषय-वस्तु में मौलिकता का निर्वाह हुआ है?
6. क्या लेखक की कृति अद्यतन चेतना तथा भविष्यगामी परिकल्पनायुक्त है?
7. क्या पुस्तक सामान्य पाठक के लिए रोचक तथा उपयोगी है?
8. कोई अन्य उल्लेखनीय विचार :-
9. समेकित रूप में विवेच्य पुस्तक किस श्रेणी में रखी जा सकती है :-
   "क" 85% से ऊपर
   "ख" 60% से 85% तक
   "ग" 60% से कम

विशेषज्ञ के हस्ताक्षर :
नाम व पूरा डाक पता :
दूरभाष :

अनुलग्नक 'ख'

हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु
इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार योजना वर्ष 1999-2000

1. (क) लेखक का नाम
   (ख) पदनाम या पूर्व पदनाम
   (ग) कार्यालय या पूर्व कार्यालय का नाम
   (घ) मंत्रालय/विभाग का नाम
   (ङ) लेखक का डाक का पूरा पता (पिनकोड सहित)
   दूरभाष/फैक्स नं. (एस.टी.डी. कोड सहित)
2. पुस्तक का नाम
3. पुस्तक का विषय
4. प्रकाशक का नाम व पता
5. प्रकाशन का वर्ष
6. पुस्तक लिखने का कार्य सम्पन्न करने की तिथि (माह/वर्ष)
7. मैं _____ पुत्र/पुत्री श्री _____ जो कि 01 अप्रैल, 1999 से 31 मार्च, 2000 के दौरान केंद्रीय सरकार के स्वामित्व में आने वाले _____ (कार्यालय का नाम) में कार्यरत रहा/रही *या (सेवानिवृत्त व्यक्तियों के संबंध में) _____ तिथि को _____ (पदनाम) के पद से ..... (कार्यालय का नाम) सेवानिवृत्त हुआ हूं, एतद् द्वारा प्रमाणित करता/करती हूं कि :-
   (1) उक्त पुस्तक मेरी मौलिक रचना है और कापीराइट एक्ट 1957 के तहत किसी अन्य लेखक के कापीराइट का उल्लंघन नहीं करती है।
   (2) उक्त पुस्तक अप्रैल, 1999 से मार्च, 2000 के बीच में लिखी गई/प्रकाशित हुई है।
   (3) मेरी उक्त पुस्तक के विषय का संबंध मेरे द्वारा किए जा रहे/किए गए कार्य से है।

दिनांक

लेखक के हस्ताक्षर

*नोट : जो लागू न हों काट दें।

अनुलग्नक 'ग'

मंत्रालय/विभाग/संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय
द्वारा सत्यापन तथा संस्तुति

1. लेखक द्वारा दिए गए उपर्युक्त तथ्यों तथा संबद्ध रिकार्ड के आधार पर उपर्युक्त कृति को हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार वर्ष 1999-2000 के विचार हेतु योग्य पाया गया है, एतदर्थ संस्तुति की जाती है।
2. इस विभाग/कार्यालय द्वारा अब तक वर्ष 1999-2000 के पुरस्कार के लिए सिफारिश की गई यह पहली/दूसरी/तीसरी/चौथी पुस्तक है।
3. इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार योजना के अंतर्गत हिंदी में मौलिक पुस्तक-लेखन के पुरस्कार के लिए पूर्व में उक्त पुस्तक की सिफारिश नहीं की गई है।

अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति के हस्ताक्षर :
नाम :
पदनाम :
मंत्रालय/विभाग/कार्यालय/संस्थान :
दूरभाष/फैक्स :

दिनांक :

डीएवीपी 2000/75

ग्रामीण जीवन की चुनौतियां और प्रौद्योगिकी

डा. दिनेश मणि*

किसी भी देश की उन्नति के लिए मानव संसाधनों का विकास बहुत जरूरी है। भारत को एक विकसित देश का दर्जा दिलाने के लिए तकनीशियनों, इंजीनियरों और कारीगरों तथा प्रबंधकीय एवं प्रशासकीय कौशल प्राप्त व्यक्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका से इंकार नहीं किया जा सकता। फिर हमें अपने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का जीवन–स्तर सुधारने के लिए ऐसी प्रौद्योगिकी अपनाने की जरूरत है जो इन क्षेत्रों की परिस्थितियों के अनुकूल हो। लेखक ने इसकी चर्चा करते हुए इस लेख में इस बात पर जोर दिया है कि इस प्रौद्योगिकी के चयन में आम लोगों का सहयोग लेना भी जरूरी है।

हमारी अर्थ व्यवस्था अभी अधिकतर कृषि पर आधारित है, और शायद बहुत दिनों तक रहेगी। स्वतंत्र देश के रूप में अपना आत्म–सम्मान और प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए भी खाद्य में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना जरूरी है। अधिकतर भारत अभी गांवों में है इसलिए हमारा आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक विकास भी वहीं होगा। विज्ञान आज आर्थिक उन्नति में एक महत्वपूर्ण तत्व है, इसे भी अपना प्रभाव गांवों में पहुंचाना होगा। इसलिए हमें अपने शिक्षा/शोध कार्यक्रमों का रुख बहुत कुछ वैज्ञानिक कृषि और कृषि–उद्योगों की ओर रखना होगा। हमें अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा। हमें ग्रामीण जीवन की चुनौती को स्वीकार करना होगा।

* प्राध्यापक, रसायन विज्ञान विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद–211002 (उ.प्र.)

मानव संसाधनों का विकास जरूरी

भारत को विकासशील देश कहा जाता है। हमारे पास साधनों की कमी नहीं, लेकिन देश में गरीबी है। विकास के लिए तीन चीजों की जरूरत है – भौतिक साधनों का विस्तृत सर्वेक्षण और उनका उपयोग, पूंजी निर्माण और उद्योगों को प्रोत्साहन तथा मानव संसाधनों का विकास। इनमें मानव संसाधनों का विकास अत्यंत महत्वपूर्ण है। आर्थिक प्रगति के लिए पूंजी, टेक्नोलाजी, प्रबंध योग्यता, आधुनिक औद्योगिक कुशलता, कठिन परिश्रम और निष्ठा चाहिए। पूंजी को छोड़कर शेष का संबंध मानव संसाधनों से है। ऐसे देशों के भी उदाहरण हैं जिन्होंने अधिक पूंजी न होने पर भी अपने मानव संसाधनों के बल पर उल्लेखनीय प्रगति की है। इतिहास में ऐसे देशों की मिसालें भी हैं जिन्होंने सब कुछ होते हुए भी अपनी अज्ञानता से देश को उजाड़ बना दिया।

देश का विकास केवल कठिन परिश्रम से ही हो सकता है। विभिन्न तरह की विदेशी सहायता केवल सहायक हो सकती है, हमारे परिश्रम का स्थान नहीं ले सकती और न वह हमें आत्मनिर्भर बना सकती है। जब तक देश के अंदर वैज्ञानिक और तकनीकी योग्यताओं, औद्योगिक कुशलताओं और आधुनिक सामाजिक मान्यताओं पर आधारित शक्तियों का निर्माण नहीं होगा तब तक हम विकास का समुचित आंतरिक ढांचा नहीं बना सकेंगे।

प्रश्न यह उठता है कि इन शक्तियों का निर्माण कैसे किया जाए? स्पष्ट है मानव संसाधनों का विकास करके। यदि भौतिक

वैज्ञानिक प्रयोगशाला

साधनों में धन लगाने से लाभ होता है तो मानव संसाधनों में धन लगाने से कई गुना लाभ होता है। मानव संसाधनों का विकास केवल शिक्षा से ही नहीं हो सकता, हालांकि इसके लिए शिक्षा अनिवार्य है। वैज्ञानिकों, तकनीशियनों, इंजीनियरों, कारीगरों, प्रबंधकीय, प्रशासकीय व्यक्तियों तथा अनेक गैर–पेशेवर व्यक्तियों का प्रशिक्षण राष्ट्र की प्रगति के लिए आवश्यक है। क्या हमने अपने देश में सम्पदा पैदा करने के लिए ऐसी कार्य–कुशलता, दक्षता और योग्यताओं की समस्या की ओर ध्यान दिया है?

अब औद्योगिक उत्पादन अधिक यांत्रिक होता जा रहा है, इसके लिए काफी योग्य शिल्पी चाहिए जो साज–सामान चला सकें, देखभाल कर सकें और उनकी मरम्मत कर सकें, कच्ची सामग्री और उत्पादित सामग्री का परीक्षण कर सकें, नई मशीनें बना सकें और नई वस्तुओं का निर्माण कर सकें। उद्योगों के इन अत्यधिक तकनीकी कामों के लिए व्यापक और गूढ़ तकनीकी प्रशिक्षण वाले व्यक्तियों की जरूरत है। शिल्पियों की समस्या एक सामाजिक समस्या भी है। समाज में शिल्पियों को वह स्थान नहीं दिया जाता जो उन्हें मिलना चाहिए। देश की सामाजिक तथा आर्थिक प्रगति में शिल्पियों का योगदान किसी से कम नहीं होना चाहिए।

कुशल तकनीशियनों की आवश्यकता

हमारे देश की विकसित होती औद्योगिक अर्थ व्यवस्था को बहुत से कुशल तकनीशियनों की आवश्यकता है, और यह आवश्यकता बनी रहेगी। उद्योगों में उत्पादन दिनों–दिन विज्ञान पर अधिक निर्भर होता जा रहा है। उद्योग अब उन लोगों में बहुत ऊंचे दर्जे की योग्यता चाहते हैं जो उनकी नई मशीनों को चलाएंगे, उनको संभाल कर रखेंगे और उनकी मरम्मत करेंगे, जो नई मशीनों के नक्शे तैयार करेंगे और उन्हें बनाएंगे। इन अत्यंत कुशलतापूर्ण कार्यों के लिए ऐसे युवक चाहिए जिनके पास तकनीकी हुनर हो, और व्यावहारिक दृष्टिकोण हो।

के निष्कर्षों को ग्रामीणों तक पहुंचना चाहिए

वैज्ञानिक अनुसंधान ग्रामोन्मुखी हो

हमारे ग्रामीणों के सर्वांगीण विकास के लिए यह बहुत आवश्यक है कि उन्हें उचित प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराई जाए। गांवों में प्रौद्योगिकी स्तर ऊंचा उठाने के लिए, ग्रामीण परिस्थितियों में वैज्ञानिक अनुसंधान की प्रासंगिकता पहली आवश्यकता है। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण या ऐसे हस्तांतरण की पद्धति अथवा हस्तांतरण के लिए सुविधाजनक तरीकों के विकास की बातों से पहले यह देखना होगा कि हमारे वैज्ञानिक गांवों की दशा से व्यक्तिगत रूप से परिचित हों, समस्याओं को समझें और ऐसे हल ढूंढें जिन्हें वर्तमान ग्रामीण व्यवस्था के अंतर्गत प्रौद्योगिकी के रूप में परिणित किया जा सके। ग्रामीण विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उद्देश्य गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की मदद करना होना चाहिए। ग्रामीण समुदाय में गरीब से गरीब व्यक्ति को लाभ पहुंचाने वाली प्रौद्योगिकी को प्राथमिकता देनी चाहिए। ग्रामीण उत्थान के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का उद्देश्य केवल आर्थिक उन्नति ही नहीं बल्कि सामाजिक न्याय भी होना चाहिए।

व्यावहारिक प्रौद्योगिकी अपनाई जाए

ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम–प्रधान तथा धन की बचत करने वाली, स्थानीय सामाजिक–आर्थिक दशाओं से मेल खाने वाली तथा आर्थिक और तकनीकी दृष्टि से व्यावहारिक प्रौद्योगिकी अपनाई जानी चाहिए। इनका उद्देश्य विकेन्द्रीकृत उत्पादन होना चाहिए और जहां तक संभव हो सके, इनसे उत्पादकता में अधिकतम बढ़ोतरी हो तथा कार्य करने की परिस्थितियों में सुधार आए। जीवन–स्तर में सुधार के लिए अन्य दूसरे मापदंडों में आत्मनिर्भरता, पर्यावरण की रक्षा, अधिक से अधिक स्थानीय सामग्री का उपयोग तथा उत्पादों का आसानी से विपणन आदि को भी ध्यान में रखना चाहिए। जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तो रास्ता तय करने में कोई कठिनाई नहीं होती। हमारा लक्ष्य स्पष्ट है और वह यह है कि

विज्ञान देश की सेवा के लिए है, जनहित के लिए है। जो यह सोचते हैं कि विज्ञान का मतलब केवल खोजें की जाना, कुछ नए तथ्य और नए सिद्धान्त निकालना है वे शायद उन परिस्थितियों से परिचित नहीं हैं जिनसे कोई भी नया विकाशील राष्ट्र गुजरता है।

हमारा देश एक विकासशील देश है जो अपनी औद्योगिक नीति में विविधता लाकर औद्योगिक आधार को ग्रामीण तथा अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में फैलाने का उद्देश्य रखता है ताकि उद्योगों का प्रभाव जनता के उस हिस्से पर भी पड़े जो अभी इससे अछूते हैं। आरंभ में इस प्रकार का प्रसार औद्योगिक सेवा, स्थानीय उपलब्ध कार्यकुशलता तथा कच्चे माल से तैयार उपभोक्ता पदार्थों जैसे – कपड़ा, तैयार खाद्य पदार्थ, कृषि और दुग्ध पदार्थ, फार्म यंत्र, कृषि यंत्र तथा दूसरे प्रकार के आदान जैसे – भवन निर्माण सामग्री, सामान्य दवाओं के नुस्खे तथा औषधियों में हो सकता है। विस्तृत और लघु स्तर पर उत्पादन, श्रम साध्य विधियों के उपयोग तथा वितरण और विपणन लागत में बचाव से आसानी से स्पर्द्धा कर सकते हैं। इस तरह की साधारण लघु स्तरीय और कम खर्च वाली प्रौद्योगिकियों को प्रभावी नीतियों से बढ़ावा देने की जरूरत है।

ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक–आर्थिक दशा का गहन सर्वेक्षण करना चाहिए, क्षेत्र विशेष की क्षमता का पता लगाना चाहिए और उपयुक्त प्रौद्योगिकी का चुनाव करना चाहिए। प्रौद्योगिकी का चयन, उसके लिए योजना बनाने, योजना को कार्यान्वित करने तथा उपयुक्त प्रौद्योगिकी के मूल्यांकन में स्थानीय लोगों का सहयोग लिया जाना चाहिए ताकि वे संगठन के संचालन और सुधार व्यवस्था तथा नए कामों को शुरू करने में पूरी तरह भाग ले सकें। ❑

प्रौढ़शाला का महत्व

रमेश मनोहरा

मेरे गांव में
जब से खुली है प्रोढ़शाला
तब से कोई नहीं रहा
अनपढ़ और भोला–भाला

अब वे पटवारी के
हर कागज को
गौर से पढ़ते हैं।
गिद्ध दृष्टि से देखते हैं।

गांव का हो या हो
शहर का लाला।
मेरे गांव के किसान के पास
अब नहीं है अज्ञानता का ताला।

अतः सब
होशियारी से रहने लगे हैं।
शोषण, जुल्म और
अन्याय के खिलाफ
लड़ने लगे हैं।

कल तक जो लोग
अंगूठा लगाते थे।
आज वे अंगूठा दिखाते हैं।
दस्तखत कर
सभी को चौंकाते हैं।

भूख–गरीबी जरूर है इनके पास
मगर अपने अधिकारों के लिए
लड़ना सीख गए हैं।
आगे बढ़ना खुद सीख गए हैं।

खेतों में जितनी
मेहनत ये करते हैं।
बदले में
उतना ही फल चखते हैं।

मंडी के जो दलाल
इनको लूटते थे।
भावों की औखल में कूटते थे
अब वे
न तौल में मारे जाते हैं
न मोल में
उतार लेते हैं
ये उनकी चमड़ी
जो रहते हैं
मोटी खोल में।

अक्षरता के ज्ञान ने
इनकी अज्ञानता मिटा दी
राह में अटकी
हर मुश्किल हटा दी
गर हर नगर–नगर
गांव–गांव में
ऐसी अलख जगेगी
तो ये अनपढ़ता की
समूची दीवार गिरेगी।

सुरंगी डवाकरा की पेशकश

देवी सिंह नरूका

ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बाल विकास कार्यक्रम यानी डवाकरा द्वारा स्त्रियों और बच्चों के विकास के नए द्वार खुले हैं। भारत सरकार और युनिसेफ की इस संयुक्त योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए रोजगार के विभिन्न व्यवसायों का प्रशिक्षण, ऋण सुविधा तथा तैयार वस्तुओं की बिक्री आदि की व्यवस्था की जाती है इससे ग्रामीण महिलाओं में आर्थिक सम्बल और स्वावलम्बन द्वारा नई आशा और विश्वास का संचार हुआ है।

राजस्थान के 32 जिलों के करीब 200 विकास खण्डों में संचालित इस योजना के अन्तर्गत 10–15 महिलाओं के समूह का गठन किया जाता है। स्थानीय संसाधन, कच्चे माल की उपलब्धता, प्रशिक्षण तथा तैयार माल की बिक्री की सम्भावनाओं को ध्यान में रखकर महिला समूह को प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण की अवधि ट्रेड (व्यवसाय) के आधार पर निश्चित की जाती है। राज्य में अब तक दस से पन्द्रह महिलाओं की संख्या वाले 5 हजार से अधिक समूहों का गठन किया जा चुका है।

वस्तुतः हमारी परम्परागत शिल्पकला गांवों में सुरक्षित है। ग्रामीण महिलाओं में अक्षरज्ञान की कमी हो सकती है किन्तु वे बचपन से ही घर में काम आने वाली वस्तुएं और सामग्री कलात्मक तथा सहज सरल तरीके से स्वयं ही तैयार कर लेती हैं। मशीनीकरण के बढ़ते प्रभाव के बीच इन परम्परागत कलाओं को जीवित रखने तथा स्त्रियों को आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाने की दिशा में डवाकरा का महत्वपूर्ण योगदान है। महिलाओं को अपने समूह के कार्य संचालन के लिए प्रशिक्षण के बाद केन्द्र तथा राज्य सरकार के अंशदान के रूप में बने आवर्ति कोष से 25 हजार रुपये की पूंजी उपलब्ध कराई जाती है। इसी से महिलाएं मिलकर कच्चा माल खरीदने, वस्तुएं तैयार करने तथा विक्रय की व्यवस्था कर अपना कारोबार करती हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समूह के सभी सदस्यों की सहभागिता और सहयोग से आर्थिक स्वावलम्बन की ओर अग्रसर होना है।

डवाकरा समूह द्वारा तैयार की गई वस्तुएं "सुरंगी" बेनर से विक्रय की जाती हैं। इस क्षेत्र में कार्य करने वाली ग्राम सेविकाएं तथा अन्य महिलाओं से बात करने पर पता लगा कि खास तौर से शहर के लोगों में ग्रामीण क्षेत्रों में तैयार किए गए बड़ी, पापड़ मंगोड़ी, अचार, मसाले

आदि खाद्य वस्तुओं और सजावट के सामान के प्रति अधिक आकर्षण हैं तथा हाथ से तैयार किए गए वस्त्र, घरेलू वस्तुएं आदि के प्रति भी रुझान है। इसी कारण से दिल्ली, जयपुर और अन्य शहरों तथा मेलों में लगाई गई "सुरंगी" स्टालों पर अच्छी बिक्री होती है। महिला और बाल विकास विभाग के "सुरंगी" वाहन से भी समान की बिक्री की जाती है।

डवाकरा समूह केवल परम्परागत वस्तुएं तैयार करने तक ही सीमित नहीं है। समय की मांग और आवश्यकता के अनुसार चमड़े पर कशीदाकारीयुक्त बटवे, बैग, जूते, बेल्ट, बांस की टोकरियां, ट्रीगार्ड, फाइल कवर, पैड, अचार, मुरब्बे, नई डिजाइन की दरियां, गलीचे, खेस, स्कूली बच्चों की वर्दियां, बस्ते आदि भी तैयार किए जाते हैं। इसके लिए विभिन्न विभाग/कार्यालयों तथा शिक्षण संस्थाओं से बड़ी संख्या में वस्तुएं तैयार करने के आर्डर भी प्राप्त होते हैं।

राज्य के विभिन्न जिले अपनी कलात्मक या परम्परागत वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध हैं। अतः वहां पर इन वस्तुओं से सम्बन्धित महिला समूह के गठन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। जैसे कोटा जिला में कोटा साड़ी, जयपुर, बाडमेर, पाली, बीकानेर, में ब्लाक प्रिंटिंग, उदयपुर, जोधपुर, अलवर, जयपुर में टाइ एण्ड हाई, उदयपुर और अलवर में टेराकोटा, पाली, बीकानेर में जूते व चमड़े का सामान, अलवर तथा बाडमेर में गलीचे, जोधपुर, अजमेर की दरियां तथा जोधपुर का आरी–तारी का कार्य अधिक प्रसिद्ध है।

अलवर जिले की ग्राम सेविका श्रीमती गीता देवी ने बताया कि डवाकरा इकाई में 7–8 घण्टे काम करके कोई भी महिला 50 से 75 रुपये प्रतिदिन कमा लेती है। समूह के अलावा वह घर पर भी माल तैयार कर ला सकती है। प्रशिक्षण के दौरान अक्षर ज्ञान व हस्ताक्षर करना भी सिखाया जाता है।

दौसा जिले की ग्राम सेविका मुन्नी देवी ने बताया कि उनके जिले के भांडारेज, बांदीकुई और महुआ में बैग, सराय गांव में खेस, दरी गलीचे, लवाण में फैन्सी दरी, पायदान, कुंडल व नांगल राजावतान में चमड़े के बेल्ट आदि पर कशीदाकारी, खैरवाला में झाड़ू, पापड़, मंगोड़ी आदि तैयार करने के महिला समूह हैं।

जयपुर के जवाहर कला केन्द्र के शिल्प ग्राम में आयोजित हस्तशिल्प मेले में आई बांसवाडा जिले की ग्राम सेविका इन्द्रबाला पंवार और शरद बाला जैन ने बताया कि उनके जिले के ग्राम बाटोल, खमेरा, दडका व बारी में आम पापड़, आनन्दपुरी और सज्जनगढ़ में मसाला, कमीजरा, छोटा डूंगरा व आजना में बांस का काम और पीपल खूंट में अचार तैयार करने के डवाकरा समूह हैं।

जवाहर कला केन्द्र में आयोजित नौ दिवसीय हस्तशिल्प मेले में राजसिको, रूडा और महिला बाल विकास, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, हथकरघा विकास निगम तथा अन्य संस्थाओं और शिल्पियों द्वारा 50 से अधिक स्टाल लगाए गए। इनमें कुल दो लाख रुपए से अधिक की बिक्री हुई। सर्वाधिक बिक्री 90 हजार रुपए की सामग्री की डवाकरा इकाइयों की स्टालों पर हुई।

सैकड़ों वर्षों की गुलामी के दौरान देश में स्त्रियों की स्थिति चाहे जैसी रही हो, उस पर पश्चाताप करने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। अतः 'सुरंगी' का नारा है, अंधकार को क्यों धिक्कारें, अच्छा हो एक दीप जलायें। ❑

(पृष्ठ 2 का शेष)

पाठकों के विचार

के इस युग में समस्त ग्रामवासियों को विश्व में घट रही घटनाओं तथा नवीनतम तकनीकी से अवगत कराया जा सकता है। इसके लिए आवश्यकता है सुनियोजित तंत्र की स्थापना की। यह कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक विकास केन्द्रों की स्थापना कर, उनमें पुस्तकालय, टी.वी., रेडियो, टेप रिकार्डर, टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध कराकर किया जा सकता है। इससे कई समस्याओं का समाधान स्वतः हो जाता है – ग्रामवासियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विचार करने की प्रवृत्ति पैदा करना, ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में पलायन रोकना, शिक्षा की सुविधा उनके निवास स्थान पर उपलब्ध कराना (दूर शिक्षा पद्धति से), रोजगाररत व्यक्तियों को भी पढ़ने हेतु प्रेरित करना तथा आर्थिक रूप से कमजोर तथा सामाजिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाना। इससे विकास की प्रक्रिया को बल मिलेगा साथ ही साथ वैचारिक परिवर्तन होने से जनसंख्या वृद्धि पर भी रोक लगेगी।

एस.जी. पाठक, एम.ए. (दूरशिक्षा),
जे.9/31, शास्त्री नगर,
बरेली–243122

भारत में ग्रामीण विकास की यथार्थता

कुरुक्षेत्र का मार्च, 2000 अंक सारगर्भित एवं सूचनाप्रद लगा। भारत में ग्रामीण विकास संबंधी जानकारी के लिए वैसे तो यह मानक पत्रिका है ही, परन्तु मार्च अंक के आरम्भ में ही मिश्राद्वय द्वारा लिखित भारत में ग्रामीण विकास के पचास वर्ष ने सरकार द्वारा किए गये प्रयासों का बेवाक विवेचन कर यथार्थ को सामने लाने का सफल प्रयास किया है। आजादी के बाद से लेकर चल रही नवीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत अनेक विकास योजनाओं का आरम्भ किया गया परन्तु अपेक्षित परिणाम नहीं निकले हैं और समाज का अभिवंचित वर्ग समानता का स्तर प्राप्त नहीं कर सका है।

विश्व महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिलाओं से संबंधित आलेख भी प्रभावोत्पादक हैं। स्त्री और पुरुष सामाजिक जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं फिर भी इनमें व्याप्त अन्तर को कहानी रूप में बड़े मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं ने अपनी उपादेयता सिद्ध की है और सफलता के शिखर पर चढ़ने वाली महिलाओं के नाम गिनाये जा सकते हैं, परन्तु आवश्यकता है एक निश्चित अनुपात में भागीदारी की। काश! आपकी पत्रिका से पुरुष मानसिकता में कुछ बदलाव आ सके। इसी आशा के साथ।

अनुज कुमार, चावल बाजार, दाउदनगर,
औरंगाबाद (बिहार)–824113

राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में वृहत पेयजल परियोजनाएं

डा. आर.एस. बांगड

जल ही जीवन है। जिस प्रकार पृथ्वी और जीव का सम्बन्ध अटूट है उसी प्रकार जल तथा जीवन का सम्बन्ध भी अटूट है। प्रकृति ने मानव को जितने उपहार दिए हैं, उनमें जल का कोई विकल्प नहीं है। जीवन रक्षा के लिए वायु के बाद जल ही अत्यावष्यक घटक है। सभी प्रकार की वनस्पतियां, जंगल, जीव–जन्तु तथा मानव अपनी सभी प्रकार की जैविक क्रियाओं के लिए जल पर ही आश्रित हैं। यहां तक कि हमारे शरीर में 65 प्रतिषत, हाथी के शरीर में 70 प्रतिषत, केचुंए के शरीर में 80 प्रतिषत, झींगा मछली में 90 प्रतिषत, टमाटर में 90 प्रतिषत तथा आलू में 80 प्रतिषत से भी अधिक जल होता है।

वस्तुतः जल ही सम्पूर्ण विष्व में ऐसा पदार्थ है जो तीन अवस्थाओं – ठोस, द्रव और गैस के रूप में पाया जाता है। पृथ्वी पर उपलब्ध होने वाले पानी की सीमा तो निर्धारित है परन्तु उसकी खपत की कोई सीमा नहीं है। हमारी पृथ्वी पर जो जल मण्डल है, उसमें कुल मिलाकर एक अरब 46 करोड़ घन किलोमीटर पानी है।

राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध भू जल पर निर्भर करता है और भू जल वर्षा (मानसून) पर निर्भर करता है। विगत कुछ वर्षों से अपर्याप्त मानसून के कारण राज्य में पेयजल की स्थिति विकट बनी हुई है। राज्य में सतही पेयजल स्रोतों की कमी है। राजस्थान में सम्पूर्ण भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल की दस प्रतिशत भूमि, पांच प्रतिशत जनसंख्या और केवल एक प्रतिशत जल संसाधन उपलब्ध है। एक शोध निष्कर्ष के अनुसार वन्य क्षेत्र बढ़ने के बावजूद वायु अपरदन द्वारा प्रतिदिन मरुस्थल बढ़ने और अरावली ह्रास की समस्या से जल समस्या और गम्भीर होती जा रही है। राज्य में जल संसाधनों के अंधाधुंध दोहन से यहां का एक तिहाई से अधिक भाग जल संसाधनों की दृष्टि से अन्धकारमय क्षेत्र में परिवर्तित हो चुका है। उधर इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में सेम की समस्या आफत बनी है। यही कारण है कि गंगानगर जिला सिंचाई की दृष्टि से देश में पांचवां स्थान रखता है किन्तु उत्पादन की दृष्टि से उसका देश में तीसवां स्थान है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ से लेकर नौवीं पंचवर्षीय योजना तक विभिन्न ग्रामीण जलप्रदाय योजनाओं पर व्यय की गई राशि का विवरण आगे दी गई तालिका से स्पष्ट है।

इन प्रमुख पेयजल योजनाओं का अध्ययन निम्नांकित बिन्दुओं में किया जा सकता है –

बीसलपुर पेयजल परियोजना

अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित टोंक जिले के बीसलपुर गांव के समीप बनास नदी पर बीसलपुर पेयजल आपूर्ति तथा सिंचाई परियोजना का काम युद्धस्तर पर चल रहा है। बनास नदी चम्बल की प्रमुख सहायक नदी है जिसका उद्गम दक्षिणी राजस्थान के राजसमंद जिले के कुम्भलगढ़ क्षेत्र से होता है। बीसलपुर बांध स्थल तक इस नदी का कुल जलग्रहण क्षेत्र 27 हजार 726 वर्ग किलोमीटर है। ब्यावर तथा किशनगढ़ कस्बे पिछले दो दशकों से पेयजल समस्या से ग्रसित हैं। अजमेर और जोधपुर भी इसी समस्या से ग्रस्त हैं अतः पेयजल समस्या के स्थायी निराकरण के लिए बनास नदी के किनारे बांध बनाकर पाइप लाइन द्वारा पेयजल आपूर्ति करने के विचार को स्वीकार किया गया। इसी उद्देश्य को लेकर बीसलपुर पेयजल तथा सिंचाई परियोजना रिपोर्ट तैयार कर वर्ष 1982 में केन्द्रीय जल आयोग को प्रस्तुत की गई थी। 1986 में बीसलपुर बांध का क्रेस्ट स्तर तक निर्माण कार्य प्रारम्भ करने की औपचारिक प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी गई और कार्य प्रारम्भ हो गया। 1993 में केन्द्रीय जल आयोग ने स्वीकृति जारी कर दी जिसके अनुसार बीसलपुर गांव के समीप 574 मीटर लम्बा तथा 39.5 मीटर ऊंचा कंक्रीट चिनाई का बांध बनाया गया जिसमें 3,870 करोड़ घनफुट पानी का संग्रहण किया जा सकेगा। वर्तमान में बीसलपुर बांध से अजमेर और जयपुर के लिए बांध से पानी

पम्प करने हेतु इन्टेक पम्प हाऊस का निर्माण 1994 में पूर्ण कर दिया गया था। दिसम्बर 1994 से लगभग 220 लाख गैलन पानी प्रतिदिन अजमेर, ब्यावर, किशनगढ़ तथा रास्ते के अन्य कस्बों को उपलब्ध कराया जा रहा है।

देवास तथा मानसी बाकल परियोजनाएं

सन् 1931 में राजस्थान के कश्मीर के नाम से विख्यात झीलों की नगरी उदयपुर की जनसंख्या 44 हजार थी जो 1971 में एक लाख और वर्तमान में 4.5 लाख हो गई है। इस शहर की जलापूर्ति के लिए उदयपुर से 24 किमी. दूर देवास बांध बनाने का विभाग ने निर्णय लिया जिसे 'गौराणा की नाल' भी कहा जाता है। देवास परियोजना की प्रथम चरण में भराव क्षमता 37.5 लाख घनमीटर

राजस्थान में ग्रामीण जलप्रदाय योजनाओं पर व्यय

योजना काल/वर्ष	राज्य मद एलएनपी.	अग्रिम सहायता मद	केन्द्रीय मद व अन्य त्वरित कार्यक्रम	आपदा सहायता व अन्य मद	योग
प्रथम पंचवर्षीय योजना	–	–	–	–	0.50
द्वितीय पंचवर्षीय योजना	–	–	–	–	14.84
तृतीय पंचवर्षीय योजना	–	–	–	–	289.02
तीन वर्षीय योजना	–	–	–	–	230.63
चतुर्थ पंचवर्षीय योजना	–	–	–	–	2092.31
वर्ष 1974–75	–	–	–	–	590.83
पंचम पंचवर्षीय योजना	–	–	–	–	5485.76
छठी पंचवर्षीय योजना	6847.00	5580.00	12406.00	–	24833.76
वर्ष 1985–86 (सप्तम पंचवर्षीय योजना)	1057.00	2799.00	2758.00	–	6614.00
वर्ष 1986–87 (सप्तम पंचवर्षीय योजना)	1603.81	3023.38	2728.61	–	7355.80
वर्ष 1987–88 (सप्तम पंचवर्षीय योजना)	2159.24	2621.88	2710.06	–	7591.18
वर्ष 1988–89 (सप्तम पंचवर्षीय योजना)	2720.88	1977.18	5002.19	–	9700.25
वर्ष 1989–90 (सप्तम पंचवर्षीय योजना)	3011.55	1232.50	4379.11	–	8623.16
वर्ष 1990–91	4120.59	–	3871.46	705.72	8697.77
वर्ष 1991–92	5264.34	–	5699.99	–	10964.33
वर्ष 1992–93 (अष्ठम पंचवर्षीय योजना)	5080.25	–	5797.07	1377.00	12254.32
वर्ष 1993–94 (अष्ठम पंचवर्षीय योजना)	5570.07	–	6483.13	1542.00	13595.20
वर्ष 1994–95 (अष्ठम पंचवर्षीय योजना)	8401.43	–	8345.02	2087.55	18834.00
वर्ष 1995–96 (अष्ठम पंचवर्षीय योजना)	12245.59	–	11000+200.00 (राइजेप)	201.11	23647.00
वर्ष 1996–97 (अष्ठम पंचवर्षीय योजना)	10489.64	–	12221+467.00 (राइजेप)	445.78	23624.39
वर्ष 1997–98 (नौवीं पंचवर्षीय योजना)	16588.47	–	14159.69	–	30748.16
वर्ष 1998–99 (नौवीं पंचवर्षीय योजना) (दिसम्बर 98 तक)	12268.75	–	7604.62	–	19873.37

रखी गई। योजना के तहत दूध तलाई स्थित पहाड़ी पर 135 लाख लीटर क्षमता का छनन संयंत्र बना। देवास बांध से पहले 2.3 किमी. लम्बी टनल से और इसके बाद इक्कीस किमी. नाले से स्थानीय पिछोला झील में पानी लिया गया। इस योजना पर 205 लाख रुपये व्यय हुए। शहरी पेयजल योजना, उदयपुर में निर्धारित मानदण्डों के अनुसार कुल दैनिक जल मांग 7 करोड़ लीटर की है। इस कुल मांग में घरेलू उपयोग हेतु 6.3 करोड़ लीटर, सैनिक छावनी के लिए 36.4 लाख लीटर, रेलवे के लिए 25 लाख लीटर, औद्योगिक इकाइयों के लिए 51 लाख लीटर तथा विविध नागरिक सेवाओं के लिए 21.6 लाख लीटर पानी की मांग शामिल है। वर्तमान संसाधनों के अनुसार 5.5 करोड़ लीटर जल प्रतिदिन उत्पादित किया जा रहा है जो कि पीछोला तथा फतहसागर झील के अलावा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में निर्मित 55 जलकूपों तथा 40 खुले कुंओं के माध्यम से प्राप्त हो रहा है।

वर्तमान में उदयपुर के लिए सन् 2021 तक जलापूर्ति करने के लिए गौराना गांव के समीप 244 घनमीटर भराव क्षमता का बांकल बांध बनाया जाना प्रस्तावित है जिसके द्वारा 36.16 एम.एल.डी. पानी प्रतिदिन उपलब्ध होगा। साथ ही दूसरे चरण में मानसी बांकल नदियों के संगम पर बिरोठी गांव के पास 727 लाख घनमीटर क्षमता का बांध बनाकर 136.66 एम. एल.डी. पानी उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। इस परियोजना की कुल लागत का 70 प्रतिशत भाग राज्य सरकार और 30 प्रतिशत भाग हिन्दुस्तान जिंक वहन करेगी। इसके दोनों चरणों की लागत 191.16 करोड़ रुपये आएगी जिसमें फिल्टर प्लांट, बांध, पम्प हाउस तथा सम्पूर्ण वितरण व्यवस्था सम्मिलित है।

रामगंज मंडी जल परियोजना

राजस्थान के कोटा जिले के रामगंज मंडी और सुकेत कस्बों सहित 14 ग्रामों को चम्बल नदी स्रोत (राणाप्रताप सागर) से पानी उपलब्ध कराने की 26 करोड़ 6 लाख रुपये की जल योजना का कार्य प्रगति पर है। योजना पर कार्य 1995 से चल रहा है जिस पर आरम्भिक स्वीकृति 11.35 करोड़ रुपये की दी गई। यह योजना रामगंज मंडी कस्बे के लिए 100 लीटर पानी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, सुकेत के लिए 70 लीटर तथा 14 ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन प्रदान करेगी। साथ ही 2 लाख 92 हजार लीटर पानी प्रतिदिन की औद्योगिक मांग को भी सम्मिलित किया गया है तथा कुल लागत पुनः संशोधित करके 26.6 करोड़ रुपये कर दी गई है। वर्तमान में 500 मिली व्यास की 39 किमी लम्बी राइजिंग मेन की सेगमेन्टल टेस्टिंग का 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा योजना 2001 तक पूर्ण कर ली जाएगी। इस पर जून 1999 तक 19 करोड़ 87 लाख रुपये व्यय किए जा चुके हैं।

जवाई बांध परियोजना

पाली जिले का सबसे प्रमुख पेयजल स्रोत जवाई बांध है। साढ़े छः हजार एम.सी.एफ.टी. क्षमता के इस बांध में आधे से अधिक पानी

पेयजल के लिए आरक्षित रखा जाता है। शेष पानी सिंचाई के काम आता है। पश्चिमी राजस्थान में स्थित इस बांध को मारवाड़ के मानसरोवर के नाम से जाना जाता है। जवाई बांध से जोधपुर तक 180 किमी. लम्बी जवाई नहर बनी हुई है। पाली जिले के 172 गांवों तथा आठ कस्बों को इस पेयजल परियोजना से पीने का पानी उपलब्ध हो रहा है। दस वर्षों तक निर्माण कार्य चलने के बाद यह 1956 में बनकर तैयार हुआ तभी से इसका पानी पेयजल का मुख्य स्रोत बना हुआ है। जवाई के अतिरिक्त 2,200 एम.सी.एफ.टी. क्षमता के हेमावास बांध से भी जवाई नहर के माध्यम से ही पेयजल वितरित किया जा रहा है तथा पूरे जिले में छोटे–मोटे बांध, 310 नलकूप, 172 खुले हुए और 4500 हैण्डपम्प हैं जो पेयजल की व्यवस्था करते हैं।

जोधपुर जल प्रदाय योजना

जोधपुर शहर तथा आसपास के गांवों को पेयजल आपूर्ति करने हेतु वर्ष 1996 तक की जनसंख्या के अनुसार, जोधपुर जल प्रदाय योजना (प्रथम चरण) बनाई गई थी जिसके अनुसार 370 लाख गैलन पानी प्रतिदिन जोधपुर को पहुंचाया जा रहा है। लेकिन वर्तमान में जोधपुर में पेयजल की बढ़ती मांग तथा वर्ष 2011 की पानी की मांग को ध्यान में रखते हुए जलदाय विभाग द्वारा इस क्षेत्र के पेयजल संकट के स्थायी समाधान के लिए 292 करोड़ रुपये की लागत वाली एक वृहत पेयजल परियोजना स्वीकृत की गई है। इसके द्वारा इन्दिरा गांधी नहर से द्वितीय चरण की योजना हेतु अतिरिक्त पम्प लगाना, आवश्यकतानुसार पाइप लाइन तथा अन्य कार्य पूरे कर जोधपुर शहर की 10.64 लाख की अनुमानित जनसंख्या तथा रास्ते के 159 ग्राम जिनकी अभिकल्पित जनसंख्या 3.59 लाख है, को पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा।

भीलवाड़ा शहर हेतु आसनमाता पेयजल योजना

वर्तमान समय तक शहर के समीप स्थित मेजाबांध पेयजल का मुख्य स्रोत हुआ करता था परन्तु विगत चार–पांच वर्षों से अकाल तथा अपर्याप्त वर्षा के कारण यह स्रोत सूखता जा रहा है। एक मई 1999 से पानी की कमी को देखते हुए 72 घंटे में एक बार पानी सप्लाई किया जा रहा है। वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर दो आपातकालीन योजनाएं क्रमशः 46.86 लाख रुपये तथा 69.33 लाख रुपये की पूर्ण की गई तथा शहर तथा मेजा बांध के पेटे में 26 नलकूप और खुले कुंएं बनाए गए। मेजा बांध के नीचे के सात कुंओं को किराये पर लेकर भीलवाड़ा शहर में पानी वितरित किया गया। भीलवाड़ा शहर की वर्तमान आबादी तीन लाख के लगभग है और मेजा बांध सूख जाने के कारण आसनमाता देह से भीलवाड़ा शहर के लिए 35 करोड़ रुपये की परियोजना स्वीकृत की गई है जिसके पूर्ण होने पर भीलवाड़ा शहर की पेयजल समस्या का स्थायी समाधान हो सकेगा। यह स्थान भीलवाड़ा से 63 किमी. दूर है तथा भू जल सर्वेक्षण में पर्याप्त पेयजल भण्डार इस स्थल पर पाया गया है।

राजीव गांधी पेयजल मिशन

आज लोक कल्याणकारी सरकार की अनेक योजनाएं लोगों को पेयजल मुहय्या करवा रही हैं। केन्द्र सरकार द्वारा इस पुनीत कार्य में पूरे देश में राजीव गांधी पेयजल मिशन में राज्यों की मदद की जाती है। राजस्थान को भी इस मिशन से पर्याप्त सहायता प्राप्त हो रही है। यह मिशन उन क्षेत्रों में विशेष रूप से अपना ध्यान केन्द्रित करता है जहां पानी में लौह, लवण, फ्लोराइड तथा प्रदूषण की वजह से गुणवत्ता पर पूरा असर पड़ा है। राजस्थान का विशेष रूप से रेगिस्तानी क्षेत्र इस मिशन में सर्वाधिक लाभान्वित हुआ है।

चुरू बिसाऊ पेयजल परियोजना

चुरू तथा झुन्झुनू जिलों के 168 खारे पानी की समस्या से ग्रसित गांवों तथा चुरू, रतनगढ़ तथा बिसाऊ की पेयजल समस्या के स्थायी समाधान के लिए 119.04 करोड़ रुपये की परियोजना स्वीकृत की गई है। इस योजना के अन्तर्गत मालेरी से चुरू, रतन नगर तथा बिसाऊ तक पाइप लाइन डालकर इन कस्बों को शुद्ध जल उपलब्ध करवाया जाएगा।

जलप्रदाय योजना चित्तौड़गढ़

वर्तमान में चित्तौड़गढ़ शहर की जल व्यवस्था स्थानीय नलकूपों तथा गम्भीरी बांध पर आश्रित है। कम वर्षा की स्थिति में और स्थानीय कुंओं में पानी की कमी होने की हालत में जिले की पेयजल व्यवस्था चरमरा जाती है। अतः इसके स्थायी हल के लिए घोसुण्डा बांध से पानी प्राप्त करना अत्यावश्यक है। इसके लिए जल प्रदाय योजना चित्तौड़गढ़ प्रारम्भ की गई है। घोसुण्डा बांध की क्षमता 397 एम. सी.एफ.टी. है। शहर तथा रास्ते के गांवों को पानी उपलब्ध कराने हेतु 1432 एम.सी.एफ.टी. जल की आवश्यकता होगी। इस मांग की आपूर्ति हेतु बांध की ऊंचाई 420 मीटर के लेवल से बढ़ाकर 426.50 मीटर की जाएगी जिस पर अनुमानित लागत 44 करोड़ रुपये की आएगी। जिसमें से 32.35 करोड़ रुपये बांध की ऊंचाई बढ़ाने तथा 11.65 करोड़ रुपये शहर की जल संवर्द्धन योजना पर व्यय किए जाएंगे।

इंदिरा गांधी नहर परियोजना

जोधपुर शहर की पेयजल समस्या के स्थायी समाधान के लिए इंदिरा गांधी नहर से पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 103.14 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत की गई है। इस योजना से जोधपुर शहर के रास्ते में पड़ने वाले 158 अतिरिक्त ग्रामों को पेयजल सुलभ कराया जाएगा। मार्च 1990 तक इस योजना के अन्तर्गत 29.47 करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके हैं। वर्ष 1990–91 में इस योजना पर 7.5 करोड़ रुपये का प्रावधान राज्य योजना मद में किया गया है और जीवन बीमा निगम द्वारा इस योजना पर 23.29 करोड़ रुपये तथा रक्षा मंत्रालय द्वारा 18.71 करोड़ रुपये का ऋण देना सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया गया है।

इस प्रकार राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में विविध पेयजल परियोजनाओं के माध्यम से जल व्यवस्था की जा रही है ताकि जनसामान्य को आसानी से शुद्ध पेयजल उपलब्ध होती रहे। ❑

जल और पर्यावरण संरक्षण में ताल-तलैयों की भूमिका

संजय कुमार रोकड़े

हमारे देश में जितनी वर्षा होती है हम उसके 20 प्रतिशत जल का ही उपयोग कर पाते हैं। शेष जल नदियों में बह जाता है। यदि हम वर्षा के जल को ताल–तलैयों में इकट्ठा करके उचित समय पर उसका उपयोग करें तो जल की कमी से काफी हद तक छुटकारा पाया जा सकता है। इसके साथ ही ये तालाब अपने आस–पास की तीन चार किलोमीटर तक मिट्टी को नम रखते हैं। इससे उस क्षेत्र में हरियाली बनी रहती है। आजकल तालाब कम हो रहे हैं। लेखक ने इस पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि जल की बढ़ती हुई मांग तथा पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए तालाबों के संरक्षण और प्रबंधन की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए।

जल की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए तालाबों का संरक्षण आवश्यक

रहिमन पानी राखिये, बिन पानी सब सून।
पानी गये न उबरे, मोती मानस चून।।

परिवर्तन प्रकृति का नियम है, परिवर्तन विकास का परिचायक भी होता है। विकास का शाब्दिक अर्थ होता है पुराने नियमों, वस्तुओं को नकारते हुए नित नई भौतिक सुख–सुविधाओं की वस्तुओं को अपनाना। विकास की दौड़ में हम बहुत कुछ नया पाते हैं लेकिन कुछ अच्छा खो भी देते हैं।

भारतीय संस्कृति प्राकृतिक अनुराग और प्रकृति संरक्षण की निरन्तर सहयोगी रही है। हमारी पुरातन संस्कृति में प्रकृति–अनुराग इस कदर रचा–बसा है कि हम प्रकृति के अभिन्न अंग हैं। हम प्रकृति से हैं, प्रकृति हमसे है। उदारीकरण, औद्योगीकरण तथा शहरीकरण ने पर्यावरण को बुरी तरह से प्रभावित किया है। वायुमण्डल में विद्यमान आक्सीजन के बाद मानव की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता जल है। जल के अभाव में भूतल पर किसी भी प्रकार के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। वास्तव में जल प्रकृति प्रदत्त एक निःशुल्क उपहार है। भूमि पर पाऐ जाने वाले विभिन्न जीवों की भांति मनुष्य स्वयं जल पर आधारित प्राणी है। मनुष्य के शरीर के कुल वजन का 52 से 67 प्रतिशत भाग जल का ही होता है। इसलिए मनुष्य के विकास के लिए जल का व्यावहारिक और विवेकपूर्ण उपयोग आवश्यक है।

भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि और पशुओं पर आधारित है। कृषि, पशु पालन, बागवानी, मछली पालन आदि का आधार जल संसाधन है। देश की लगभग 68 प्रतिशत भूमि आज भी सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर है। यदि बरसात ठीक हुई तो उपज अच्छी और यदि नहीं तो किसानों की वर्ष भर की मेहनत बरबाद हो जाती है। प्राचीन काल से ही हमारा देश वर्षा की अनिश्चितता, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, दुर्भिक्ष अकाल आदि से ग्रसित रहा है। कभी–कभार ही मानसूनी हवाएं अच्छी वर्षा कर खुशहाली देने और धरती को हरा–भरा रख पाने में समर्थ हो पाती हैं। देश में जितनी वर्षा होती हैं उसका मात्र 20 प्रतिशत हिस्सा ही हम प्रयोग में ले पाते हैं शेष जल तीव्र गति से नदियों में व्यर्थ बह जाता है।

घटते जल स्तर और पर्यावरण संतुलन के लिए ताल–तलैयां आज हमारी महती आवश्यकता हो गई हैं। पुरातन काल में हमारे पूर्वज वर्षा के जल को संरक्षित करके ताल–तलैयों में संग्रहित करके उसका असमय पूर्ण दोहन करते थे। तालाब हमारी पारिस्थितिक सामूहिक विरासत है। ये भूमि के वे निचले हिस्से हैं जिनमें वर्षा का जल इकट्ठा होता है। ये दो प्रकार के होते हैं – प्राकृतिक तालाब और कृत्रिम तालाब। प्रकृति द्वारा निर्मित छोटे–बड़े गड्ढों को प्राकृतिक तालाब कहते हैं जिनमें आसपास के क्षेत्रों से वर्षा का जल एकत्रित होता है जबकि भूमि खोदकर, बांध बनाकर वर्षा का जल एकत्रित करने के लिए बनाए गए गड्ढों को कृत्रिम तालाब कहते हैं। तालाब केवल पानी के गड्ढे ही नही होते हैं बल्कि वानस्पतिक जैविक प्रक्रियाओं का विशाल भण्डार होते हैं। तालाब कृषि, बागवानी, विभिन्न घरेलू तथा सार्वजनिक कार्यों तथा उद्योग धंधों के जल आपूर्ति के मुख्य साधन हैं। देश की कुल सिंचित भूमि का 9 प्रतिशत भाग तालाबों द्वारा सींचा जाता है। तमिलनाडु में 27 प्रतिशत, कर्नाटक में 22 प्रतिशत और पश्चिम बंगाल में 20 प्रतिशत भूमि की सिंचाई तालाबों द्वारा होती है। शेष राज्यों में तालाबों द्वारा सिंचित भूमि 20 प्रतिशत से कम है। मध्य प्रदेश में भी तालाबों से सिंचित भूमि 20 प्रतिशत से कम है। पंजाब, हरियाणा और पूर्वोत्तर राज्यों में तालाबों द्वारा सिंचित भूमि नगण्य है। मध्य प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, आसपास के कुंओं के जल स्तर में वृद्धि एवं कृषि श्रमिकों को रोजगार दिलाने के उद्देश्य से 61 जिलों में तालाब/स्टाप डेम बनाने का कार्य किया जा रहा है। प्रदेश सरकार तालाब/स्टाप डेम बनाकर समस्त कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध है। चालीस हेक्टेयर सिंचाई क्षमता वाले तालाब का निर्माण शासकीय विभाग द्वारा किया जाता है। तालाब शासकीय भूमि पर शासकीय व्यय से निर्मित किए जाते हैं।

तालाब अपने चारों ओर पर्यावरण तथा जलवायु पर प्रभाव डालते हैं। यह पर्यावरण संतुलन में बहुत सहायक होते हैं। तालाब पेड़–पौधों, पशु–पक्षियों तथा कीट–पतंगों के बीच अर्न्तसंबंध बनाए रखते हैं। यह जैविक विविधता के विकास में सहायक होने के साथ–साथ पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तालाब विभिन्न किस्म की प्रजातियों के स्थानीय तथा प्रवासी पक्षियों के आश्रय स्थल होते हैं और भूमिगत जल स्तर वृद्धि के बहुत अच्छे साधन हैं। ये अपने चारों ओर लगभग तीन–चार किलोमीटर की परिधि में मिट्टी को नम रखते हैं जिससे घास–फूस तथा पेड़–पौधे हरे–भरे बने रहते हैं और मौसम सुहावना रहता है। तालाब आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होते हैं। मछली पालन, पसही चावल और सिंघाड़े की खेती तालाबों में ही होती है। ये लोगों को रोजगार सुलभ कराने के साथ ही आमोद–प्रमोद और सैर–सपाटे की दृष्टि से भी उपयोगी होते हैं। नौका विहार, तैराकी और जलीय खेलकूद प्रतियोगिताएं भी इनमें सम्पन्न होती हैं। यह तीज–त्यौहार के प्रमुख केन्द्र होते हैं।

अपने बहुआयामी कार्यों से राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण भमिका निभाने वाले ये तालाब उचित देखभाल के अभाव में समाप्त–प्रायः होते जा रहे हैं। ताल–तलैयों पर कब्जा करके खेती करने का कुचक्र बढ़ता जा रहा है। तालाबों के उचित प्रबन्ध के अभाव में पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। निरंतर बढ़ती हुई आबादी तथा अबाध गति से ताल–तलैयों में हो रहे अतिक्रमण से इनके आकार और संख्या में सतत कमी आ रही है। परिणामस्वरूप तालाबों की जल ग्रहण क्षमता और गहराई में कमी आई है। वर्षा जल पर्याप्त मात्रा में इकट्ठा नहीं होने पर व्यर्थ नदियों में बह जाता है और कुछ ही महीनों बाद जमा हुआ जल सूख जाता है। विभिन्न क्षेत्रों में जल की निरंतर बढ़ती हुई मांग तथा पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से तालाबों के संरक्षण और प्रबन्धन की आवश्यकता है। गांवों के किसानों, युवकों, स्वयंसेवी संस्थाओं के कार्यकर्ताओं, नेहरू युवा केन्द्रों के कार्यकर्ताओं, राष्ट्रीय सेवा योजना और एन.सी.सी. के छात्रों को विशेष केम्प आयोजित कर तालाबों की गंदगी, गाद, कूड़ा–करकट, जलकुम्भी साफ करनी चाहिए। औद्योगिक संस्थान ताल–तलैयों का निर्माण कर स्वयं देख–रेख करें। विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, में राष्ट्रीय सेवा योजना और एन.सी.सी. के विभागों को सम्भाषणों और गोष्ठियों में व्यर्थ धन न गंवाकर किसी एक गांव को गोद लेकर तालाब बनाना चाहिए, उसकी देखरेख करनी चाहिए और जल संसाधन विकास में सहयोग देना चाहिए। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, कृषि मंत्रालय तथा पर्यटन मंत्रालय को तालाबों के संरक्षण, विकास और निर्माण की योजनाएं बनाकर ईमानदारी से क्रियान्वित करनी चाहिए ताकि घटते जल स्तर पर नियंत्रण पाकर जल समस्या से निजात पाई जा सके। "जल ही जीवन है" इस बात को ध्यान में रखते हुए सभी को जल संरक्षण और उसे संग्रहीत करने के कार्यक्रमों में बढ़–चढ़कर भाग लेना चाहिए। ❑

आदिवासी महिलाओं ने गाया आत्म-निर्भरता का गीत

प्रशांत कानस्कर

मध्य प्रदेश में डौंडी लोहारा विकास खंड के अंतर्गत आने वाले आदिवासी बहुल ग्रामीण क्षेत्रों में नारी जागृति की नई झलक मिलती है। खासकर, कोंड़ेकसा, डूटामारदी, पीपरखार, गोटीटोला गांवों में सबसे ज्यादा। यहां पिछड़े और कमजोर वर्ग से संबद्ध ग्रामीण महिलाओं ने खुद को आर्थिक घटक से जोड़ते हुए आत्मनिर्भरता तथा खुशहाली का रास्ता अपनाया है। इन गांवों में महिलाओं द्वारा संचालित मत्स्य पालन उद्योग, बांस आधारित उद्योग, मिठाई डिब्बा उद्योग, ईंट भट्ठा उद्योग की सफलता उनके बढ़ते आत्मविश्वास को प्रमाणित करते हैं।

मध्य प्रदेश के अंतर्गत दुर्ग जिले के इन गांवों में परिवर्तन की लहर साफ दिखाई देती है। एक समय था जब स्थानीय महिलाओं की दुनिया घर की चौखट, पास-पड़ोस और ज्यादा हुआ तो गांव की चौपाल तक ही सीमित थी लेकिन अब हालात बदले हैं। स्थिति पहले से बेहतर है। महिलाएं पुरातन घूंघट परंपरा तक ही सीमित नहीं हैं बल्कि सारे मिथक तोड़ते हुए उन्होंने प्रगतिशीलता को अपने व्यक्तित्व का प्रमुख आधार बनाया है। यह बदलाव कोई एकाएक नहीं हुआ। दुर्ग जिले ने पिछले कुछ वर्षों में अक्षर जागरण का जो दौर देखा, उसका यह सार्थक परिणाम है। महिलाओ ने पहले-पहल अ-आ, इ-ई, उ-ऊ, क ख ग घ की भाषा सीखी। अब वे अ से आर्थिक उपार्जन और ब से बाजार व्यवस्था का गणित समझ रही हैं।

महत्वपूर्ण बात यह है कि महिलाओं में वैज्ञानिक चेतना का विस्तार होने से ग्रामीण विकास की अवधारणा को मजबूती मिली है वहीं सहकारिता, संगठन, समन्वय, आपसी समझ-बूझ के साथ ग्राम्य अर्थव्यवस्था में भागीदारी के लिए नई कार्य संस्कृति का वातावरण भी तैयार हुआ है। स्थिति यह है कि महिलाओं के खान-पान, रहन-सहन, आचार-विचार में सृजनात्मकता का जहां पुट मिलता है, वहीं उनकी कार्यशैली से ग्राम्य समाजवाद की जीवंतता का बोध होता है। दूसरे शब्दों में यूं कहा जा सकता है कि महिलाओं की स्वस्फूर्त भागीदारी ग्राम्य जीवन-दर्शन में विकास का एक नया अध्याय जोड़ती है, साथ ही छोटे और कुटीर उद्योगों के विकास की संभावनाओं तथा आवश्यकताओं के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। विशेष बात यह है कि इन गांवों में पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक विकास की हृदयंगम झांकी एक साथ देखी जा सकती है। जो भी इन गांवों से लौटा है उसके मुख से गांव में आए सृजनात्मक परिवर्तन की तारीफ जरूर सुनी जा सकती है। महिलाओं की दूरदर्शिता से गांव में बदलाव का जो दौर आया है उससे संतुलित विकास पद्धति को बल मिलेगा, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। अपने शुरूआती प्रयासों को अपेक्षित सफलता मिलने से महिलाओं में वर्ग-चेतना, साहस और संघर्ष की भावना का तेजी से विकास हुआ है वहीं उनकी आकांक्षाएं तथा अपेक्षाएं दोनों ही बढ़ी हैं। अब वे अपने अधिकारों को लेकर पहले से कहीं ज्यादा जागरूक हैं।

गांव में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, बिजली की पर्याप्त सुविधा नहीं है। हर बात के लिए ग्रामीणों को डौंडी लोहारा विकास खंड मुख्यालय की ओर ताकना पड़ता है, यह शिकायत महिलाओं की है। इन गांवों तक

पहुंचना आसान काम नहीं है। ये गांव सघन वन और सुरम्य पर्वतीय क्षेत्र से घिरे हैं। जिला मुख्यालय से करीब एक सौ दस किलो–मीटर दूर इन गांवों तक पहुंचने के लिए बीहड़, एक नदी, तीन नालों और पथरीले दुर्गम टेढ़े–मेढ़े कच्चे घुमावदार रास्तों को पार करना पड़ता है। चारों गांव ज्यादा दूर नहीं, आपस में लगे हुए हैं इसलिए एक गांव की सुख–दुख की खबर आसानी से दूसरे गांव पहुंच जाती है। यहां अधिकतर लोगों का काम लकड़ी बीनना, मवेशी चराना, खेती मजूरी करना हैं। देश जब आर्थिक विकास के नए दौर से गुजर रहा है, रुपये पैसे का चलन जीवन का एक प्रमुख अंग बन गया हैं इसके बावजूद इन गांवों में कहीं–कहीं आज भी वस्तु विनियम प्रणाली की जीवंत झलक देखी जा सकती है। इन गांवों में आए रचनात्मक परिवर्तन की एक अनूठी रोचक कहानी है। गांवों की सृजनात्मक विकास यात्रा जिले के अक्षर जागरण पर्व से जुड़ी हुई है। जब गांव–गांव में अक्षर अभियान चला तो यह लहर इन गांवों तक भी पहुंची। इस लहर के दौरान पहली बार आदिवासी गांवों में अक्षर पाठ शुरू हुआ। जगह–जगह साक्षरता कक्षाएं चलीं।

सात तालाबों की मालकिन बनीं महिलाएं

यहां के पीपरखार ग्राम पंचायत को सहकारिता आंदोलन की एक प्रमुख कड़ी कहा जा सकता है। यहां सहकारिता के माध्यम से संचालित मत्स्य पालन उद्योग आज गांव के सफल उद्योगों में से एक है। इस उद्योग के यहां संचालित होने का शुरुआती किस्सा कुछ यूं है। पीपरखार ग्राम पंचायत के सरपंच की पत्नी सुकिताबाई की भूमिका साक्षरता कक्षाओं में अग्रणी रही। न केवल उन्होंने स्वयं पढ़ना–लिखना सीखा वरन गांव की निरक्षर महिलाओं को एकजुट किया और कक्षाएं लेकर उन्हें अक्षर ज्ञान कराया। इसके लिए उन्हें प्रेरित किया दुर्ग जिला साक्षरता समिति के निदेशक प्रो. डी.एन. शर्मा तथा सयोंजिका शिक्षिका साहू ने। इस तरह उसने गांव में एक अनौपचारिक महिला मंडल का गठन किया। महिला मंडल के माध्यम से गांव में आंगनबाड़ी और अन्य रचनात्मक गतिविधियां शुरू की गईं। मंडल में जितनी भी महिलाएं जुड़ीं उनमें से अधिकांश का काम जंगलों में लकड़ी बीनना और उन्हें बाजार में बेचना था। पीपरखार, गोटीटोला के आसपास तालाब अधिक हैं। इसलिए यहां मछली पालन की संभावनाएं अधिक थीं। अतः मत्स्य पालन उद्योग हाथ में लिया गया। यह सपना मत्स्य कृषक विकास अभिकरण की मदद से पूरा हुआ। महिलाओं को एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला में उपयोगी जानकारी दी गई जैसे – मछली पालन कैसे किया जाए? मछली को

सहकारिता के माध्यम से चालित मत्स्य पालन उद्योग

बीमारियों से कैसे दूर रखा जाए? मत्स्य विपणन तथा सहकारिता संबंधी समस्याओं का निराकरण कैसे किया जाए? तालाब में चूना तथा पोटाश का उपयोग क्यूं और कब किया जाए?

अगले क्रम में महिलाओं को सोरली गांव में लघु सिंचाई जलाशय संबलपुर समिति के तालाब में जाल चालन प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया गया। शफर, कतला, रोहू, मूंगल जाति की मछलियों की उपयोगिता पर प्रकाश डाला गया। जाल निर्माण संबंधी प्रशिक्षण दिया गया। इसके अतिरिक्त निःशुल्क नायलोन धागा भी प्रदान किया गया। इस तरह के प्रशिक्षण से महिलाओं का हौसला बढ़ा और जनवरी 1995 में नव साक्षर आदिवासी महिला मत्स्योग सहकारी समिति अस्तित्व में आई। समिति की अध्यक्ष बनीं सुकित ओटी, उपाध्यक्ष सेनातिन बाई।

अगली कड़ी में समिति का मत्स्य कृषक विकास अभिकरण के साथ अनुबंध हुआ। अनुबंध के तहत समिति की महिलाएं ग्राम पंचायत के सात तालाबों की हकदार बनीं। ये तालाब उन्हें दस वर्षीय लीज पर मिले हैं। इन महिलाओं को जाल क्रय और दुर्घटना बीमा आदि के लिए 3,261 रुपये का अनुदान अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया गया। आज मछली पालन उद्योग सफल उद्योगों में से एक है। महिलाएं पारंपरिक गीत गुनगुनाते हुए तालाब में खुद जाल बिछाती हैं और मछलियां पकड़ती हैं। फिर इसे राजहरा और लोहारा के बाजार में ले जाकर बेचती हैं। अभी काम इतना चल निकला है कि ठेकेदार खुद तालाब पर आकर मछलियां खरीदते हैं। जिन्हें पैसा कभी देखने नहीं मिलता था, उद्योग की शुरुआत के बाद अचानक रुपयों की आवक से उनके चेहरों की चमक देखते ही बनती है।

उत्पादक साधनों का बेहतर इस्तेमाल

हजार के आस पास आबादी वाले ग्राम कोड़ेकसा की पहचान आज ईंट भट्ठा उद्योग की वजह से है, वहीं डूटामारदी की पहचान बांस आधारित उद्योग की वजह से है। यहां महिलाओं द्वारा ईंटा और सूपा टोकनी बनाने का सुंदर नजारा देखने मिलता है। यहां इन उद्योगों की स्थापना महिलाओं द्वारा स्थानीय उत्पादक साधनों के बेहतर इस्तेमाल की वजह से संभव हुई। दोनों गांव की अपनी रोचक कहानी है। कोड़ेकसा की साक्षरता कक्षाओं में जो महिला अनुपस्थित रहती थीं उनसे महीने में दण्ड–स्वरूप 25 रुपये लिए जाते थे जिनसे पांच सौ रुपये जमा हुए। इसके अलावा माहवार बचत कर उन्होंने दस हजार रुपये इकट्ठे किए। इन्हीं रुपयों का ईंट–भट्ठा उद्योग में पूंजी के रूप में इस्तेमाल हुआ। उद्योग के लिए सुकमाबाई ने अपनी तीन एकड़ भर्री जमीन दी। उद्योग के लिए महिलाओं ने अपना श्रम निःशुल्क दिया। परिणाम यह है कि आज उद्योग में कार्यरत महिलाओं की लंबी सूची है

स्थिति यह है कि आज यह उद्योग लाभ में चल रहा है। अब तक वे 50 हजार ईंटों पर 30 हजार रुपये का लाभ कमा चुकी हैं। बिटाल, भोईटोला, पीपरखार, डौंडी लोहारा, राजहरा के लोग यहां से ईंटें ले जाते हैं। ईंट निर्माण की अपनी विशेष प्रक्रिया है। इस संबंध में महिलाएं बताती हैं कि पहले मिट्टी खोदकर पानी और भूसा से उसे मथते हैं। फिर सांचे से ईंट ढालते हैं। सूखने में कम से कम सात दिन का समय लगता है। जब 30–35 हजार ईंटें इकट्ठी हो जाती हैं तब इन्हें आग में पकाया जाता है।

डूटामारदी में बांस निर्माण उद्योग की अलग झांकी है। यहां घर–घर में टोकनी, सूपा, चटाई निर्माण होते देखा जा सकता है। इस प्रतिनिधि ने गांव में महिलाओं से बातचीत की। इन महिलाओं ने बताया कि उन्होंने दो–दो रुपये चंदा इकट्ठा कर तथा बचत कर पैसा जमा किया और इससे उद्योग शुरू किया। बांस जंगल से ही मुफ्त में मिल जाते हैं। पहले बांस को छीलते हैं फिर गांठने बैठते हैं। एक दिन में छः सूपा तैयार हो जाते हैं। बांस आधारित उद्योग शुरू करने से पहले सभी महिलाएं मजदूरी करती थीं, लेकिन उद्योग शुरू होने से उनकी स्थिति पहले से बेहतर है। एक सूपा वे 25 रुपये में, टुकना पांच रुपये में बेचती हैं। कई बार वे इसे चावल के बदले में भी दे देती हैं।

पीपरखार की मिठास

पीपरखार में न तो कोई मिठाई की दुकान है और न ही यहां मिठाई बनती है लेकिन गांव में मिठाई डिब्बा निर्माण का काम जोरों पर है। यह उद्योग यहां की नवसाक्षर महिलाओं ने शुरू किया है। यह उद्योग उनके लिए फायदेमंद रहा। कभी इन महिलाओं के लिए गुड़ और शक्कर ही मिठाई हुआ करती थी, आज स्वयं दुकान से किलो–दो किलो मिठाई खरीदने की सामर्थ्य रखती हैं। मिठाई डिब्बा उद्योग शुरू करने में इन्हें काफी मेहनत करनी पड़ी। उद्योग के लिए पूंजी जुटाने के बाद गांव का ही एक खेत निंदाई हेतु ठेके पर लिया। उद्योग शुरू करने की प्रेरणा उन्हें गांव के ही चुनूराम कुलदीप ने दी। समिति की संयोजिका रमशिला के अनुसार, दशहरा, दिवाली, मड़ई में मिठाई डिब्बे की खूब बिक्री होती है। इसके अलावा इन महिलाओं ने 1700 रुपयों में एक आम का बगीचा किराए पर ले रखा है, इससे उन्हें काफी फायदा हुआ। इन फायदों से उनके जीवन–शैली में आया परिवर्तन स्पष्ट देखा जा सकता है।

चारों गांव में चलित उद्योग झांकी यह दर्शाती है कि महिलाओं की शक्ति और जनसमूह का उपयोग इन आदिवासी बहुल गांवों में रचनात्मकता के लिए हुआ है जिनकी मदद से गांव में आर्थिक ढांचे का नव–निर्माण जारी है। औद्योगीकरण चाहे देश में कितने ही बड़े पैमाने पर क्यों न हो लेकिन गांव में लघु तथा कुटीर उद्योग के विकास की संभावनाएं आज भी हैं। जहां तक ग्रामीण महिलाओं का प्रश्न है, परिवार और गांव की आर्थिक विषमता दूर करने का साझा प्रयास उन्हें प्रगतिवाद से जोड़ता है, वहीं उनकी परिष्कृत सामाजिक चेतना को भी इंगित करता है। ग्रामीण महिलाओं ने दल विशेष, समुदाय, धर्म, भाषा, जाति, बोली की संकीर्णता से ऊपर उठकर काम किया है, वहीं अपनी जीर्ण–शीर्ण परिस्थिति से उबरकर समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाने का प्रयास किया है। अंत में यही कहा जा सकता है कि इन आदिवासी महिलाओं ने अपने योगदान से सामाजिक परिवर्तन को नई दिशा दी है। ❑

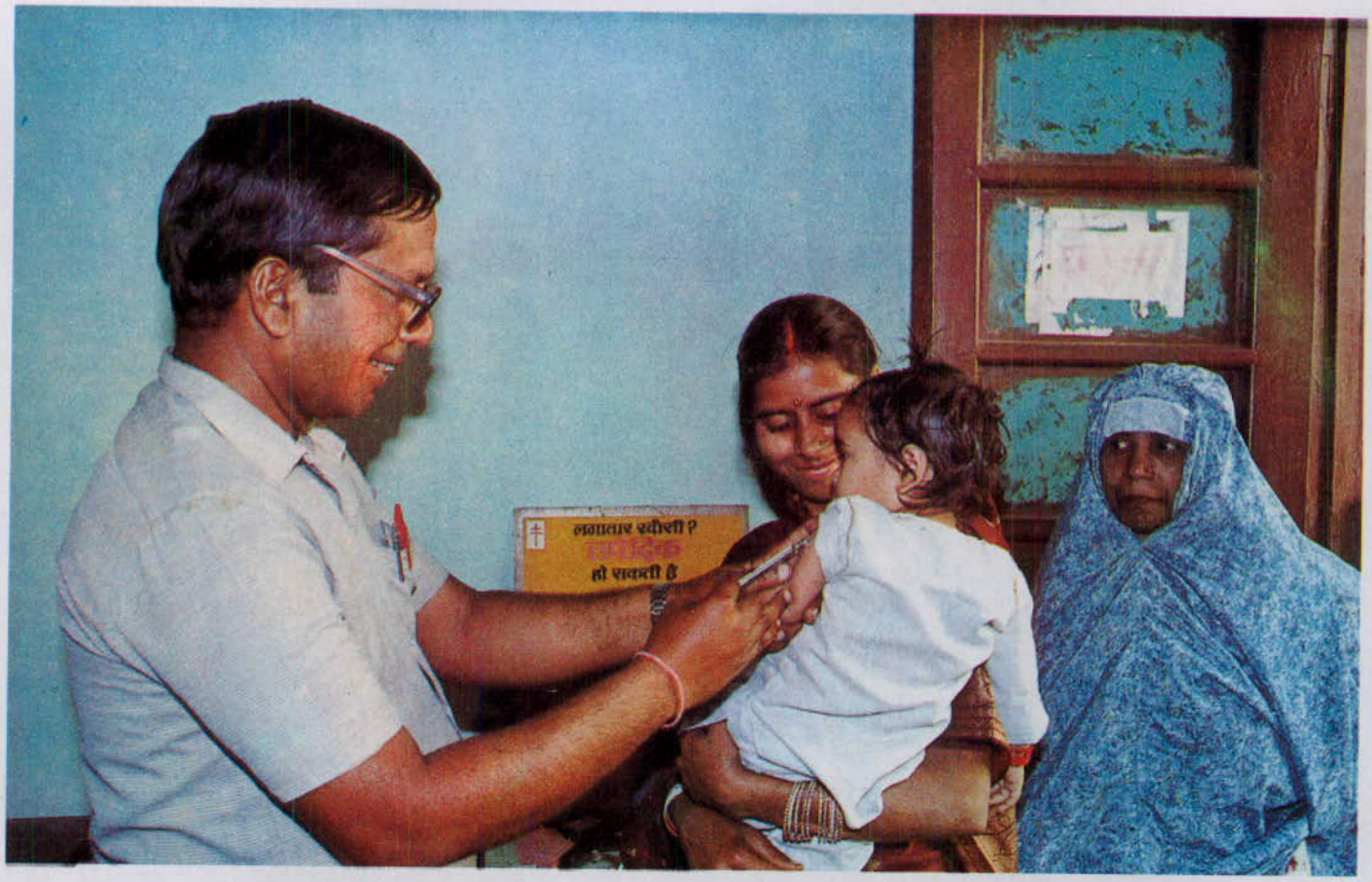

चिकित्सा स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ भ्रांतियां

डा. सुरेन्द्र कुमार कटारिया

हमारे देश में अनपढ़ लोगों में ही नहीं, बहुत से पढ़े–लिखे लोगों में भी स्वास्थ्य और चिकित्सा के बारे में कुछ गलत धारणाएं मौजूद हैं। कुछ लोग सिर पर बाल उगाने, कुछ बालों को काला करने और कुछ कील मुहांसों से छुटकारा पाने के लिए डाक्टरों के चक्कर लगाते हैं। कुछ युवा तथाकथित जवानी की ताकत प्राप्त करने के लिए नीम हकीमों के चंगुल में फंस जाते हैं। इसी तरह कुछ महिलाएं पुत्र–प्राप्ति के लिए तरह–तरह के 'इलाज' करवाती हैं। रक्तदान के बारे में भी यही भ्रांति है कि इससे शरीर में कमजोरी आती है। कुछ लोग मानते हैं कि एलौपैथिक दवाएं गर्मी देती हैं। इन धारणाओं के पीछे सच्चाई क्या है पढ़िए इसका ब्यौरा इस लेख में।

आदि काल से ही मनुष्य में स्वस्थ बने रहने की लालसा विद्यमान रही है शिक्षा एवं विज्ञान के प्रसार के कारण अब स्वास्थ्य के प्रति चेतना और भी बढ़ गई है। लेकिन "स्वास्थ्य शिक्षा" की कमी के कारण हमारे समाज में चिकित्सा तथा स्वास्थ्य से जुड़ी अनेक मिथ्या धारणाएं भी हैं जो ग्रामीण, शहरी, पढ़े–लिखे तथा अनपढ़ सभी में लगभग समान रूप से विद्यमान हैं। सर्वप्रथम "चिकित्सा" तथा "स्वास्थ्य" के अर्थों को स्पष्ट करना आवश्यक है। सामान्यतः चिकित्सा सेवा (मेडीकल सर्विस) का तात्पर्य रोगों के निदान, उपचार, औषधि, शल्यक्रिया तथा भर्ती रोगी की वार्ड में की जाने वाली सेवा से है जबकि "स्वास्थ्य" सेवाओं (हैल्थ सर्विस) का दायरा रोगों से बचाव, टीकाकरण, परिवार नियोजन, पर्यावरण–स्वच्छता, गर्भवती माता और शिशु सेवा, पोषण तथा स्वास्थ्य शिक्षा से सम्बन्धित

है। यद्यपि कई बार केवल स्वास्थ्य सेवा या "स्वास्थ्य विभाग" कहने का तात्पर्य चिकित्सा और स्वास्थ्य दोनों से होता है।

चिकित्सा से जुड़ी सबसे बड़ी भ्रामक धारणा "ग्लूकोस" के बारे में है। एक आम भारतीय यह सोचता है कि ग्लूकोस बहुत ही ताकतवर तथा चमत्कारी दवा है। इसी कारण प्राइवेट डाक्टर साधारण बुखार, पेट दर्द, दस्त इत्यादि में ग्लूकोस की एक–दो बोतलें रोगी को लगा देते हैं तथा सौ से पांच सौ रुपये तक ऐंठ लेते हैं। वस्तुतः ग्लूकोस की एक सामान्य बोतल (जी.एन.एस.) में आधा किलो स्वच्छ कीटाणु रहित पानी, 4.5 ग्राम नमक तथा 25 ग्राम चीनी होती है। अब आप स्वयं ही सोच लीजिए कि ग्लूकोस में कितनी ताकत होती है? किसी भी रोगी को ग्लूकोस तभी दिया जाना चाहिए जबकि रोगी बेहोश हो, या उसे ग्लूकोस के माध्यम से कोई दवा शनैः–शनैः प्रवाहित करनी आवश्यक हो। यदि रोगी आराम से कुछ खा पी सकता है तो ग्लूकोस की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार बहुत से व्यक्ति अस्पतालों में बाल उगाने या बाल काले करने की दवा, मुहांसे हटाने की दवा या चश्मे के बिना नजर ठीक करने की दवा लेने आते हैं। यहां यह स्पष्ट करना अति आवश्यक है कि उपर्युक्त वर्णित सभी प्रकरणों की कोई दवा नहीं होती है। हां, केवल रोगी के रोग की विशिष्टता के आधार पर कतिपय सहायक औषधियां अवश्य दी जा सकती हैं। यदि बाल काले करने या चश्मे से मुक्ति पाने की दवा होती तो चिकित्सकगण उसे क्यों नहीं अपनाते? इसी प्रकार बहुत से नौजवान दुष्प्रचार के प्रभाव में आकर तथाकथित जवानी प्राप्त करने की दवा नीम–हकीमों से प्राप्त करते हैं। कतिपय महिलाओं को यह भ्रम रहता है कि किसी प्रकार की दवा या मंत्र से पुत्र प्राप्त हो सकता है जबकि वास्तविकता यह है कि महिला के डिम्ब में एक्स, एक्स गुणसूत्र होते हैं तथा पुरुष के शुक्राणु में एक्स और वाई गुणसूत्र होते हैं। महिला का एक्स तथा पुरुष–एक्स गुणसूत्र मिलकर कन्या पैदा करते हैं जबकि महिला का एक्स और पुरुष का वाई मिलकर पुत्र को जन्म देते हैं। यह प्रक्रिया निषेचन के समय पूर्णतया प्राकृतिक है। इस पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं किया जा सकता।

कुछ दुबले–पतले व्यक्ति मोटा होने की दवा भी मांगते हैं जिन्हें प्रायः विटामिन की गोली का घोल दिया जाता है। वस्तुतः मोटा होने के लिए दिया जाने वाला विटामिन (बी. काम्पलैक्स) केवल साधारण भूख बढ़ाने तथा शारीरिक क्रिया ठीक करने में ही सहायक

ग्लूकोस की एक सामान्य बोतल (जी.एन.एस.) में आधा किलो स्वच्छ कीटाणु रहित पानी, 4.5 ग्राम नमक तथा 25 ग्राम चीनी होती है। अब आप स्वयं ही सोच लीजिए कि ग्लूकोस में कितनी ताकत होती है?

है। मोटा होने के लिए चिन्ता रहित जीवन, ठोस आहार तथा व्यायाम बहुत जरूरी है।

इसी प्रकार चोट लगने पर अधिकांश रोगी चाहते हैं कि किसी अच्छी–सी मलहम से घाव फटाफट ठीक हो जाए। दरअसल शरीर पर लगी चोट स्वतः ही प्राकृतिक रूप से धीरे–धीरे ठीक होती है। घाव पर लगाई जाने वाली मलहम तो केवल घाव को धूल, मिट्टी तथा कीटाणुओं से बचाती है, घाव को भरती नहीं है। आप स्वंय विचार कीजिए कि पशुओं के लगी चोट पर कौन मलहम लगाता है? याद रखिए यदि शरीर पर रगड़नुमा, चोंट या खरोंच लगी है तो उसे खुला छोड़िए, दवा मलहम तथा पानी कुछ मत लगाइए। रगड़नुमा चोट पर एक दो रोज में स्वतः ही पपड़ी बन जाएगी। यही सर्वोत्तम उपचार है। इसी तरह हड्डी टूटने पर या अन्य चोटों के समय रोगी को निरंतर दर्द निवारक या नींद की दवा का आदी भी मत बनने दीजिए। कुछ कष्ट सहन करना ही सर्वोपरि है अन्यथा कई बार रोगी नींद की दवाओं का स्थायी आदी भी बनते देखा गया है।

भारतीय रंगकर्मियों तथा फिल्मों ने भी चिकित्सा से जुड़ी एक व्यापक भ्रान्ति का प्रचार किया है। प्रायः फिल्म के किसी पात्र को अस्पताल में भर्ती कराने पर डाक्टर कहता है – "रोगी को इन्जैक्शन लगा दिया है, अभी होश में आ जाएगा। "वास्तविकता यह है कि इस दुनिया में ऐसा कोई इन्जैक्शन नहीं बना है जो बेहोश रोगी को होश में ला सके। हां, इतना अवश्य है कि रोगी को अन्य सहायक दवाएं देने पर कष्ट कम होने पर स्वतः ही होश आ जाता है। अतः किसी परिचित रोगी को होश में लाने के लिए यथार्थ की दुनिया के डाक्टरों से कभी विवाद मत कीजिए। रोगी को उसके रोग लक्षणों के आधार पर दी गई दवा से आराम मिलने पर स्वतः ही होश आता है। चिकित्सकों और नर्सों, विशेषतः टी.बी. अस्पताल के कार्मिकों, से एक प्रश्न प्रायः आम जनता द्वारा पूछा जाता है कि "टी.बी. अस्पताल के डाक्टर, नर्स एवं अन्य कर्मचारी क्षय रोग से बचने के लिए कौन सी दवा खाते हैं? जब चिकित्साकर्मी यह प्रत्युत्तर देते हैं कि "कुछ नहीं", तो अधिकांश व्यक्ति आश्चर्य करते हैं। वस्तुतः होता यह है कि टी.बी. अस्पताल के वातावरण में कार्य करते–करते, निरंतर कीटाणुओं के सम्पर्क में आते रहने से धीरे–धीरे चिकित्साकर्मियों के शरीर में स्वतः ही प्रतिरोध क्षमता (इम्यूनिटी) पैदा होती जाती है।

कुछ भ्रांतियां पोस्टमार्टम के बारे में भी हैं। यह कोरा भ्रम है कि मरने के बाद मानव शरीर का खून पानी में बदल जाता है। दरअसल मृत्यु के पश्चात् धीरे–धीरे शरीर अकड़ता है, फिर अकड़न ढीली पड़ती है, शरीर का रंग धीरे–धीरे काला पड़ता है तथा अंगों का क्षरण शुरू होता है और कुछ दिन पश्चात रक्त समाप्त हो जाता है। ये सभी प्रक्रियाएं निर्धारित अवधि में होती हैं। इन्हीं लक्षणों से मृतक की मृत्यु का संभावित समय पता लगाता है। कुछ लोग यह भ्रामक विचार भी रखते हैं कि पोस्टमार्टम के समय शरीर के अंग निकाल लिए जाते हैं, जबकि अधिकांश प्रकरणों में शरीर से कुछ नहीं निकाला जाता हैं जहर और अन्य सन्देहास्पद स्थितियों में केवल गुर्दे, जिगर, हृदय तिल्ली तथा मस्तिष्क के कुछ टुकड़े प्रयोगशाला जांच हेतु लिए जाते हैं, तथा इनका वर्णन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अवश्य किया जाता है। यह कहना गलत है कि हर बार मृतक के अंग इत्यादि डाक्टर

निकाल लेते हैं तथा शव को यूं ही चीर फाड़ कर परिजनों को देते हैं। आपने स्वयं देखा होगा कि पोस्टमार्टम के पश्चात् शव की भली–भांति सिलाई तथा पैकिंग की जाती है फिर सुनी–सुनाई बातों पर विश्वास क्यों?

कई बार आपको लगता होगा कि डाक्टर खांसी, जुकाम, बुखार तथा फोड़ा–फुन्सी जैसे सभी रोगों में एक ही दवा (एन्टीबायोटिक)

वास्तविकता यह है कि महिला के डिम्ब में एक्स, एक्स गुणसूत्र होते हैं तथा पुरुष के शुक्राणु में एक्स और वाई गुणसूत्र होते हैं। महिला का एक्स तथा पुरुष–एक्स गुणसूत्र मिलकर कन्या पैदा करते हैं जबकि महिला का एक्स और पुरुष का वाई गुण सूत्र मिलकर पुत्र को जन्म देते हैं।

लिखते हैं। संभवतः इससे आपको झल्लाहट भी होती होगी। दरअसल बहुत से रोग जीवाणुओं के कारण होते हैं। इन जिवाणुओं को समाप्त करने वाली दवाएं एन्टीबायोटिक्स कहलाती हैं। अंग्रेजी दवाओं से संबंधित एक अन्य भ्रामक धारणा है – गर्मी की। बहुत सी ग्रामीण महिलाएं प्रायः कहती हैं कि – "उनको फलां दवा गर्मी करती है।" वस्तुतः ऐलोपैथी की दवाएं रासायनिक पदार्थों का मिश्रण ही होती हैं जो हमारे शरीर पर लाभदायक तथा घातक दोनों ही प्रकार के प्रभाव दिखाती हैं। दवा का लाभ तथा दुष्प्रभाव रोगी की स्थिति पर निर्भर करता है। वैसे अभी तक ज्ञात नहीं हो सका है कि वास्तव में यह गर्मी क्या है? अतः अनावश्यक रूप से तनावग्रस्त न रहें। उस दवा का नाम अवश्य याद रखें जो आपको रिएक्शन करती है। एलर्जी और तथाकथित गर्मी का आपस में कोई मेल नहीं है। इसी प्रकार परिवार नियोजन कार्यक्रम को निष्प्रभावी करने में भी एक भ्रांति उत्तरदायी है कि नसबंदी के बाद यौन क्षमताएं कम या नष्ट हो जाती हैं। यहां यह स्पष्ट करना बहुत आवश्यक है कि पुरूष या महिला नसबंदी किसी भी स्थिति में यौन संतुष्टि को प्रभावित नहीं करती है क्योंकि नसबंदी के दौरान केवल उन्हीं अंगों को छेड़ा जाता है जो प्रजनन से सम्बन्धित हैं। नसबंदी के बाद पुरुष या महिला दोनों सामान्य बने रहते हैं। सैक्स संबंध भी पहले की भांति बने रहते हैं, अतः निश्चिंत होकर नसबंदी करवाइये। आजकल तो पुरुषों की भी बिना चीर–फाड़ की नसबंदी सुविधा उपलब्ध हो गई है। शिक्षा तथा चेतना के प्रसार के बावजूद आज भी भारत में नब्बे प्रतिशत से अधिक मामलों में पतियों के बजाय पत्नियां नसबंदी करवाती हैं क्योंकि महिलाएं मानती हैं कि पुरुष नसबंदी से आदमी की शारीरिक ताकत कम हो जाती है। यह भी कोरा भ्रम है क्योंकि शरीर की ताकत तो मुख्यतः हाथ पैरों की मांसपेशियों पर निर्भर करती है। अतः यदि आपकी चिकित्सा या स्वास्थ्य से जुड़ी कोई समस्या हो तो जनसाधारण की बातों में उलझने की बजाए किसी चिकित्सक से परामर्श लीजिए।

भारतीय समाज में रक्त दान से संबंधित अनेक गलत धारणाएं प्रचलित हैं। प्रायः यह माना जाता है कि मानव शरीर में रक्त बहुत धीरे–धीरे तथा मुश्किल से बनता है तथा अस्पताल में रक्त दान के समय लगभग सारा खून निकाल लिया जाता है। सच्चाई यह है कि स्वस्थ व्यक्ति में लगभग 5 लीटर रक्त होता है और रक्तदान के समय लगभग 250 मिली लीटर रक्त (एक यूनिट) या एक बोतल में लिया जाता है। इस बोतल में रक्त को जमने से बचाने के लिए काफी मात्रा में एक दवा पड़ी रहती है। इसी कारण एक बोतल खून बहुत सारा दिखाई देता है। हमारा रक्त शरीर में स्वतः ही बनता तथा समाप्त होता रहता है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। अतः कोई भी सामान्य व्यक्ति प्रत्येक छः माह में रक्त–दान कर सकता है। आवश्यकता पड़ने पर अपरिचित व्यक्ति से खून मांगने की अपेक्षा स्वयं अपना कर्त्तव्य निभाइये। यदि आपका रक्त ग्रुप रोगी से मेल नहीं खाता है तो भी रक्त दान कीजिये क्योंकि रक्त बैंक में, रक्त के बदले रक्त आपस में बदल दिया जाता है। बहुत से व्यक्ति यह प्रयास भी करते हैं कि रक्त की व्यवस्था अस्पताल से ही हो जाए। आपने कभी सोचा है कि अस्पताल में रक्त कहां से आता है? अस्पताल में उपलब्ध रक्त समाज सेवकों, सैनिकों, विद्यार्थियों तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा दान किया गया रक्त है। रक्त बनाने की कोई मशीन या दवा नहीं है। जब दूसरे लोग आपके रोगी हेतु रक्तदान कर गए हैं तो आप क्यों रूकते हैं। अतः एक–दो बोतल रक्त की आवश्यकता के समय आप यह दान अवश्य करें। एक साथ 4–5 बोतल रक्त की जब आवश्यकता होती है तो कुछ सहायता अस्पताल से मिल सकती है।

कुछ बीमारियों जैसे – दमा (अस्थमा), मधुमेह (डायबिटिज) तथा उच्च रक्त चाप (हाई ब्लड प्रेशर) का स्थायी उपचार संभव नहीं है। इसके रोगियों को नियमित दवा तथा पथ्य परहेज की ओर ही ध्यान देना चाहिए। जबकि बहुत से रोगी विज्ञापनों या सुनी–सुनाई बातों के आधार पर यहां से वहां निरर्थक भटकते रहते हैं। अतः असाध्य रोगों से ग्रस्त रोगियों को चाहिए कि किसी वरिष्ठ चिकित्सक (विशेषज्ञ) से परामर्श लें और धैर्य रखें। यदि स्वास्थ्य से सम्बन्धित कोई समस्या या भ्रान्ति हो तो विशेषज्ञ चिकित्सक से परामर्श लीजिए। सुनी–सुनाई बातों पर विश्वास करना कई बार बहुत हानिकारक हो सकता है। ❑

कुरुक्षेत्र मंगाने का पता

विज्ञापन और प्रसार प्रबंधक
प्रकाशन विभाग
ईस्ट ब्लाक–4 लेवल–7
आर.के. पुरम, नई दिल्ली–110066

मूल्य एक प्रति	:	सात रुपये
वार्षिक शुल्क	:	70 रुपये
द्विवार्षिक	:	135 रुपये
त्रिवार्षिक	:	190 रुपये
विदेशों में (हवाई डाक द्वारा)		
पड़ोसी देशों में	:	500 रुपये (वार्षिक)
अन्य देशों में	:	700 रुपये (वार्षिक)

प्याज : स्वास्थ्य का राज़

मुकेश चन्द्र शर्मा

प्याज की खोज आज से लगभग पांच हजार वर्ष पूर्व मध्य एशिया में हुई थी। तभी से प्याज को स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी फल माना जाता रहा है। ईसा से तीन हजार वर्ष पूर्व – मिस्र में जो मकबरे बने थे, उनमें आज भी हमें प्याज के चित्र देखने को मिलते हैं। मिस्र के पिरामिडों का निर्माण करने वाले मजदूरों का मुख्य आहार प्याज ही था। प्याज की गांठ में परत दर परत होने के कारण मिश्र के लोग इसे अमरता का प्रतीक मानते थे और इसलिए प्रायः प्याज को ही दांये हाथ में रखकर किसी भी प्रकार की शपथ लिया करते थे। रोमन सम्राट नीरो ने प्याज का नियमित प्रयोग करके अपना स्वर सुरीला बना लिया था। मध्यकालीन यूरोप में प्याज को किराया चुकाने या विवाह पर उपहार देने के भी काम में लिया जाता था। 1596 में प्रकाशित पुस्तक 'दि ग्रेट हरबल' में कहा गया कि प्याज के रस से गंजी खोपड़ी पर भी बाल उग सकते हैं, दौरे पड़ने बंद हो सकते हैं तथा पागल कुत्ते के काटे व्यक्ति ठीक हो सकते हैं। अमरीका के जनरल यूलिसीज एस ग्रांट का विश्वास था कि प्याज पेचिश तथा अन्य अनेक बीमारियों को रोकती है। इसलिए युद्ध के मैदान में आगे बढ़ने से पहले वह अपनी पूरी सेना के लिए पर्याप्त मात्रा में प्याज साथ रखता था। अमरीकी गृह युद्ध के समय एक बार जब उसके पास प्याज समाप्त हो गया तो उसने युद्ध विभाग को अपना स्पष्ट संदेश भेजा कि बिना प्याज के वह अपनी फौज को आगे नहीं बढ़ा सकता। तब अगले ही दिन जनरल ग्रांट के पास प्याज से भरी तीन माल गाड़ियां रवाना कर दी गईं।

पश्चिमी आयुर्विज्ञान के जन्मदाता हिपोफेट्स के अनुसार प्याज आंखों की रोशनी भी बढ़ाता है। अन्य अनेक मान्यताओं के अनुसार प्याज से जुकाम दूर होता है, चेहरे का रंग निखरता है, उच्च रक्तचाप कम होता है तथा गठिया की बीमारी में लाभ पहुंचता है। जुकाम तथा अन्य अनेक रोगों में चमत्कारी लाभ पहुंचाने वाली होम्योपैथिक औषधि एलिम सीपा, प्याज से ही बनती है। कुछ वर्ष पूर्व इंग्लैंड में किए गए एक प्रयोग के अनुसार प्याज खाने वाले व्यक्तियों में रक्त के थक्के कम बनते हैं। अमरीका के वैज्ञानिकों ने हाल में प्याज में से प्रोस्टाग्लांडिन ए नामक एक ऐसा तत्व निकाला है जिससे मनुष्यों में मानसिक तनाव कम होता है।

प्याज की तेज गंध के कारण कुछ लोग इससे परहेज करते हैं। मगर इसी तेज गंध के कारण प्याज हमारी लगभग प्रत्येक सब्जी को अत्यंत स्वादिष्ट और चटपटी बनाने में सक्षम है। प्याज अकेले भी भूनने, उबालने, भाप में पकाने या केवल कच्ची ही अपने विशिष्ट स्वाद को बनाए रखती है। प्याज के इस स्वादिष्ट स्वरूप के कारण आज पश्चिमी देशों के और विशेषतः फ्रांस के रसोईघरों में इसे विशेष सम्मान प्राप्त है। पाक कला के एक विशेषज्ञ आंत्वान जिली का कहना है कि यदि प्याज ने मदद न की होती तो वह अपने पेशे की ऊंचाइयों को छू ही नहीं पाता।

प्याज की अनेक किस्में होती हैं। स्वाद तथा स्वास्थ्य की दृष्टि से सभी अनुपम हैं। प्याज अपने सभी आकार–प्रकारों में मनुष्य के लिए उपयोगी खाद्य पदार्थ है। सामान्य रूप में छोटे प्याज उबालने या अचार बनाने के लिए, मंझोले प्याज भूनने या उबालने के लिए तथा बड़े प्याज कतले बनाने के लिए उपयुक्त

(शेष पृष्ठ 44 पर)

भारत में पुष्प उद्योग : रोजगार के अवसर

प्रो. जी. लाल

भारत में प्राचीन काल से ही पुष्पोत्पादन हो रहा है, लेकिन उद्योग के रूप में पुष्पोत्पादन अभी कुछ वर्षों से ही शुरू हुआ है। एक समय था जब भारतीय फूलों की दिलकश खुशबू सुनहरी शीशियों में बंद होकर विदेशों तक पहुंचती थी और विशेषकर पीत–वर्णीय सुगंधित सुमनों से बने इत्र की विदेशों में भारी मांग थी। आज भी इत्र व्यवसाय पूर्णतः पुष्पोत्पादन पर निर्भर है।

भारतीय संस्कृति में फूलों का सदा ही विशेष महत्व रहा है। कोई भी शुभ कार्य हो या खुशी के अवसर पर फूलों की मांग बनी रहती है। मंदिरों की सजावट, शादी के अवसर पर मण्डप सजाने, होटलों की सजावट और फुलवारी आदि के लिए फूलों की आवश्यकता पड़ती है। धार्मिक कार्यों और देवी–देवताओं की पूजा–अर्चना में तो इनका प्रयोग आवश्यक रूप से किया जाता है।

फूलों की बढ़ती मांग

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देश–विदेश की फूल मंडियों में बढ़ती मांग को देखते हुए इस उद्योग के विकास और विस्तार की अपार संभावनाएं हैं। भारत एक कृषि–प्रधान राष्ट्र है, जिसकी अधिकांश जनसंख्या कृषि पर आश्रित है। यहां एक ओर देश में बढ़ती जनसंख्या के फलस्वरूप कृषि भूमि सिमटती जा रही है, वहां दूसरी ओर संयुक्त परिवारों के विघटन से बड़े खेत भी टुकड़ों में बंटते जा रहे हैं। ऐसी विकट स्थिति से तंग आकर कई परिवारों ने तो फूलों की खेती से नाता ही तोड़ लिया है। अब विशेषकर शहरी क्षेत्रों के नजदीकी किसान या तो अपनी जमीन ऊंचे दामों में बेचकर अन्य व्यवसाय अपना रहे हैं या फिर व्यावसायिक फसलों का ही उत्पादन करने लगे हैं। उनमें पुष्पोत्पादन भी एक है जिसमें उन्हें अच्छा मुनाफा मिलने से उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं।

बदलते आधुनिक आर्थिक परिवेश में फूलों की मांग में निरन्तर वृद्धि होना पुष्प उद्योग के लिए शुभ–संकेत ही कहा जा सकता है क्योंकि वर्तमान विश्व बाजार में फूलों का कारोबार लगभग पचास हजार करोड़ रुपये से भी ज्यादा है फिर भी फूल कम ही पड़ रहे हैं। सामान्यतः यूरोपीय देशों की सम्पन्नता के साथ ही साथ फूलों की मांग बढ़ी है। इसके परिणामस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय फूलमण्डी में भारत जैसे अनेक विकासशील राष्ट्र भी प्रतिस्पर्द्धा में शामिल हो गए हैं।

इस क्षेत्र में विकासशील राष्ट्रों ने विशेषकर हालैंड (नीदरलैंड) का अनुसरण किया है। हालैंड जैसा छोटा राष्ट्र ही इस उद्योग द्वारा समृद्ध बन विश्व बाजार में अग्रणी बन सकता है तो वे क्यों नहीं? हालैंड में करीब पच्चीस हजार बागवान पुष्प उत्पादन में लगे हुए हैं और करोड़ों डालरों का मुनाफा कमा रहे हैं वहां इस उद्योग की सफलता का प्रमुख श्रेय ग्रीन हाऊस पद्धति को है।

'ग्रीन हाऊस' तकनीक की आवश्यकता

ग्रीन हाऊस या दूसरे ढके हुए वातावरण में की जाने वाली फूलों की पैदावार खुले स्थानों की तुलना में अधिक होती है। फूलों को गर्मी से बचाने के लिए बड़े–बड़े ग्रीन हाऊस बनाने पड़ते हैं तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार की व्यावसायिक प्रतिस्पर्द्धा में वे ही पुष्प टिक पाते हैं जो ग्रीन हाऊस के नियंत्रित वातावरण में तैयार और पल्लवित हुए होते हैं।

भारत ने ग्रीन हाऊस पद्धति अपना ली है। और बंगलौर में यह पद्धति काफी लोकप्रिय हुई है तथा इस क्षेत्र में विस्तृत अनुसंधान

हिमाचल प्रदेश में पालमपुर स्थित केन्द्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान द्वारा किया जा रहा है।

भारत में ग्रीन हाऊस पद्धति की शुरुआत 1965 में इंडो–अमेरिकन सीड्स कम्पनी ने की थी। फिर भी चीन अब इस क्षेत्र में सबसे आगे है, जहां लगभग चार लाख हैक्टेयर क्षेत्र ग्रीन हाऊस के अन्तर्गत है। इसके अतिरिक्त जापान, इंग्लैंड, फ्रांस और अमरीका में भी इसी तकनीक द्वारा यह उद्योग फूला–फला है।

भारत भी पुष्पोत्पादन उद्योग में विदेशों से प्रतिस्पर्द्धा कर सकता है, क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय फूलों की मांग बेहद बढ़ रही है तथा भारत में पुष्पोत्पादन के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। राजस्थान के पुष्कर क्षेत्र में भी गुलाब की खेती की अच्छी सम्भावनाओं का पता चला है। पुष्पोत्पादकों को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने के कारण भारतीय पुष्पोत्पादक कीनिया, थाईलैंड, जिम्बाब्वे, इण्डोनेशिया आदि जैसे विश्व के अनेक छोटे–छोटे राष्ट्रों से भी प्रतियोगिता में पीछे हैं।

विकास की सम्भावनाएं

पुष्पोत्पादन उद्योग में करीब एक करोड रुपये की पूंजी का निवेश ग्रीन हाऊस तकनीक और सिंचाई प्रबन्धन के लिए करना पडता है, इसलिए बड़े पैमाने पर खेती के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण सुविधा प्रदान की जा सकती है जैसा कि कृषि विकास क्षेत्र में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) पुनर्वित्त की सुविधा प्रदान करता है। इसके अलावा राज्य वित्त निगम, औद्योगिक वित्त निगम तथा ग्रामीण सहकारी बैंकों द्वारा भी वित्तीय सुविधा प्रदान कर इस उद्योग के प्रति कृषकों में रुचि जागृत कर आकर्षण पैदा किया जा सकता है।

इस प्रकार बारानी खेतों को कतिपय ढांचागत सुविधाएं प्रदान कर उनका निरन्तर और भरपूर उपयोग किया जा सकता है। इसके लिए कृषि विस्तार केन्द्र अहम भूमिका निभा सकते हैं। इन केन्द्रों द्वारा समय–समय पर किसानों को उचित मार्गदर्शन और सलाह प्रदान की जा सकती है। इससे व्यावसायिक फसलों के साथ–ही साथ पुष्पोत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा तो कृषि–आधारित उद्योगों का तेजी से विकास सम्भव हो सकेगा। प्रदूषण रहित यह उद्योग रोजगार के अवसर जुटाने, आय के साधनों में वृद्धि और विदेशी मुद्रा अर्जन की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं।

स्पष्ट है कि पुष्पोत्पादन उद्योग दूसरे अन्य उद्योगों से अलग ही प्रकृति का है क्योंकि यह एक ऐसा उद्योग है जिसमें बिना कठिन श्रम के सस्ता उत्पादन सम्भव है और परिवार के लगभग सभी सदस्यों को सहज काम मिलने से समय की बचत भी होती है।

अनुकूल जलवायु

भारतीय कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार देश की जलवायु पुष्पोत्पादन के लिए अनुकूल है, विदेशों की तुलना में भारत को अनेक प्राकृतिक लाभ प्राप्त हैं जैसे उष्ण कटिबंधीय जलवायु, उत्तम मिट्टी, स्वच्छ जल और पर्याप्त सूर्य की रोशनी। यही नहीं, विशेषकर गुलाब के लिए आवश्यक तापमान दिन में 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड और रात में 15 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड भी उपलब्ध है।

अतः इससे भी अधिक सुखद स्थिति यह है कि जब दिसम्बर माह में यूरोप में भयंकर ठंड के कारण फूलों का उत्पादन नहीं होता तब भारत में पुष्पोत्पादन बड़े पैमाने पर होता है जिनका निर्यात किया जाता है। इसी कारण भारत का निर्यात 25 फीसदी बढ़ा है। वर्तमान में महाराष्ट्र में यह उद्योग तेजी से पनपा है जिसके कारण फूल निर्यात में राज्य की भागीदारी पचास प्रतिशत से भी अधिक हो गई है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के एक सर्वेक्षण के अनुसार इस उद्योग का भविष्य उज्ज्वल है। देश के पांच महानगरों में प्रतिवर्ष 9.26 करोड़ रुपये के 10–12 हजार टन फूल बिकते हैं। अतः सजावट के साथ ही साथ यदि फूलों पर आधारित इत्र, गुलाबजल, गुलकन्द, तेल और औषधि उद्योगों को अधिकाधिक प्रोत्साहन और संरक्षण मिले तो विकास की विपुल सम्भावनाएं हैं। इस दृष्टि से कृषि उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) और केन्द्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान (सी.एस.आई.आर.) को अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी चाहिए ताकि हम कड़ी विदेशी प्रतिस्पर्धा में ठहर सकें। ❑

(पृष्ठ 13 का शेष)

हारे हुए

पिछले दो सालों में, जबसे बंटवारा हुआ था, वे बिलकुल अपने आप में सिमट आए थे। छोटा भाई साल में एक–दो चिट्ठी डालकर जरूर पूछ लेता कि वे किस हाल में हैं। चिट्ठी पढ़कर वे मुस्कराते पर उनकी यह मुस्कराहट उनके होंठों को चीरकर बड़ी मुश्किल से बाहर तक आ पाती। अलग होकर भी भाई पत्र लिखता है, हाल चाल पूछता है, इसे उसकी सदृश्यता ही मानते। बेटे के पत्र भी कभी–कभी आते। वह हर पत्र में एक ही बात लिखता – 'आप गांव का झमेला खत्म कर हमारे पास आ जाएं।' उन्होंने इसका उत्तर कभी नहीं दिया।

गांव वालों के बीच उठना–बैठना अब उन्हें अच्छा नहीं लगता था। लोग बिना सोचे समझे कुछ भी कह देते। उनकी अब सिर्फ एक ही चाह थी, एक ही कोशिश थी, किसी तरह यह गड्ढे वाला मुकदमा वे जीत जाएं। इन नीम के पेड़ों को कटने से बचा लें। उन्हें पता था, हरिहर मुकदमा जीतते ही इन्हें कटवा देगा। वर्षों पहले उसने कसम खाई थी – 'अगर इन पेड़ों को नहीं कटवाया तो मेरा नाम हरिहर पांडे नहीं।'

वह जीत गया था। पेड़ कट गए थे। गड्ढा भरा जा रहा था।

रात का अंधेरा जब काफी फैल गया, आंखों के सामने जब सब कुछ धुंधलके में खोने लगा, तब वे उठे। कटे नीम के पेड़ अपनी विशालता से अंधेरे में भयावहता फैला रहे थे। वे चुपचाप एक हारे हुए व्यक्ति की तरह चलते हुए एक पेड़ के तने के पास आकर बैठ गए। बहुत ही आहिस्ते–आहिस्ते, मुलायम हाथों से उन्होंने उस तने को सहलाया, जैसे किसी नवजात शिशु के शरीर को सहला रहे हों। और कुछ ही क्षणों बाद वे उसी तने पर सिर रखकर फफक–फफक कर रो रहे थे।

अंधेरे में पास ही खड़ा हरखू चुपचाप उनका विलाप सुन रहा था। ❑

क्या जवाब है हमारे पास?*

जय प्रकाश नारायण

हमारे अस्सी करोड़ हाथ हैं। इतना बड़ा आधार है। संसार में ऐसी कोई पूंजी नहीं है जो बिना श्रम से पैदा हुई हो और श्रम शक्ति तो हमारे पास भरी पड़ी है। हम सब कुछ कर सकते हैं, सिर्फ समझने की जरूरत है, सब के दिल जुड़ने की जरूरत है।

एक घटना का जिक्र मैं किया करता हूं। एक बार पटना से मैं आश्रम जा रहा था। साथ में जापान के एक बन्धु थे। हम जीप से जा रहे थे। पचास–साठ मील गए तो उन्होंने कहा – "जे. पी., (जयप्रकाश जी का संक्षिप्त नाम) आप तो कहते थे कि भारत अत्यन्त गरीब देश है?"

मैंने कहा – "इसमें भी क्या कुछ शक है आप को? कौन–सा गांव मिला, जहां आप को अमीरी नज़र आई?"

"मैं नहीं मानता कि आपका देश गरीब है," उन्होंने कहा – "यहां के लोग तो बहुत सुखी हैं। जिस सड़क के किनारे से हम लोग गुजरे, वहां देखा कि लोग बैठे हैं चुपचाप। कोई दालान में बैठा है, कोई पेड़ के नीचे बैठा है, कोई हुक्का पी रहा है और कोई खटिया पर सो रहा है। जब ये लोग दिन में भी इस तरह निठल्ले बैठे रहते हैं, तो खाने का इन के पास काफ़ी इन्तजाम होगा। जापान में जा कर देखें तो आप को नजर आएगा कि कोई भी आदमी दिन को निठल्ला नहीं बैठा रहता।"

इस पर मुझे शर्म आई। मैंने कहा – "इन लोगों का यों खाली बैठना बेकारी की समस्या के कारण है।"

तो उन्होंने जबाव दिया – "अब आप को याद नहीं कि जहां हम पानी पी रहे थे, कुएं पर वहां बहुत गन्दगी थी। उसे लोग साफ़ क्यों नहीं करते, कम्पोस्ट क्यों नहीं बनाते? इससे तो बेकारी की समस्या हल हो ही जाएगी।"

क्या जवाब है हमारे पास इसका? कोई काम नहीं है, यह कहना आलस्य की निशानी है। काम को तो पैदा करना चाहिए।

('ग्रामोदय की ओर' से साभार)

* कुरुक्षेत्र जून 1960 अंक से उद्धृत

(पृष्ठ 41 का शेष) **प्याज : स्वास्थ्य का राज़**

रहते हैं। प्याज को अगर एक दूसरे से अलग–अलग रखा जाए तो वह लम्बे समय तक खराब नहीं होती। प्याज को काटने से पहले यदि लगभग एक दो घण्टे फ्रिज में रखा जाए अथवा पानी में डालकर इसे काटा जाए तो इसे काटते समय आंसू आने की शिकायत भी दूर हो जाती है।

प्याज का उपयोग अनेक रोगों में लाभदायक है जिनमें से कुछ का वर्णन निम्न प्रकार है :

नेत्र रोग – प्याज का निरन्तर प्रयोग करने से नेत्रों की दृष्टि बढ़ती है। एक तोला प्याज के रस में एक तोला शहद और दो माशा भीमसेनी कपूर खूब अच्छी तरह मिलाकर यदि नित्य आंखों में लगाया जाए तो मोतियाबिंद में भी लाभ होता है। आधा किलो प्याज के रस में यदि 60 ग्राम काला सुरमा मिलाकर खूब खरल करें और उसे सुखा लें तो वह विभिन्न नेत्र व्याधियों के लिए बहुत अच्छा सुरमा बन सकता है।

कान में दर्द या अन्य किसी प्रकार के रोग में प्याज के रस को थोड़ा गर्म करके 5–6 बूंद कान में डालने से लाभ होता है।

उदर रोग – प्याज से भूख बढ़ती है तथा खाने में रुचि उत्पन्न होती है। यह कब्ज को दूर करके वायु का शमन करता है। प्याज पर नीबू का रस निचोड़ कर खाने से अजीर्ण दूर होता है। बच्चों के अजीर्ण में प्याज के रस की पांच बूंद पिला देना पर्याप्त है। दस्तों में प्याज को पीस कर नाभि पर लेप कर देना चाहिए। जी मिचलाने पर प्याज नमक के साथ खाना चाहिए। प्याज के रस में चीनी डालकर शर्बत बनाकर पीने से पथरी कट–कट कर बाहर निकल जाती है। जलोदर के रोग में भी प्याज से लाभ होता है।

श्वास रोग – प्याज को कूट कर सूंघने से खांसी, टांसिल तथा श्वांस या फेफड़े के रोग नष्ट हो जाते हैं। प्याज के रस का नियमित प्रयोग टी.बी. के कीटाणुओं को भी नष्ट करने में सक्षम है।

त्वचा रोग – प्याज खाने से अस्वस्थ त्वचा या उसका पीलापन ठीक होता है तथा शरीर पर कांति आती है। प्याज को आग में भूनकर और पीसकर यदि गरम–गरम फोड़े या गिल्टी आदि पर बांधा जाए तो वह फूट कर साफ हो जाती है। नया जूता या चप्पल पहनने से होने वाले छाले भी प्याज से ठीक हो जाते हैं। प्याज रक्त साफ करता है और खुजली मिटाता है।

हैजा – प्याज के रस में नीबू, नमक, काली मिर्च और अदरक मिलाकर नित्य लेते रहने से, हैजे से बचाव रहता है। हैजा होने पर प्याज के रस में समान मात्रा में पोदीने का रस तथा थोड़ा नमक और नीबू का रस मिलाकर दस–दस मिनट में एक चम्मच पिलाते रहने से लाभ होता है।

नक्सीर – नाक से खून बहने पर प्याज के रस की एक दो बूंद नाक में डालें। लाभ होगा।

नशा – नशे से धुत व्यक्ति को एक कप प्याज का रस पिलाने से नशा कम हो जाएगा।

गंजापन – सिर पर से बाल उड़ने पर वहां नियमित रूप से प्याज के रस की मालिश करने से नए बाल उगने लगेंगे।

विषैले जन्तु – विषैले जन्तु के काट लेने पर प्याज को पीस कर लगाने से लाभ होता है।

उल्टी – प्याज के रस में, समान मात्रा में अदरक का रस मिलाकर पिलाने से उल्टी बंद हो जाती है। ❑

सूखा से राहत देने के उपाय तेज किए गए

प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने राजस्थान और गुजरात में महिलाओं और बच्चों के पौषाहार के लिए 30 करोड़ रुपये की राशि को मंजूरी दी है। यह राशि प्रधान मंत्री राहत कोष से दी जाएगी। इसमें राजस्थान के लिए 20 करोड़ रुपये और गुजरात के लिए 10 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

इसके अलावा केन्द्र सरकार ने गुजरात के लिए आपदा राहत कोष से 43.71 करोड़ रुपये की तीसरी किस्त और आंध्र प्रदेश के लिए 38.89 करोड़ रुपये की दूसरी किस्त भी जारी की। 1999–2000 और 2000–2001 में राजस्थान को 370.30 करोड़ रुपये, गुज़रात को 306.77 करोड़ रुपये और आंध्र प्रदेश को 260.83 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।

नाबार्ड ने 146.70 करोड़ रुपये का ऋण जारी किया है। इसमें 90 करोड़ रुपये ग्रामीण सड़कों के लिए और 56.70 करोड़ रुपये चेक डेमों के लिए हैं। गृहमंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी और कृषि मंत्री श्री सुन्दर लाल पटवा ने सूखाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया और राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे राहत कार्यों का जायज़ा लिया।

ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं के तहत भी राजस्थान को 80.15 करोड़ रुपये, गुजरात को 102.39 करोड़ रुपये और आंध्र प्रदेश को 105.14 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।

प्रधान मंत्री ने आंध्र प्रदेश में वृद्ध जनों की सामाजिक सुरक्षा के लिए भी 15 करोड़ रुपये जारी किए हैं।

साभार : पत्र सूचना कार्यालय

आर एन. /708/57
डाक–तार पंजीकरण संख्या :डी (डी एल) 12057/2000
आई.एस.एन.एन. 0971–8451
पूर्व भुगतान के बिना के अधीन डी.पी.एस.ओ. दिल्ली में डाक
में डालने की अनुमति (लाइसेंस) : यू (डी एन)–55

R.N./708/57
P&T Regd. No. D (DL) 12057/2000
ISSN 0971-8451
Licenced under U (DN)-55
to Post without pre-payment of DPSO, Delhi-54

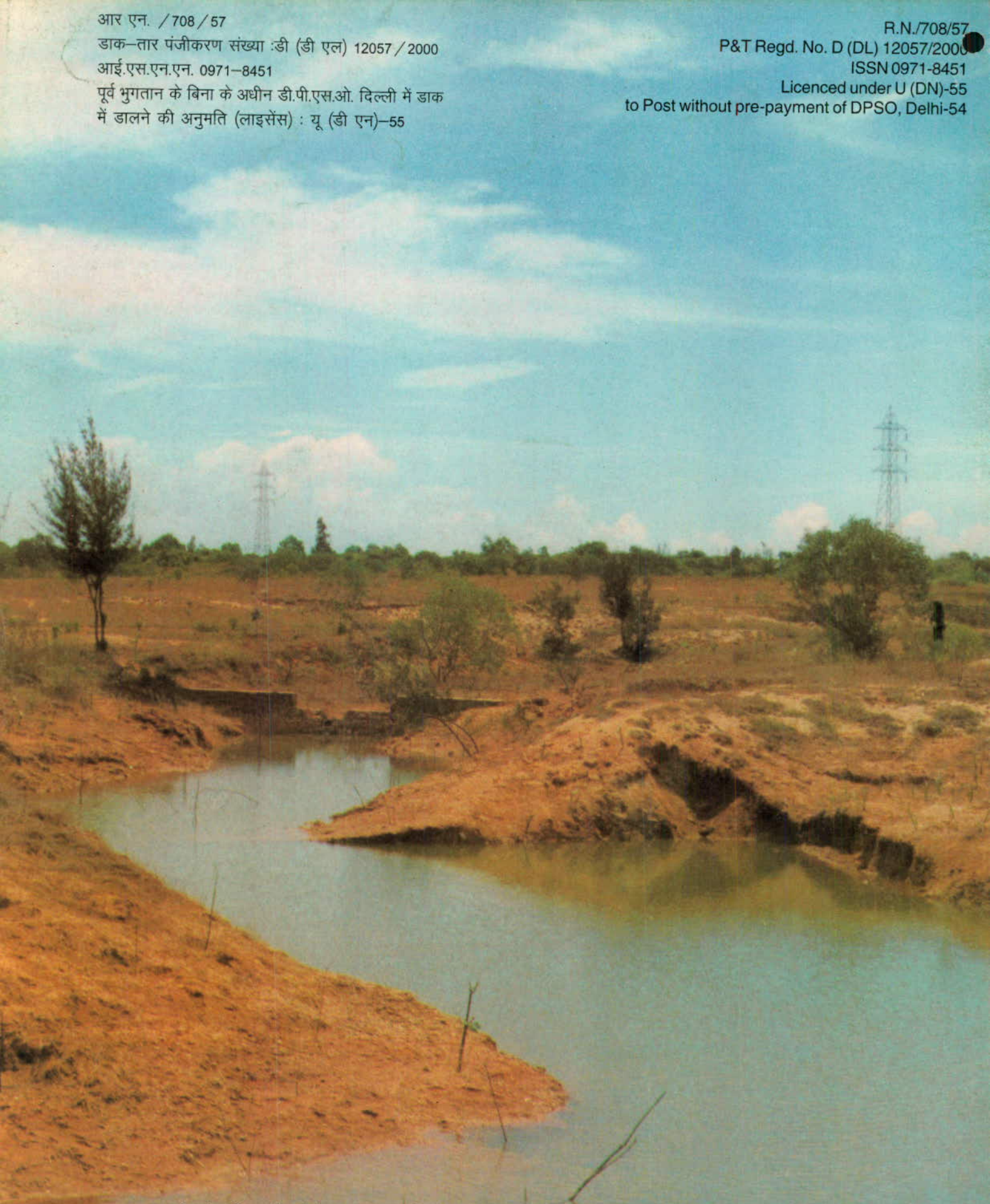

श्रीमती सुरिन्द्र कौर, निदेशक, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाऊस, नई दिल्ली–110001 द्वारा प्रकाशित और मुद्रित।
मुद्रक: अरावली प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स प्रा. लि., डब्ल्यू–30 ओखला इंडस्ट्रियल एरिया–II, नई दिल्ली–20 संपादक: बलदेव सिंह मदान